55

उच्च ऊंचाई क्षेत्र वाले कपड़े, उपकरण, राशन एवं आवास का प्रावधान, अधिप्राप्ति और वितरण करना

<u>लोक लेखा समिति</u>

(2022-23)

पचपनवां प्रतिवेदन

सत्रहवीं लोक सभा

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

पीएसी संख्या 2284

पचपनवां प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

उच्च ऊंचाई क्षेत्र वाले कपड़े, उपकरण, राशन एवं आवास का प्रावधान, अधिप्राप्ति और वितरण करना

सत्यमेव जयते

14.12.2022 *को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।*

14.12.2022 *को राज्य सभा के सभा पटल पर रखा गया।*

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
दिसंबर, 2022/ अग्रहायण, 1944 (शक)

विषय -सूची

		पृष्ठ
	लोक लेखा समिति (2022-23) की संरचना	
	लोक लेखा समिति (2021-22) की संरचना	
	लोक लेखा समिति (2020-21) की संरचना	
	प्राक्कथन	
	भाग – I	
	प्रतिवेदन	
1.	उच्च ऊंचाई क्षेत्र वाले कपड़े और उपकरण	
2.	एचएए में सैनिकों के लिए विशेष राशन	
3.	उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आवास	
4.	सामान्य	
	भाग - II	
	समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें	
	परिशिष्ट *	
I	लोक लेखा समिति (2020-21) की 10 अगस्त, 2020 को हुई दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश	
II	लोक लेखा समिति (2020-21) की 6 अक्टूबर, 2020 को हुई छठी बैठक का कार्यवाही सारांश	
III	लोक लेखा समिति (2021-22) की 20 अक्टूबर, 2021 को हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	
IV	लोक लेखा समिति (2022-23) की 5 दिसम्बर, 2022 को हुई बारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	

**प्रतिवेदन के साथ संलग्न नहीं।*

लोक लेखा समिति (2022-23) की संरचना

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री जगदम्बिका पाल
5. श्री विष्णु दयाल राम
6. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
7. श्री राहुल रमेश शेवाले
8. श्री जी. एम. सिद्देश्वर
9. श्री बृजेन्द्र सिंह
10. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
11. डॉ. सत्यपाल सिंह
12. श्री जयंत सिन्हा
13. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
14. श्री राम कृपाल यादव
15. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

16. श्री शक्तिसिंह गोहिल
17. श्री भुबनेश्वर कालिता
18. डॉ. अमर पटनायक
19. डॉ. सी.एम. रमेश
20. रिक्त*
21. डॉ. एम. थंबीदुरई
22. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

सचिवालय

1. श्री टी.जी. चन्द्रशेखर - अपर सचिव
2. श्री तीर्थंकर दास - निदेशक
3. सुश्री मालविका मेहता - अवर सचिव

---

*श्री वि. विजयसाई रेड्डी 21 जून, 2022 को राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप समिति के सदस्य नहीं रहे।

लोक लेखा समिति (2021-22) की संरचना

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री टी.आर. बालू
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
5. श्री सुधीर गुप्ता
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री जगदम्बिका पाल
8. श्री विष्णु दयाल राम
9. श्री राहुल रमेश शेवाले
10. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ़ `ललन`
11. डॉ. सत्यपाल सिंह
12. श्री जयंत सिन्हा
13. श्री राम कृपाल यादव
14. श्री प्रताप चंद्र षडङगी*
15. श्री जी. एम. सिद्देश्वर**

राज्य सभा

16. श्री शक्तिसिंह गोहिल
17. श्री भुबनेश्वर कालिता
18. डॉ. सी.एम. रमेश
19. श्री वि. विजयसाई रेड्डी#
20. श्री सुखेन्दु शेखर राय
21. डॉ. एम. थंबीदुरई
22. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी##

*श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, जो दिनांक 07.07.2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण समिति की सदस्य नहीं रहीं, के स्थान पर दिनांक 29.07.2021 से निर्वाचित।

**श्री अजय मिश्र टेनी, जो दिनांक 07.07.2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे, के स्थान पर दिनांक 29.07.2021 से निर्वाचित।

श्री भूपेन्द्र यादव, जो दिनांक 07.07.2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे, के स्थान पर दिनांक 09.08.2021 से निर्वाचित।

श्री राजीव चन्द्रशेखर, जो दिनांक 07.07.2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे, के स्थान पर दिनांक 09.08.2021 से निर्वाचित।

लोक लेखा समिति (2020-21) की संरचना

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री टी.आर. बालू
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. श्री सुधीर गुप्ता
5. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री अजय मिश्र (टेनी)
8. श्री जगदम्बिका पाल
9. श्री विष्णु दयाल राम
10. श्री राहुल रमेश शेवाले
11. श्री राजीव रंजन (ललन) सिंह
12. डॉ. सत्यपाल सिंह
13. श्री जयंत सिन्हा
14. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
15. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

16. श्री राजीव चन्द्रशेखर
17. श्री नरेश गुजराल
18. *श्री भुबनेश्वर कालिता
19. *श्री मल्लिकार्जुन खरगे
20. श्री सी.एम. रमेश
21. श्री सुखेन्दु शेखर राय
22. श्री भूपेन्द्र यादव

11 फरवरी, 2021 से निर्वाचित

प्राक्कथन

मैं, लोक लेखा समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर रक्षा मंत्रालय, सैन्य कार्य विभाग से संबंधित नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन संख्या 16 (संघ सरकार-अनुपालन लेखापरीक्षा- रक्षा सेवाएं (थल सेना) के अध्याय दो पर आधारित "उच्च ऊँचाई क्षेत्र वाले कपड़े, उपकरण, राशन एवं आवास का प्रावधान, अधिप्राप्ति और वितरण करना" विषयक यह पचपनवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

2. भारत के नियंत्रक और महोलखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन 13 दिसंबर, 2019 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया और 03 फरवरी 2020 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

3. लोक लेखा समिति (2020-21) ने इस विषय का चयन विस्तृत जांच और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु किया। इस विषय को उत्तरवर्ती लोक लेखा समिति द्वारा वर्ष 2021-22 और 2022-23 के अपने कार्यकाल के दौरान जांच करने हेतु आगे बढाया गया था। समिति ने 10 अगस्त, 2020, 06 अक्तूबर, 2020 और 20 अक्तूबर, 2021 को हुई अपनी बैठकों में रक्षा मंत्रालय (सैन्य कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। समिति (2022-23) ने इस विषय की जांच के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त की। समिति ने 5 दिसंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया। समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रतिवेदन के साथ संलग्न हैं।

4. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से, समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को **मोटे** अक्षरों में मुद्रित किया गया है और ये प्रतिवेदन के भाग-दो में है।

5. समिति इस विषय पर मौखिक साक्ष्य लेने और जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी पूर्ववर्ती समितियों को धन्यवाद देती है।

6. समिति, इस विषय की जांच के संबंध में उनके समक्ष साक्ष्य देने और अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए रक्षा मंत्रालय (सैन्य कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों को धन्यवाद देती है।

7. समिति, इस मामले में समिति सचिवालय तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा उनको दी गई सहायता की भी सराहना करती है।

नई दिल्ली;
<u>07 दिसंबर, 2022</u>
16 अग्रहायण, 1944 (शक)

अधीर रंजन चौधरी
सभापति,
लोक लेखा समिति

भाग-I

अध्याय -1

उच्च ऊंचाई क्षेत्र वाले कपड़े और उपकरण

एक. प्राक्कथन

1.1 भारतीय सेना की उत्तरी एवं पूर्वी कमांड जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करती है। इन दोनो कमानों में अधिकतर सैन्य दल को उच्च ऊँचाई क्षेत्र (एचएए) जैसे सियाचिन, लद्दाख, डोकलाम आदि क्षेत्रों पर तैनात किया जाता है।

1.2 इन क्षेत्रों के सैन्य दलों को विशेष कपड़े, उपकरण, विशेष राशन एवं आवास सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता होती है जिससे ये प्रभावी रूप से कठोर मौसम एवं अत्यधिक ठंडे मौसम की स्थिति के कारण होने वाली बीमारियों का सामना कर पाए। तदनुसार, सरकार ने विशेष कपड़े, उपकरण एवं राशन को बढ़ाकर / समृद्ध स्केल पर उच्च ऊँचाई पर कार्य करने वाले सैन्य दलों के लिए अधिकृत किया है।

1.3 लोक लेखा समिति (2020-21) ने "उच्च ऊँचाई क्षेत्र वाले कपड़े, उपकरण, राशन एवं आवास का प्रावधान, अधिप्राप्ति और वितरण करना" विषय पर 2019 की सी एंड एजी प्रतिवेदन संख्या 16 (केंद्र सरकार-अनुपालन लेखापरीक्षा- रक्षा सेवाएं (सेना) के अध्याय II की विस्तृत जांच करने और इस पर प्रतिवेदन देने का निर्णय लिया। यह अध्याय रक्षा मंत्रालय, सैन्य कार्य विभाग से संबंधित है।

1.4 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (लेखापरीक्षा) ने 2015-16 से 2017-18 की बीच की अवधि के लिए कपड़ों, उपकरणों, राशन और आवास के प्रावधान एवं अधिप्राप्ति, मालसूची प्रबंधन एवं गुणवत्ता की कुशलता एवं प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की । लेखापरीक्षा ने पाया कि 'आवश्यकता को स्वीकार' करने की अवधि के चार वर्षों तक भी उच्च ऊँचाई क्षेत्र वाले कपड़ों की मदों की अधिप्राप्ति में देरी हुई। लेखापरीक्षा ने आयुध निर्माणियों से संविदाकृत मदों की प्राप्ति में भी असामान्य देरी देखी। अधिप्राप्ति कार्रवाई में हुई देरी एवं संविदा की मदों को प्राप्त करने में देरी से आवश्यक कपड़ों एवं उपकरण मदों की अत्यधिक कमी हुई तथा इन्हें सैनिकों को समय पर जारी नहीं किया जा सका। आवश्यकता के समय पर प्रक्रियागत देरी, पुनः चक्रित अथवा वैकल्पिक मदों की आपूर्ति या गैर-आपूर्ति के परिणामस्वरूप उच्च ऊँचाई क्षेत्र में तैनात सैनिको का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रभावित हुए थे।

1.5 रक्षा प्रयोगशाला द्वारा अनुसंधान एवं विकास में कमी तथा स्वदेशीकरण में विफलता के परिणामस्वरूप आयात पर निरंतर निर्भरता रही। सैनिकों को विशेष राशन देने का उद्देश्य उनके द्वारा उच्च ऊँचाई क्षेत्र में अप्रीतिकर स्थितियों में सामना किए जा रहे मानसिक एवं शारीरिक स्थितियों को कम करने हेतु वैकल्पिक खाद्य सामग्री प्रदान करना था। राशन का स्पेशल स्केल सैन्य दलों की दैनिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राधिकृत है। तथापि, मूल मदों के बदले में वैकल्पिक मदों को सीमित प्रतिशत तथा "लागत के आधार पर" भी प्राधिकृत किया गया। मूल मदों के स्थान पर महंगे विकल्पों की संस्वीकृति समान कीमत पर करने के परिणामगत सैन्य दलों द्वारा ली जाने वाली कैलोरी की मात्रा कम हुई। प्रशासनिक जांच में आंतरिक नियंत्रण में कमियों के कारण सैन्य दलों को राशन आपूर्ति में कमी के मामले भी सामने आए।

1.6 आवासन के संबंध में, उच्च ऊँचाई क्षेत्रों में आवास की स्थिति को सुधारने के लिए तदर्थ तरीके से एक परियोजना का निष्पादन किया गया। सक्षम अधिकारी की संस्वीकृति कभी नहीं ली गई तथा पायलट परियोजना की संस्वीकृति चरणों में दी गई। परिणामस्वरूप, ₹274 करोड़ के व्यय के बावजूद पायलट परियोजना सफल नहीं हुई थी।आवश्यकताओं का सही एवं वस्तुनिष्ठ आकलन किए बिना ही वार्षिक योजनाऐं बनाई जा रही थी तथा कार्य की संस्वीकृति दी जा रही थी। कार्यों के निष्पादन और बाद में सबसे दुर्जेय जलवायु परिस्थितियों में इकाइयों को उपयोग के लिए परिसंपत्तियों को सौंपने में अत्यधिक देरी हुई।

1.7 सामग्री की स्वीकृति दृष्टिक निरीक्षण के आधार पर ही की गई थी। यहाँ कोई भी दस्तावेजी प्रमाण नहीं थे जो यह सिद्ध करे कि इकाइयों की क्यू सी प्रयोगशालाओं में सामान की किसी प्रकार की जाँच हुई थी।निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार न्यूमेरिकल एसेट रजिस्टर (एन ए आर नहीं बनाये जा रहे थे। परिणामगत, एन ए आर में प्रदर्शित परिसंपतियों एवं जमीनी स्तर पर उपलब्ध परिसंपत्तियों में अंतर था।

1.8 लोक लेखा समिति (2020-21) ने 10.08.2020 और 06.10.2020 को रक्षा मंत्रालय और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिए। इस विषय को अगले वर्ष के लिए अग्रेषित किया गया और अगली समिति अर्थात् लोक लेखा समिति (2021-22) द्वारा इसकी जांच की गई। लोक लेखा समिति (2021-22) ने 20.10.2021 को रक्षा मंत्रालय और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के प्रतिनिधियों के भी आगे मौखिक साक्ष्य लिए। लोक लेखा समिति (2021-22) ने अन्य बातों के साथ-साथ 15.08.2021 से 17.08.2021 के दौरान लेह का एक अध्ययन दौरा किया, जहां उपरोक्त विषय पर रक्षा मंत्रालय (सैन्य कार्य के विभाग) और उत्तरी कमान (सेना) के प्रतिनिधियों के साथ

अनौपचारिक बातचीत की गई। समिति ने सीमावर्ती स्थानों पर तैनात सैनिकों के साथ भी बातचीत की, जहां उन्होंने एससीएमई वस्तुओं का उपयोग किया था। समिति ने विचाराधीन मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर लिखित सूचना भी प्राप्त की। मौखिक साक्ष्य और लिखित उत्तरों के आधार पर, समिति ने उत्तरोत्तर पैराओं में यथा संबंधित वर्णित मामले की गहन जांच की।

(एक) उच्च ऊंचाई क्षेत्र वाले कपड़े और उपकरण

1.9 उच्च ऊंचाई क्षेत्र वाले कपड़े और उपकरण (एच ए सी ई) विषय के अंतर्गत अत्यधिक ठंडे में प्रयोग होने वाले कपड़े एवं उपकरण (ई सी सी एंड ई) एवं साथ ही विशेष कपड़े एवं पर्वतारोहण उपकरण (एस सी एम ई) आते है। ई सी सी एवं ई मदों को पूर्वी कमांड में 9000 फीट के ऊपर तैनात सैन्य दलों और अन्य कमांडों में 6000 फीट के ऊपर तैनात सैन्य दलों को वितरित किया जाता है। इन मदों को दो वर्गो वर्ग | एवं || मदों में वर्गीकृत किया गया है।

1.10 वर्ग| में अत्यधिक ठंड वाली जलवायु के लिए 13 मदों जैसे बूट्स, कोट्स दस्ताने, चश्मे, सोने वाले बैग प्रत्येक सैनिक को उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्र में आगमन पर वितरित किए जाते है। इन मदों का प्रबंधन प्रत्येक मद के नियत जीवन अवधि सहित निजी कपड़ों के मदों के जीवन काल के पहलू के प्रतिरूप स्वरूप में किया जाता है।

1.11 वर्ग || ई सी सी एंड ई में 17 मदों जैसे टैन्ट, गद्दों, बर्फ में चलने वाले जूते, पट्टियों चश्मों के लिए अतिरिक्त शीशों को सम्मिलित किया गया। इन मदों को यूनिटों के पास रखा जाता है एवं इनकी कोई निर्धारित जीवन अवधि नहीं है। ये इनकी उपयोगिता - आधार पर प्राप्त किए जाते हैं एवं पुनः जारी किए जाते हैं।

1.12 एस सी एम ई मदों को अधिक उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों जैसे सियाचिन में तैनाती होने पर सैन्य दलों को वितरित किया जाता है। इन्हें भी दो वर्गो में वर्गीकृत किया गया है। वर्ग । में 22 मदों जैसे उनी कैप, जुराबे, जैकेट, रकसैक बैग, चेहरे का मास्क जो कि एक सैनिक के पास व्यक्तिगत रूप से रहता है को सम्मिलित किया गया है।

1.13 वर्ग ।। में 32 मद जैसे कारविनीयर (एक विशेष प्रकार की जंजीर), चाकू, रस्सी उच्च ऊँचाई क्षेत्र के टेंट, घिरनी, ऑक्सीजन सिलेंडर, बर्फ के लिए कुल्हाड़ी, एवुलंग (बर्फ के अंदर सांस लेने में प्रयोग होने वाला), टगर स्नो शूज है जो यूनिटस के पास रखे जाते है।

1.14 सेना मुख्यालय में मास्टर जनरल आयुध (एम जी ओ) के अंतर्गत महानिदेशक आयुध
सेवाएँ प्रावधानीकरण, अधिप्राप्ति, प्राप्ति करने, भंडारण, लेखांकन और उच्च ऊँचाई क्षेत्र के कपड़ो एवं उपकरण मदों के सभी स्टोरों सहित वितरण के लिए उत्तरदायी है।

1.15 केवल एससीएमई श्रेणी-I मदों का प्रावधान, जो आयात के माध्यम से खरीदे जाते हैं, एमजीएस (पूर्ववर्ती एमजीओ) के तहत उपकरण प्रबंधन (ईएम) निदेशालय द्वारा किया जाता है। खरीद को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है जो एमजीएस की अध्यक्षता में इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित की जाती है।

(दो) राशन

1.16 सशस्त्र सेना बल के लिए, पर्याप्त पोषण उनके पोषक संचय को परिचालन स्थिति में उच्च मनोबल को अधिकतम लाभ/ उच्च प्रदर्शन हेतु बनाने के लिए अति आवश्यक राशन के मूल मद बढ़ाए जाते है एवं सैन्य दल की दैनिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अधिकृत किए जाते है:

1.17 मौजूदा राशन स्केल विभिन्न ऊँचाई क्षेत्र पर भौगोलिक स्थिति एवं ऊर्जा आवश्यकताओं के आधार पर निम्न विवरणानुसार निर्धारित किया गया है:

क) 9000 फीट एवं निम्न क्षेत्र पर सैन्य दलों (जे सी ओ एस/ ओ आर) के लिए राशन स्केल

ख) 9000 फीट एवं निम्न क्षेत्र पर अधिकारियों के लिए राशन स्केल

ग) 9000 फीट एवं ऊपर के क्षेत्र पर सैन्य दलों के लिए राशन स्केल

घ) 9000 फीट एवं ऊपर के क्षेत्र पर अधिकारियों के लिए राशन स्केल

ङ) 12,000 फीट एवं ऊपर के क्षेत्र पर सभी रैंकों के लिए राशन स्केल (स्पेशल राशन स्केल)

1.18 उच्च ऊँचाई क्षेत्र में पर्यावरणीय संबंधी स्थिति अत्यधिक विषम रहती है जहाँ अधिक सर्दी होने पर तापमान 50°c से नीचे गिर जाता है। इसके कारण विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों से भूख कम लगती है जिससे भार एवं कार्य निष्पादन में कमी होती है सामान्य राशन स्केल उच्च ऊँचाई क्षेत्र के लिए अपेक्षित कैलोरी मूल्य हेतु पर्याप्त नहीं है।

1.19 12,000 फीट एवं उससे ऊपर के क्षेत्र के सैन्य दलों के लिए विशेष राशन देने का मूल उद्देश्य उच्च ऊँचाई क्षेत्र में अप्रीतिकर स्थिति के अंतर्गत रहकर सैन्य दलों को मानसिक एवं शारीरिक स्थितियों को कम करने के लिए वैकल्पिक भोजन प्रदान करना है।

(तीन) आवास

1.20 उच्च ऊँचाई क्षेत्र में स्थित तंबू के विकल्प के रूप में शेल्टर सैन्य दलों को रहने, भंडारण, प्रशासनिक आवास एवं सहायक सेवाएँ आदि प्रदान करता है। ये शेल्टर विभिन्न भौगोलिक स्थितियाँ/उँचाईयों की चुनौतियों को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से पूर्वनिर्मित, पॉलीयूरेथन तापावरोधन (पी यू एफ) सहित जस्ती लोहे के बने होते है। अत्यधिक जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति के लिए फाईबर ईन्फोर्सड प्लास्टिक (एफ. आर पी) / फाइबर ग्लास हटस (एफ जी एच) आवास बनाने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है।

1.21 पूर्वनिर्मित शेल्टर के अतिरिक्त, उच्च ऊँचाई क्षेत्र के आवास के लिए सहायक सेवाएँ जैसे विदयुतीकरण, तापक, जल आपूर्ति, सीवेज व्यवस्था आदि की भी आवश्यकता होती है।

दो. लेखापरीक्षा पद्धति

1.22 लेखापरीक्षा यह जाँच करने के लिए किया गया कि :

1) एच ए सी ई मदो के प्रावधानीकरण एवं अधिप्राप्ति प्रक्रिया, विशेष राशन एवं आवास लाभप्रद, पर्याप्त एवं प्रभावी थे,

2) एच ए सी ई मदो के गुणवता मुददों, राशन एवं आवास का उचित प्रकार प्रबंधन हुआ; एवं

3) वस्तु सूची प्रबंधन प्रभावी था।

1.23 लेखापरीक्षा में 2015-16 से 2017-18 की अवधि को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा में उच्च ऊँचाई पर उत्तरी कमान (एन सी) एवं पूर्वी कमान (ईसी) के सैन्य दलों के कपड़े एवं उपकरण मदों व राशन के स्पेशल स्केल को चुना गया। उच्च उँचाई क्षेत्र पर सैन्य दल के आवास हेतु, केवल उत्तरी कमान (एन सी) की लेखापरीक्षा की गई।

1.24 लेखापरीक्षा का आरंभ एम ओ डी (सेना) के मुख्यालय, नई दिल्ली (आई एच क्यू) में इंट्रोडक्ट्री कान्फ्रेंस से हुआ जिसमें एच ए सी ई व विशेष राशन से संबंधित

लेखापरीक्षा का क्षेत्र, लेखापरीक्षा उद्देश्य एवं लेखापरीक्षा पद्धति के बारे में चर्चा की गई। एच ए सी के मामले में, एम जी ओ ब्रांच, केंद्रीय आयुध डिपी (सी ओ डी), 'एन' सहित उसकी सेना की टुकडी (डेट), सी क्यू ए (जी एस) एवं सी क्यू ए टी एंड सी कानपुर लेखापरीक्षा की गई। आगे, रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास स्थापना (डी एम एस आर डी ई), कानपुर एवं पूर्वी कमान (एफ ओ डी 'ए', ए बी ओ डी 'बी') के अंतर्गत प्रत्येक दो डिपो सहित एवं उत्तरी कमान (एफ ओ डी 'सी' एवं डिवीजन आयुद्ध यूनिट (डी ओ यू 'डी) भी एच ए सी ई लेखापरीक्षा में आई थी।

1.25 विशेष राशन की लेखापरीक्षा सेना मुख्यालय की क्वार्टर मास्टर जनरल की ब्रांच एवं महानिदेशक आपूर्ति एवं परिवहन (डी जी एस टी) में की गई। इसके अनुसरण में उत्तरी कमान (एन सी) मुख्यालय, पूर्वी कमान (ईसी) मुख्यालय एवं 'एक्स' एवं 'वाई' कोर मुख्यालय की लेखापरीक्षा की गई। संविदा के परिचालन एवं वितरण श्रृंखला की सात बटालियनों/सेना सेवाएँ कोर (ए एस सी) की सभी समग्र यूनिटों एवं 12 निर्भर प्रयोक्ता यूनिटी की जाँच की गई।

1.26 उच्च ऊँचाई आवास की लेखापरीक्षा मुख्यालय एन सी में इंट्रोडक्ट्री कान्फ्रेंस सहित हुई जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, क्षेत्र एवं लेखापरीक्षा पद्धति पर चर्चा की गई। एन सी मुख्यालय के अतिरिक्त, 'एक्स' कोर मुख्यालय की लेखापरीक्षा की गई एवं इसके अनुसरण में कोर के अंतर्गत दो इंजीनियर यूनिट व प्रत्येक इंजीनियर यूनिट के अंतर्गत दो प्रयोक्ता यूनिटों की लेखापरीक्षा की गई।

1.27 प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निहित लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं सिफारिशों के बारे में चर्चा करने के लिए 13.02.2019 को मंत्रालय के साथ एचएसीई मदों की एक्जिट कॉनफ्रेंस हुई।

तीन. बजट

1.28 लेखापरीक्षा ने पाया कि यहाँ उच्च ऊँचाई क्षेत्र के राशन एवं आवास के लिए कोई अलग आवंटन नहीं है। कपड़े एवं उपकरणों (एच ए सी ई) के लिए होने वाले व्यय को 'जनरल स्टोर एवं क्लोथिंग' से पूरा किया जाता है जिसमें पूरी सेना के लिए सामान्य कपड़े एवं विशेष रूप से होने वाला व्यय भी सम्मिलित है। एच. ए. सी. ई के लिए विशेष रूप से व्यय को लेखापरीक्षा को नहीं उपलब्ध कराया गया। विशेष राशन के संदर्भ में, केवल स्थानीय क्रय पर होने वाले व्यय को ही लेखापरीक्षा को प्रदान किया

गया। उच्च ऊँचाई क्षेत्र पर परिचालन निर्माण कार्य के द्वारा किए गए काम के विवरण से ही उच्च ऊँचाई आवास पर व्यय आकडे प्राप्त किए गए।

1.29 इस संबंध में, समिति यह जानना चाहती थी कि क्या व्यापक और समग्र दृष्टिकोण के लिए, उच्च ऊंचाई क्षेत्र वाले राशन, आवास और कपड़ों के लिए बजट में एक अलग आवंटन का कोई तर्क है। उत्तर में मंत्रालय ने निम्नानुसार सूचित किया:

> "संक्रियात्मक कार्य प्रक्रिया एक विशेष प्रावधान है जो मुख्य रूप से उच्च तुंगता क्षेत्रों सहित सीमा क्षेत्रों के अवसंरचना के सृजन की व्यवस्था करता है । संक्रियात्मक कार्य हेतु एक अलग बजट शीर्ष होता है और जिसके लिए औसतन 800 करोड़ रुपया आवंटित किया जाता है जिसमें से उत्तरी सीमा रेखा पर तैनात विरचनाओं के लिए 400 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है । जहां तक राशन का संबंध है आवंटित बजट पर्याप्त होता है और बजटीय बाध्यताओं का ऐसा कोई उदाहरण नहीं है । इसके अलावा, उच्च तुंगता क्षेत्रों में तैनात सैनिकों हेतु राशन के लिए किसी अलग बजट आवंटन की आवश्यकता नहीं है।"

1.30 समिति ने जानना चाहा कि क्या रक्षा मंत्रालय व्यय, राजस्व और पूंजीगत अधिप्राप्ति के परिणामोन्मुखी निगरानी अपनाने के कितने समीप हैं जो रक्षा बजट के लगभग एक-तिमाही हेतु जिम्मेदार है । समिति का विचार था कि केवल केवल ऐसी निगरानी द्वारा ही बजटीय परिव्यय के प्रबंधन में महत्वपूर्ण कुशलता लाई जा सकेगी। इस संबंध में मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया:-

> "पहले रक्षा बजट को गैर-योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया था और रक्षा सेवा अनुमान के तहत किसी भी केन्द्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, बजट संशोधन में वर्तमान में व्यय की कोई भी परिणामोन्मुखी निगरानी नहीं की जा रही है।"

1.31 समिति ने सामान्य क्षेत्रों और उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों के लिए व्यय के लिए बजट आवंटन के बीच विभाजन नहीं करने के कारणों को जानना चाहा। इस संबंध में मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया:-

> "सेना के बजट के हिस्से के रूप में विभिन्न माइनर हेड्स, सब हेड्स और कोड हेड्स में फंड आवंटित किए जाते हैं। मौजूदा कोड शीर्षो का विभाजन आवश्यकता आधारित है न कि भू-भाग/क्षेत्र आधारित।"

(एक) सामान सूची प्रबंधन

1.32 ई सी सी एवं ई तथा एस सी एम ई की स्टॉकिंग तथा निर्गम रक्षा मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत संस्वीकृत द्वारा नियमित किया जाता है। ई सी सी एवं ई मदों में फील्ड स्टॉक को संबंधित कमानों के तहत सैनिकों की संख्या के अनुरूप प्राधिकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कमान रिजर्व (फील्ड स्टॉक का 10 प्रतिशत) तथा सेना मुख्यालय (ए एच क्यू) रिजर्व (प्रतिशत दर्शाया नहीं गया है) को आकस्मिकता, दोहरे कार्य संरचनाओं, एच ए ए में अतिरिक्त संरचनाओं की आवाजाही हेतु तथा किसी आपदा के समय राहत पहुँचाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। इसी तरह, एस सी एम ई मदों का प्राधिकरण संबंधित कमान में फील्ड स्टॉक के लिए होता है, जिसमें सेना मुख्यालय का रिजर्व भी समान रूप से होता है।

क. ई सी सी एवं ई तथा एस सी एम ई मदों के भंडार का रखरखाव

1.33 उत्तरी कमान के सेना मुख्यालय रिजर्व को क्षेत्रीय आयुध डिपो (एफ ओ डी सी) स्थान तथा अन्य कमानों के रिजर्व को केंद्रीय आयुध डिपो (सी ओ डी), 'एन' में रखा जाता है। लेखापरीक्षा जाँच से ज्ञात हुआ कि एफ ओ डी 'सी' में 24 से 100 प्रतिशत तथा सी ओ डी 'एन' में 41 से 100 प्रतिशत की कमी थी।

1.34 लेखापरीक्षा द्वारा सी ओ डी 'एन' में ए एच क्यू रिजर्व तक से भी स्टॉक न रखने के कारण माँगे गए तथा किसी भी आपातकालीन स्थिति के मामले में इकाइयों के सैनिकों की आवश्यकता कैसे पूरी हुई, यह भी पूछा गया। उत्तर में, सी ओ डी 'एन' ने बताया कि मदें ए एच क्यू द्वारा जारी की गई थी तथा ए एच क्यू द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार डिपो द्वारा भंडार का रखरखाव तथा प्रेषण किया गया था। उत्तर में सैनिकों की आवश्यकता पूरी हुई, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी।

1.35 मंत्रालय ने आगे की-गई-कार्रवाई संबंधित टिप्पण में निम्नानुसार बताया है:

> "नियमित आपूर्तियों के उपलब्ध रहने के चलते यूनिटों पर रिजर्व की कमी का प्रभाव उपलब्धता को प्रभावित नहीं करता। चूंकि 100% ईसीसीएंडई मदें स्वदेशी स्रोतों से हैं इसलिए ओएफबी जैसे स्रोतों से लघु आपूर्तियों को स्थानीय खरीद के जरिए पूरा किया जाता है ।
>
> (ii) एएचक्यू रिजर्व में कमी ने सैन्य टुकड़ियों के स्टोर की उपलब्धता को प्रभावित नहीं किया जैसाकि सैन्य टुकड़ियों के नियमित उपयोग के लिए कमान स्तर पर पर्याप्त भण्डार मौजूद था।

<u>आंतरिक कंट्रोल्स सहित प्रणाली और प्रक्रियाओं में सुधार</u>

(क) ओएफबी द्वारा पूर्व में 82 मदों को गैर-कोर संशोधित कर दिया जिसके परिणामस्वरूप चरणबद्ध तरीके से ट्रेड से अधिप्राप्ति किए जाने में सरलता हुई।

(ख) प्रत्याशित बोलीकर्ताओं द्वारा तकनीकी बोली प्रस्तुत करते समय क्षमता प्रमाणन दस्तावेजों को जमा करते हैं। इससे कम से कम 2-3 महीने का समय बचता है।

(ग) मसौदा एसओ और मसौदा स्वीकृति पत्रों का पीसी द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है। इससे समय-सीमा में 15 से 30 दिन की कमी आई है।

1.36 समिति द्वारा ईसीसी एंड ई और एससीएमई वस्तुओं के एएचक्यू भंडार को बनाए रखने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर, जिन्हें हर समय बनाए रखा जाना चाहिए, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:-

"100 प्रतिशत भंडार बनाने की कवायद वित्त वर्ष 2020-21 में शुरू की गई थी। महत्वपूर्ण जीवन रक्षक मदों के लिए 100% भंडारों का प्रावधान किया गया है और खरीद कार्रवाई की जा रही है। प्रयास तैनात सैनिकों के लिए अधिकृत स्टॉक प्रदान करना है और वित्त वर्ष 2022-23 तक महत्वपूर्ण जीवन रक्षक वस्तुओं का 100% भंडार रखना है।"

1.37 समिति ने एएचक्यू रिजर्व और कमांड रिजर्व के अनुसार उत्तरी कमान और पूर्वी कमान में ईसीसी और ई और एससीएमई वस्तुओं की वर्तमान स्टॉक स्थिति को जानना चाहा। इसके जवाब में मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर प्रस्तुत किया:-

"सैन्य टुकड़ियों के पास मदों की कोई कमी नहीं है और 2021-22 हेतु संपूर्ण मद उन्हें प्रदान कर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण जीवन रक्षक मदों के 100% भंडार या तो अनुबंधित कर दिए गए हैं या इस संबंध में खरीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 तक शत-प्रतिशत भंडार रखने का प्रयास है।"

1.38 यह पूछे जाने पर कि क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उजागर की गई कमियों को दूर कर दिया गया है, मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया: –

"एएचक्यू रिजर्व के संबंध में सीएजी द्वारा कमियों को उजागर किया गया था। सबसे तेज़ संभव समय-सीमा में रिज़र्व तैयार किए जा रहे हैं।"

1.39 भविष्य में कमी की स्थितियों से बचने के लिए अधिक प्रभावी इन्वेंट्री प्रबंधन और खरीद के लिए की गई कार्रवाई के बारे में एक सवाल के जवाब में, मंत्रालय ने अपने पोस्ट-एविडेंस जवाब के माध्यम से निम्नानुसार कहा: –

" केन्द्रीय इन्वेंटरी नियंत्रण समूह (सीआईसीजी), प्रभावी इन्वेंट्री प्रबंधन और खरीद के लिए एक स्वचालित केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार किया गया है। खरीद एजेंसी के लिए बेहतर इन्वेंट्री दृश्यता अब उपलब्ध है। सीआईसीपी का पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरा चरण पूरा होने वाला है। चरण III के पूरा होने पर, अखिल भारतीय सूची दृश्यता का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा। स्टोर होल्डिंग डिपो भी शेल्फ लाइफ प्रबंधन और दृश्यता बढ़ाने के लिए एडीपी (एसएपी) का उपयोग कर रहे हैं। भंडार में कमी को भी पूरा किया जा रहा है। "

ख. विशेष कपड़े एवं पर्वतरोहण उपकरण (एस सी एम ई) मद

1.40 भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने सियाचिन जैसे अत्यधिक उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों के लिए अधिकृत एस सी एम ई श्रेणी- मद के प्रत्येक प्रकार के 21 सेटों की निश्चित संख्या को मंजूरी दी (अप्रैल 2005 एवं अप्रैल 2017)। इसने ए एच क्यू रिजर्व का मान 100 प्रतिशतं तय किया। विशेष कपड़ों की श्रेणी-1 मदों को सैनिकों को व्यक्तिगत कपड़ों के रूप में दिया जाना है तथा उनके द्वारा प्रतिधारित किया जाना है।

1.41 एस सी एम ई से संदर्भित कमानों की स्टॉक विवरण रिपोर्ट की जाँच से पता चला कि एस सी एम ई के 21 श्रेणी-1 मदों में से, 18 मदों की कमी प्रतिशत 15 प्रतिशत से 98 प्रतिशत के बीच थी।

1.42 इसमें यह भी दर्शाया गया कि कोई भी थल सेना रिजर्व स्टॉक को नहीं रखा गया था क्योंकि क्षेत्रीय स्टॉक भी वांछित स्तर का नहीं था। उत्तर में, डिटैचमेंट सी ओ डी 'एन' ने कहा कि डिपों में केवल चलित स्टॉक को रखा गया था और रिजर्व पूरे भंडार की प्राप्ति के बाद ही रखा जाएगा।

1.43 लेखापरीक्षा ने प्राधिकृत किए जाने की तुलना में कम एससीएमई मदों को जारी करने के कारणों और सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के तरीके के बारे में पूछा। यूनिटों ने बताया कि उच्च गठन/कमांड/एमजीओ शाखा द्वारा जारी किए गए रिलीज ऑर्डर के आधार पर मद जारी किए गए थे। इस प्रकार, रिलीज ऑर्डर स्वयं प्राधिकृत किए जाने के अनुरूप नहीं थे। इस लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर मंत्रालय ने कोई उत्तर नहीं दिया था।

1.44 मंत्रालय ने अपने की- गई- कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत जानकारी दी:-

"(एक) रिजर्व में कमी यूनिटों की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करता है।

(दो) ओएफबी द्वारा आपूर्ति नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप होने वाली कमियों को एनएओसी प्राप्त करके और ट्रेड से अधिप्राप्ति करके कम कर दिया गया है। इसके अलावा, आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तब जब एक्स सेन्ट्रल सोर्सेज से आपूर्ति विलम्बित होती है, तो स्थानीय स्तर पर खरीद की जाती है ।

(तीन) लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई कमी कुल प्राधिकृत में से है, जिसमें बनाए रखा जाने वाला 100% रिजर्व भी शामिल है। यदि रिजर्व को घटा दिया जाए तो सैन्य टुकड़ियों के लिए उपलब्धता प्रतिशत दुगुना हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप यह प्रदर्शित होगा कि सैन्य टुकड़ियों की आवश्यकता की पूर्ति कर दी गई है। यह भी नोट किया जाए कि नोट किए गए स्टॉक में तैनात सैन्य टुकड़ियों के पास पहले से ही मौजूद स्टॉक के मद शामिल नहीं है। आर्डिनेंस एरालान के पास स्टॉक भविष्य के इंडक्सन के लिए है।

(चार) लेखापरीक्षा द्वारा रिपोर्ट की गई कमियां अल्पकालिक प्रवृत्ति की होती है क्योंकि अधिप्राप्ति हमेशा एक गतिशील रहने वाली प्रक्रिया है।"

स्व जीवन समाप्त/अप्रचलित सामान का निर्गम एंव स्टॉकिंग

ग. स्व जीवन समाप्त मदों का निर्गम

1.45 लेखापरीक्षा ने नोट किया कि डीईटी सीओडी 'एन' ने जून,2018 में महानिदेशक आयुध सेवाओं को यह सूचना दी थी कि कुछ एससीएमई मदों की उपयोग की मियाद समाप्त हो चुकी है । एएचक्यू द्वारा जारी आदेशों की प्राप्ति के बाद डीईटी सीओडी 'एन' द्वारा ₹43.60 लाख मूल्य की श्रेणी-दो के अंतर्गत आने वाले जीवन रक्षक एवं आवश्यक मदों को जारी किया जिनकी मियाद समाप्त हो चुकी थी । इसके अतिरिक्त, ₹30.31 लाख मूल्य का सामान उपयोग की मियाद समाप्ति तिथि पूरी हो जाने के बाद स्टॉक में पड़ा था ।

1.46 एफओडी 'सी' की लेखापरीक्षा में पता चला कि फायर स्टार रिफिल ट्यूब 150 ग्राम (4712 संख्या) डीईटी सीओडी 'एन' से अक्टूबर 2012 में प्राप्त किया था । एफओडी'सी' ने एचक्यू 'जेड' कॉर्प को फायर स्टार रिफिल की समाप्ति की स्थिति के बारे में सूचित किया। समाप्त 6025 संख्या के संदर्भ में, एफओडी 'सी' ने यूनिटों को 551 की संख्या जारी किया की तथाशेष 5,474 जुलाई, 2018 तक स्टॉक में थे। लेखापरीक्षा में समाप्त मियाद वाली मदों को भारी मात्रा में जारी किए जाने का कारण पूछा गया।

1.47 डीईटी सी ओ डी 'एन' द्वारा अक्टूबर, 2018 तक कोई उत्तर नहीं दिया गया था। तथापि, उत्तर एफओडी 'सी' ने जुलाई 2018 में एक उत्तर में बताया कि डिपो केवल सोपानक भण्डारण था डिपो की सभी प्राप्तियाँ/ निर्गम उच्च संरचनाओं द्वारा जारी आदेशों पर आधारित होता है।

1.48 इसके अलावा, मंत्रालय ने अपने की- गई- कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत जानकारी दी:-

"उपकरण के उपयोग के लिए शेल्फ लाइफ केवल एक दिशानिर्देश है, तथापि इसका अर्थ यह नहीं है कि शेल्प लाइफ की अवधि समाप्त होने के पश्चात उपकरण की तुरन्त डाउन-ग्रेडेशन की जाए। इस सिद्धांत का गोलाबारूद जैसे संवेदनशील मदों सहित सभी युद्ध-जैसे स्टोर्स के लिए पालन किया जाता है जहां शेल्फ लाइफ को लाभदायक उपयोग के लिए बार-बार विस्तारित किया जाता है।

(दो) हालांकि, इन मदों की शेल्फ लाइफ भले ही समाप्त हो गई हो लेकिन इनकी उपयोग अवधि अब भी शेष रहती है तथापि, इन मदों को कमान मुख्यालय द्वारा सूचित कमी के अनुसरण में जारी किया गया था ।

(तीन) विचाराधीन मद की खरीद पिछले अपव्यय अनुभव पर आधारित थी। चूंकि भविष्य की अपव्यय की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, इस मामले में बाद के उपयोग कम थे। इसके विपरीत, शेल्फ लाइफ समाप्त होने के डर से खरीद में बाधा डालने से गंभीर परिस्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए भंडारण से इंकार किया जा सकता है।

(चार) शेल्फ लाइफ समाप्त होने के पश्चात स्टोर किए गए मदों को हटाने के लिए कोई नीति नहीं है।

(पांच) राज्य के लिए न तो कोई गलत प्रावधान/खरीद हुई है और न ही कोई नुकसान हुआ है।

(छह) <u>आंतरिक नियंत्रण सहित प्रणाली और प्रक्रियाओं में सुधार</u>

एक केन्द्रीय डाटाबेस पहले ही तैयार किया जा चुका है और सीआईसीपी चरण-दो के भाग के रूप में रखा गया है। सीआईसीपी के चरण-दो के पूरा हो जाने पर सभी यूनिटों को केन्द्रीयकृत इन्वेंट्री प्रबंधन कार्यक्रम के दायरे में कवर किया जाएगा।"

1.49 इस संबंध में, समिति ने सीआईसीपी की समय-सीमा जानना चाही, जिसके संबंध में मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:-

"सीआईसीपी (रि-क्रिस्टेन्डेट सीआईसीजी) के पहले दो चरण पूरा हो चुके हैं और अब सीआईसीपी का केवल अन्तिम चरण शेष है। तीसरे चरण के पूरा होने पर अखिल भारतीय मांग सूची दृश्य हो जाएगी। पीएसी की बैठक के दौरान सीडीएस द्वारा दिए गए ब्रीफ के अनुसार, वर्तमान में सुरक्षा संबंधित आवश्यकताओं को देखा जा रहा है। इसके पूरा होने की संदर्शी समय-सीमा एओएन होने से 41 माह है।"

1.50 इस संबंध में, यह पूछे जाने पर कि सीआईसीपी का दूसरा चरण कब पूरा किया जाएगा, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"सीआईसीपी का दूसरा चरण पहले ही शुरू किया जा चुका है और यह परियोजना जुलाई 2025 तक 'प्रचालन और अनुरक्षण चरण' में है।"

1.51 यह पूछे जाने पर कि तृतीय चरण अर्थात अखिल भारतीय माल सूची दृश्यता के पूरा होने के बाद क्या लाभ प्राप्त होने जा रहे हैं , इस चरण को कब पूरा किया जाएगा, मंत्रालय ने उत्तर में निम्नवत बताया:-

" सीआईसीपी के तीसरे चरण के पूरा होने के बाद, सभी आयुध माल सूची रखने वाले एशलान और क्षेत्र विरचनाओं के मुख्यालयों को मंडल स्तर तक स्वचालित किया जाएगा और जोड़ा जाएगा। जैसा कि सचिव डीएमए ने पीएसी को मौखिक साक्ष्य के दौरान बताया, तीसरे चरण के पूरा होने से देश भर के विभिन्न डिपो में रखी गई इन्वेंट्री की अत्यधिक दृश्यता मिलेगी। परिणामस्वरूप, विभिन्न क्षेत्रों के बीच माल सूची के युक्तिकरण और चरण प्रबंधन को प्राप्त किया जाएगा।"

1.52 समिति ने यह जानना चाहा कि एक स्वचालित माल सूची प्रबंधन के अभाव में, रक्षा मंत्रालय/सेना विशाल माल सूची का प्रबंधन कैसे कर रही थी। समिति ने कुशल माल सूची प्रबंधन की कमी पर मंत्रालय की टिप्पणियाँ भी मांगी, जो व्यवस्थित कमी की ओर इशारा करती है। मंत्रालय ने उत्तर में निम्नवत बताया :

"सीआईसीपी से पहले, मालसूची के ऑटोमेशन को एक अनुकूलित दृष्टिकोण के माध्यम से प्रबंधित किया जा रहा था। सीआईसीपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) प्लेटफॉर्म पर आधारित एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण की दिशा में एक क्रमिक कदम है। अनुकूलित दृष्टिकोण में आने वाली चुनौतियों ने सीआईसीपी को जन्म दिया। सीआईसीपी का आगमन पिछले एक दशक में भारत में डेटा नेटवर्किंग के प्रसार के साथ हुआ है।"

घ. एबीओ डी 'बी' में मियाद की अवधि समाप्त मदों की होल्डिंग

1.53 एडवांस बेस ऑर्डिनेंस डिपो (ए बी ओ डी 'बी') में ₹4.59 करोड़ मूल्य की मियाद की अवधि समाप्ति वाले 19 मदों की भारी मात्रा रखी थी। शेल्फ लाइफ के अंदर ही मदों को जारी नहीं किए जाने के बारे में इंगित किए जाने पर यह सूचित किया गया कि ईसीसीएंडई एवं एससीएमई भंडार की प्राप्ति एवं निर्गम के लिए एबीओडी'बी' एक प्रमुख एजेंसी थी तथा उसमें जारी आदेशों के अनुसार मदे रखी थी। तथ्य यह है कि ₹4.50 करोड़ मूल्य की ईसीसीएंडई मदों का उनके शेल्फ लाइफ के भीतर प्रयोग नहीं किया गया।

1.54 मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि शेल्फ लाइफ केवल एक दिशानिर्देश है तथा मदों को उचित भंडारण स्थान में ठीक से तथा उपयोगी स्थिति में रखा गया था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने बताया कि मदों को लाभकारी उपयोग हेतु एचक्यूएनसी को स्थानांतरित किया गया था।

1.55 समिति ने मौखिक साक्ष्य के दौरान बताया कि यदि मदों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने की आवश्यकता थी, तो रिकार्ड्स आदि को तदनुसार संशोधित किया जाना चाहिए था और यह कि मदों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए परिस्थिति के मूल्यांकन के लिए सुनिर्धारित सिद्धांत होने चाहिए । उत्तर में, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"शेल्फ लाइफ समाप्त होने के तुरन्त बाद किसी भी स्टोर को नष्ट करने की कोई नीति नहीं है। शेल्फ लाइफ उपकरण के उपयोग के लिए केवल एक दिशानिर्देश है और इसका आशय यह नहीं है कि उल्लिखित आरम्भिक शेल्फ लाइफ के अन्त के बाद उपकरण तुरन्त ही डाउन-ग्रेड हो जाता है । इस सिद्धांत का गोलाबारूद जैसी संवेदनशील मदों सहित सभी युद्ध जैसे स्टोर्स जहां उपयोग अवधि की समाप्ति तक लाभप्रद उपयोग हेतु शेल्फ लाइफ को बार-बार बढ़ाया जाता है और

विस्तृत रिकार्ड रखा जाता है, के लिए पालन किया जाता है । शेल्फ लाइफ का निर्धारण एक सुस्थापित और दस्तावेजीकृत प्रक्रिया है । उपभोग्य मदों के मामले में प्रक्रिया कम संरचित हो सकती है तथापि, बेहतर रिकार्ड व्यवस्था के लिए अतिरिक्त उचित जांच व्यवस्था स्थापित की जा रही है ।"

1.56 जब समिति ने शेल्फ लाइफ के विस्तार के लिए एएचक्यू स्वीकृति प्राप्त करने के बाद सीओडी द्वारा बड़ी मात्रा में समाप्त शेल्फ-लाइफ वाले जीवन रक्षक उपकरण और आवश्यक वस्तुओं को रोकने और जारी करने के कारणों के बारे में जानना , मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"लेखापरीक्षा अवलोकन पांच एचएसीई मदों (फायर स्टार कुकर, फायर स्टार 150 ग्राम ट्यूब, ऑक्सीजन सिलेंडर, मैट्रेस कपोक-दो और बूट कॉम्बैट आरडब्ल्यू) के संबंध में है। शेल्फ लाइफ एक समाप्ति तिथि नहीं है क्योंकि शेल्फ लाइफ सामान्य परिस्थितियों में भंडारण की अवधि से संबंधित है, जिसकी शुरुआत में आपूर्तिकर्ता द्वारा गारंटी दी जाती है। किसी वस्तु की उपयोग अवधि शेल्फ लाइफ से अलग होती है और यह किसी वस्तु के उपयोग की शुरूआत से शुरू होती है। शेल्फ लाइफ इन्वेंट्री प्रबंधन उद्देश्यों के लिए एक दिशानिर्देश है और इसका आशय उल्लिखित आरंभिक शेल्फ लाइफ की समाप्ति पर इसे नष्ट करना नहीं है क्योंकि इससे भंडार किए जाने पर इन्वेंट्री प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इन्वेंट्री तेजी से आगे नहीं बढ़ती है। गोला-बारूद जैसे संवेदनशील मदों सहित सभी युद्धक भंडारों के लिए शेल्फ लाइफ विस्तार के सिद्धांत का पालन किया जाता है। पूर्ण उपयोग अवधि के दोहन के लिए अधिकारियों की बैठक और एक सर्वेक्षण और कंडीशनिंग बोर्ड द्वारा शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाता है और विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाता है। केवल उपयोग योग्य पाए गए सामान/उपकरण सैन्य टुकड़ियों को जारी किए जाते हैं और शेल्फ लाइफ प्रबंधन के कारण देश को कोई नुकसान नहीं होता है।"

1.57 समिति ने यह जानना चाहा कि यदि शेल्फ लाइफ एक एक्सपायरी डेटा नहीं है और केवल माल सूची प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश है, तो सेना/सीओडी में किसी वस्तु की एक्सपायरी कैसे निर्धारित की जाती है। उत्तर में, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"किसी वस्तु की एक्सपायरी की घोषणा तब की जाती है जब वह अधिकारियों के अर्हक बोर्ड द्वारा उचित निरीक्षण के बाद संक्रियात्मक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है।"

1.58 यह पूछे जाने पर कि एबीओडी के पास बड़ी मात्रा में उपयोग अवधि समाप्त गद्दे कपोक-दो के उपयोग/निपटान की वर्तमान स्थिति क्या है, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"ऑडिट रिपोर्ट में उल्लिखित कुल संख्या अर्थात 10,983 को वर्ष 2019 में उत्तरी कमान को जारी किया गया है और उनका लाभकारी उपयोग किया गया।"

1.59 यह पूछे जाने पर कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए रक्षा मंत्रालय ने क्या कार्रवाई की है, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"एडीपी (एसएपी) और सेंट्रल इन्वेंटरी कंट्रोल ग्रुप (सीआईसीजी) के माध्यम से स्वचालित इन्वेंट्री प्रबंधन जब पूरी तरह से लागू हो जाएगा तब बेहतर शेल्फ लाइफ प्रबंधन होगा।"

(दो). एच ए सी ई मदों का प्रावधान एवं अधिप्राप्ति

1.60 रखे जाने वाले स्टॉक की मात्रा का आकलन करने के लिए एच ए सी ई मदों की प्रावधान समीक्षा प्रतिवर्ष की जाती है। इन स्टॉक को मासिक रखरखाव आंकड़े (एम एम एफ) के नाम से परिभाषित किया जाता है तथा यह अधिप्राप्त की जाने वाली मात्रा को निर्धारित करने में मदद करता है। श्रेणी-1 एस सी एम ई मदों (पूर्व आयात) की प्रावधान समीक्षा एम जी ओ की शाखा के उपकरण प्रबंधन निदेशालय (ई एम डी टी ई) द्वारा किया जाता है। श्रेणी –दो एस सी एम ई एवं ई सी सी एवं ई मदों की प्रावधान की समीक्षा एम जी ओ की शाखा में केंद्रीय आयुध डिपो (सी ओ डी) 'एन', आयुध सेवाएं निदेशालय द्वारा की जाती है। तथापि, समिति द्वारा जांच कार्य पूरा करने के बाद, सेना ने अब सूचित किया है कि वर्तमान में, एमजीएस शाखा में एससीएमई अनुभाग द्वारा श्रेणी- । एससीएमई वस्तुओं| (पूर्व-आयात) की प्रावधान समीक्षा की जाती है।

1.61 एम जी ओ की अध्यक्षता में पूर्व आयात मदों की खरीद विशेष रूप से अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जाती है। एम जी ओ शाखा के आयुध सेवाएं निदेशालय (ओ एस डी टी ई) द्वारा आयुध निर्माणियां एवं खुले बाजार से स्वदेशी मदों की अधिप्राप्ति की जाती है। तथापि, समिति द्वारा जांच कार्य पूरा करने के बाद, सेना ने अब सूचित किया है कि

वर्तमान में, 2 करोड़ से अधिक एओएन मूल्य वाली पूर्व- आयात सहित सभी वस्तुओं की खरीद एससीएमई अनुभाग द्वारा की जाती है, जबकि 2 करोड़ से कम एओएन मूल्य वाली स्वदेशी वस्तुओं की खरीद सीओडी कानपुर द्वारा डीएफपीडीएस 2021 के अनुसार की जाती है।

1.62 अपनी पृष्ठभूमि टिप्पण में, मंत्रालय ने खरीद की प्रक्रिया का विवरण देते हुए निम्नवत जानकारी दी:-

"सेना मुख्यालय में मास्टर जनरल ऑफ आर्डिनेंस(एमजीएस) के अंतर्गत आयुध सेवा महानिदेशालय (डीजीओएस) अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कपड़ों तथा उपस्कर मदों के साथ-साथ सभी स्टोर की प्रोविजिनिंग, खरीद, प्राप्ति, भंडारण, लेखाकरण एवं निर्गम के लिए उत्तरदायी है । केवल एससीएमई-श्रेणी एक मदों, जिनकी खरीद आयात के माध्यम से की जाती है, की प्रोविजिनिंग मास्टर जनरल आर्डिनेंस (एमजीओ) के अधीन उपस्कर प्रबंधन निदेशालय (ईएम) के द्वारा की जाती है । सभी आयातित मदों अर्थात श्रेणी-एक एवं श्रेणी-दो की खरीद का अनुमोदन उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाता है, जिसका गठन एमजीओ की अध्यक्षता में विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए किया जाता है ।एससीएमई वस्त्रों की विशेष वस्तुओं की आयात निर्भरता के कारण स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से इन विशिष्ट वस्तुओं को विकसित करने का ठोस प्रयास किया गया है। भारतीय विनिर्माता आगे आए हैं और उन्हें गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके। भारतीय निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलने से भारत में तकनीकी कपड़ों के अतिरिक्त निर्माता आगे आए हैं। यह अत्यधिक ठंडे जलवायु परिस्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए उच्च एससीएमई वस्तुओं की समय पर खरीद सुनिश्चित करेगा ।

माइनस 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे कम तापमान में 12000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों (एसएचएए) में तैनात सैनिकों की उत्तरजीविता तथा संक्रियात्मक प्रभावकारिता के लिए आवश्यक एससीएमई मदों की खरीद एक संशोधित अधिप्राप्ति प्रकिया के मार्फत की जाती है । खरीद में शामिल विशेषताएं निम्नवत हैं :

(क) पूरे विश्व में न तो किसी सैन्य ग्रेड उपस्कर का विनिर्माण किया जाता है अथवा न ही यह आसानी से उपलब्ध है। पर्वतारोहण से जुड़े उपस्करों का

उत्पादन करने वाली फर्में भारतीय सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने आपको अनुकूल बना लेती हैं अथवा नियमित उत्पाद मुहैया कराती हैं। अपेक्षित परिणाम अर्थात संक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक उपस्कर/वस्त्र की प्रभावकारिता प्राप्त करने के लिए उत्पादों में स्वामित्व /अथवा विभिन्न प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाता है ।

(ख) प्रभावकारिता का निर्धारण प्रयोक्ता परीक्षणों के द्वारा किया जाता है और यह खरीद प्रक्रिया का प्रथम चरण है ।

(ग) विंटेज, प्रौद्योगिकी अथवा अन्य घटकों का संदर्भ लिए बगैर प्रभावकारिता के लिए प्रयोक्ता द्वारा अनुमोदित सभी आपूर्तिकर्ताओ के बीच, एल-1 आधार पर सरकारी नीति के अनुसार निविदा दी जाती है । प्रयोक्ता के द्वारा एक बार चयनित किए गए मद को केवल प्रयोक्ता द्वारा अप्रभावी घोषित किए जाने पर ही हटाया जा सकता है ।

(घ) सभी गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) प्रक्रियाओं का अभिकल्पन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि ज्यादा मात्रा में आपूर्तियों में प्रयोक्ता अनुमोदित नमूने से विचलन न हो ।

खरीद प्रक्रिया में शामिल एजेंसियां तथा उनकी भूमिकाएं निम्नानुसार हैं :

(क) प्रयोक्ता अर्थात सेना - सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (सीएफए) के तौर पर उपस्कर अथवा वस्त्र का चयन और उनकी खरीद

(ख) गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) – यह सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन करना कि अधिक मात्रा में आपूर्तियां प्रयोक्ता अनुमोदित नमूनों से सुमेलित हों ।

(ग) रक्षा मंत्रालय (वित्त) – खरीद प्रक्रिया के दौरान वित्तीय विवेकशीलता तथा सलाह।

विस्तृत खरीद प्रक्रिया निम्नवत है :

(क) अपेक्षित मदों की मांग रक्षा अधिप्राप्ति पोर्टल पर आरएफआई/आरएफपी प्रकाशन के जरिए की जाती है । स्वतः एनसीएनसी (कोई लागत नहीं कोई प्रतिबद्धता नहीं) पर आधारित प्रदत्त उपस्कर स्वीकार करने वाली पिछली पद्धति को बंद कर दिया गया है ।

(ख) प्रत्याशित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत नमूनों को एससीएमई क्षेत्रों में तैनात किए गए सैनिकों को वास्तविक संक्रियात्मक दशाओं के अंतर्गत प्रयोक्ता परीक्षणों के लिए भेजा जाता है।

(ग) डीजीक्यूए द्वारा प्रत्येक प्रयोक्ता अनुमोदित मद के लिए पृथक व्यक्तिगत तकनीकी विनिर्देश तैयार किए जाते हैं ।

(घ) प्रत्येक बोलीकर्ता अपनी विशिष्ट प्रयोक्ता अनुमोदित मद के लिए बोली लगाता है, न कि पूर्व-निर्धारित अथवा साझा तकनीकी विनिर्देशों के लिए ।

(ड.) तत्पश्चात दो बोली प्रणाली पर साधारण सामान्य वित्तीय नियमावाली (जीएफआर)/ रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल (डीपीएम) आधारित खरीद प्रक्रिया का पालन किया जाता है । खरीद निर्णय प्रौद्योगिकी अथवा वाणिज्यिक मानकों के साथ बगैर किसी सह-संबंध के एल-। आधार पर लिया जाता है ।

(च) डीजीक्यूए ज्यादा मात्रा में सुपुर्दगी चरण पर प्रयोक्ता अनुमोदित नमूना से शून्य विचलन सुनिश्चित करने के लिए उत्तदायी है जिसे डीजीक्यूए प्रत्येक विक्रेता के लिए संबंधित स्वीकृति परीक्षण प्रक्रिया (एटीपी) के अनुसार विस्तृत गुणवत्ता आश्वासन के जरिए प्राप्त करता है ।

(छ) एमजीओ की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त समिति के द्वारा सभी खरीद संबंधी निर्णयों पर विचार-विमर्श किया जाता है, उनकी अभिपुष्टि एवं मानीटरिंग की जाती है।

1.63 समिति द्वारा प्रक्रिया की समीक्षा करने और खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया :

"(क) दिनांक 6 अक्तूबर 2020 को पीएसी के समक्ष मौखिक साक्ष्य के दौरान यह बताया गया कि डीएमए के कार्यालय का सृजन, वर्ष 2020 में अधिप्राप्ति प्रक्रिया का परिष्करण, आयुध निर्माणियों के निगमीकरण के माध्यम से बेहतर क्षमता लाने, आयुध निर्माणियों से वस्त्रों एवं इसके समान मदों को व्यापार क्षेत्र तक लाने और वित्तीय शक्तियों का अधिक प्रत्यायोजन समयबद्ध रक्षा अधिप्राप्ति के प्रमुख अन्तरों को समाप्त करने के लिए पहले से उठाए गए सभी सकारात्मक कदम हैं ।

(ख) एचएसीई के लिए समयबद्ध अधिप्राप्ति हेतु विशिष्ट जैसाकि मौखिक साक्ष्य के दौरान उल्लिखित है, कि सरकार ने दीर्घकालिक अधिप्राप्ति समय-सीमा के लिए किसी निर्धारित समय पर तीन से पांच वर्ष की आवश्यकता की अधिप्राप्ति की स्वीकृति प्रदान की थी । इसका अर्थ यह है कि उत्तरवर्ती संविदाओं के बीच अन्तर हो सकता है, अतः इसे अधिप्राप्ति में विलम्ब के रूप में नहीं देखा जा सकता है क्योंकि प्रत्येक संविदा तीन वर्ष की आवश्यकता की उपलब्धता प्रदान करती है । उत्तरवर्ती संविदा में लगे समय के बावजूद भी कोई कमी नहीं रही है । इसके अलावा, सभी अधिप्राप्तियों के लिए एक समान समय-सीमा नहीं हो सकती है । नए स्रोतों को चिन्हित करने के लिए प्रकाशित टेंडरों में ट्रायल शामिल होते हैं और इस प्रकार पिछली आपूर्तियों से सुनिश्चित आपूर्तियों के लिए प्रकाशित समय-सीमा की तुलना में अधिक समय लगता है।

(ग) इसके बावजूद, जैसाकि प्रस्तुत किया गया है, पिछले पांच वर्षों में अधिप्राप्ति समय-सीमा को 50% तक घटाया गया है और आगे इसे इससे भी कम करने के लिए निरन्तर रूप से ध्यान दिया जाएगा ।"

1.64 सभी अर्जनों की स्थिति जिसमें राशन, आवास एवं विशेष वस्त्र मदों के लिए आवश्यकता हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है जिससे उन स्तरों की पहचान करने में मदद मिलती है जहां पर अधिप्राप्ति प्रक्रिया अक्सर अवपथन हो जाती है और सबसे महत्वपूर्ण रूप से, उन मामलों की पहचान करने में जो निर्धारित समयसीमा से पीछे रह जाते हैं, के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"राशन हेतु संविदाओं को एक निश्चित अधिप्राप्ति योजना के अनुसार योजनाबद्ध किया जाता है एवं निष्पादित किया जाता है जो पूरे वर्ष प्रत्याशित उपभोग पर आधारित होता है। खाद्य मदों की अनुमानित शेल्फ लाइफ को विधिवत रूप से शामिल करते हुए समयोचित अधिप्राप्ति को सदैव सुनिश्चित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राशनों की केन्द्रीय अधिप्राप्ति से संबंधित आंकड़ों के अनुसार 31 मामलों में आवश्यकता हेतु स्वीकृति (एओएन) प्रदान की गई थी, जिसमें से 14 मामलों में संविदा की गई, 12 मामले वाणिज्यिक वार्ता समिति (सीएनसी) चरण में हैं और 05 मामले तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) चरण में हैं ।

संक्रियात्मक कार्य सामान्य रूप से राजस्व शीर्ष के जरिए पूरे किए जाते हैं और इस प्रक्रिया के विशेष प्रावधान हैं जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आवास सहित अवसंरचना के सृजन के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में न्यूनतम विलंब को सुनिश्चित करते हैं । मौजूदा वित्तीय वर्ष में, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैन्य टुकड़ियों की आवासीय दशाओं में सुधार के लिए ठोस उपाय किए गए हैं । उत्तरी सीमा क्षेत्रों पर बढ़ते तनाव के चलते विशेष रूप से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के फारवर्ड क्षेत्रों में अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियों को शामिल किए जाने की अनिवार्यता है । इस संक्रियात्मक आकस्मिकता की ऐसी दुर्गम क्षेत्रों एवं जलवायवीय दशाओं में शामिल किए गए मौजूदा एवं अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियों दोनों के लिए अतिरिक्त आवासीय अवसंरचना सृजित करने की आवश्यकता है । छह माह की अवधि में, शीतकाल की शुरूआत से पहले 500 करोड़ रुपए का व्यय प्री-फ्रेब्रिकेटिड माडुलर-शेल्टर्स सहित प्राकृतिक वास बनाने पर खर्च किया गया और जिससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैन्य टुकड़ियों की आवासीय दशाओं में सुधार किया जा सके।

विशेष कपड़े एवं पर्वतारोहण उपस्कर (एससीएमई) मदों से संबंधित वर्ष 2019 एवं 2020 (अक्तूबर, 2020 तक) के लिए 24 मामलों हेतु सुनिश्चित आपूर्ति हेतु आवश्यकता हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी । इनमें से, 22 मामलों में संविदा की गई थी, 2 मामले संविदा विधीक्षा/अनुमोदन स्तर में हैं। इसके अलावा, 16 मामलों में सुपुर्दगी का कार्य पूर्ण/अंशतः पूर्ण हो गया है ।"

1.65 अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) के गठन के बावजूद, अधिप्राप्ति में काफी विलंब देखा गया। अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाने और समय-सीमा को कम करने के लिए क्या पहल/कार्रवाई/उपाय शुरू किए गए हैं, के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"अधिप्राप्ति में देरी पर लेखापरीक्षा टिप्पणी वर्ष 2011 से 2015 की अवधि के दौरान आपूर्ति के नए स्रोतों को चिन्हित करने के लिए पांच वैश्विक निविदाओं के आधार पर की गई थी। इनमें से किसी भी मामले ने सुनिश्चित आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित नहीं किया। प्रत्येक मामले की प्रगति पर विस्तृत समय-सीमा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई थी। तकनीकी विशिष्टताओं को तैयार करने के

लिए चार मामलों में लिया गया समय 17 से 24 महीने तक की अवधि का था और पांचवें मामले में, पुन: परीक्षण किया जाना था क्योंकि विक्रेता ने तकनीकी विशिष्टताओं को तैयार करने के दौरान मूल कच्चे माल को बदल दिया था। ऊपर उल्लिखित गया विक्रेता आधार को विस्तृत करने के लिए टेंडर के सम्मुख सुनिश्चित आपूर्ति के लिए नियमित खरीद में केवल छह से आठ महीने लगते हैं। तकनीकी विशिष्टताओं को समयबद्ध तरीके से तैयार करने की आवश्यकता को पहले ही स्वीकार कर लिया गया है और यह एक ऐसा कार्यकलाप है जिस पर अब ईसी द्वारा बारीकी से निगरानी की जाती है। ईसी ने ऐसा कार्यकलाप प्राधिकरण के अनुसार और समयबद्ध तरीके से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले वस्त्र और उपकरण प्रदान करके वर्ष में अपने अधिदेशित वर्ष की आवश्यकताओं को पूरा किया है और वर्ष 2020 के साथ, 2021 में उत्तरी सीमाओं पर 60,000 से अधिक सहायता प्रदान की गई है । वर्ष में ईसी द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों से पिछले पांच वर्षों में अधिप्राप्ति समय-सीमा 50% तक कम हुई है । इसके बावजूद, अधिप्राप्ति समय सीमा के और अनुकूलन हेतु निरंतर प्रयास बना हुआ है."

1.66 अधिप्राप्ति में 'नीतिगत' विलंब को कैसे दूर किया जा सकता है, इस बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया :-

"पूंजीगत और राजस्व प्रकृति दोनों के महत्वपूर्ण उपस्करों की अधिप्राप्ति में तेजी लाने के लिए सेवाओं को विभिन्न सक्षम प्रावधान और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रदान किया गया है। पूंजीगत अधिप्राप्ति के लिए, नयी रक्षा अर्जन प्रक्रिया वर्ष 2020 में जारी की गयी थी और राजस्व अधिप्राप्ति के लिए, डीएफपीडीएस - 21 हाल ही में जारी किया गया है। रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली - 2009 को भी संशोधित किया जा रहा है और यह रिलीज़ के अंतिम चरण में है।"

(क) वार्षिक प्रावधान समीक्षा (ए पी आर) में अनुमानित त्रुटिपूर्ण मात्रा के संबंध में आदेश का गैर नियोजन

1.67 डी पी एम 2009 में अनुबंधित दो बोली प्रणाली के तहत अधिप्राप्ति के लिए समय सीमा के अनुसार, मांगपत्र की प्राप्ति से संविदा के हस्ताक्षरित किए जाने की बीच की अवधि 23 सप्ताह, यानि कि छः माह होती है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सक्षम

वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रावधान समीक्षा के बाद मांगों को मंजूरी दे दी गई थी परंतु आपूर्तियों के लिए निविदा एक से तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने नोट किया कि कई वर्षों के बाद भी अधिप्राप्ति निविदाओं के पूरा नहीं होने के कारण प्रावधान समीक्षा का उद्देश्य निष्फल हो गया।

1.68 मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि ए पी आर एक जल्दी जल्दी होने वाली प्रक्रिया है क्योंकि प्रावधान समीक्षा 33 महीनों तक चलती है और निविदा हस्ताक्षरित होने में एक से दो वर्ष का समय लग जाता है और इससे मदों की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह भी बताया गया कि वर्तमान में प्रक्रिया में रखी गई डी पी एम समीक्षा में अधिप्राप्ति हेतु समयसीमा की समीक्षा का मामला रखा गया था वह वर्तमान में प्रक्रिया में है।

1.69 आगे, मंत्रालय ने की- गई- कार्रवाई टिप्पण में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की :-

> "विलम्ब की गणना डीपीएम में दी गई समय-सीमा की तुलना में की गई है जबकि एचएसीई अधिप्राप्ति 3 से 5 वर्ष की समय-सीमा का पालन करता है ।
>
> (दो) लेखापरीक्षा ने डीपीएम में दी गई अधिप्राप्ति समय-सीमा की तुलना में विलम्ब को परिमाणित किया है तथापि, एचएसीई को दिनांक 15 जुलाई 2010 की भारत सरकार की स्वीकृति सं.22(2)/07/रक्षा(आयुध-I) और दिनांक 3 फ़रवरी 2017 के बी/82253/विविध/एमजीओ/ईएम/विशेष वस्त्र)/रक्षा(आयुध-I)/2017 के तहत उल्लिखित विशेष प्रावधानों के तहत अधिप्राप्त किया गया था । इससे लम्बी अधिप्राप्ति समय-सीमा और अधिप्राप्ति की विशिष्टताओं के समाधान के लिए 3 से 5 वर्ष की अधिप्राप्ति आवश्यकता की अनुमति प्राप्त होती है । 3 से 5 वर्ष की अधिप्राप्ति हेतु जीएसएलएस प्राधिकार संलग्न है ।
>
> (तीन) अधिप्राप्ति समय-सीमा को कम करने के लिए निरन्तर प्रयास रहता है जिसके कारण पिछले पांच वर्षों की अवधि में औसत अधिप्राप्ति समय-सीमा में 50% तक की कमी आई है ।"

(ख). बूट एम पी का अपर्याप्त प्रावधान

1.70 बूट मल्टीपर्पस (बूट एम पी) का उपयोग सैनिकों द्वारा दुर्गम इलाकों तथा अत्यधिक ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में किया जाता है। यह माइनस 55^{O}C तापमान तक की ठंड से पैर की सुरक्षा करता है। यह अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के

लिए एस सी एम ई श्रेणी-1 मदों के रूप में अधिकृत है। बूट एम पी का प्राधिकरण सेना के लिए अप्रैल, 2005 में 'ओ' जोड़े और 'ओ' (रिजर्व) था जिसको संशोधित करके अप्रैल, 2017 में क्रमश: 'आर' जोड़े एवं 'आर' जोड़ कर दिया गया था।

1.71 एमजीओ की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मद की महत्ता का आवरण करने के लिए मैसर्स स्कार्प एसपीए इटली से एकल बोली (एस टी ई) पर 66,494 जोड़े बूट की अधिप्राप्ति हेतु संस्वीकृति (नवंबर 2013) दी गई। इसने आवश्यकता की जाँच करते हुए विक्रेता आधार को विस्तृत करने हेतु एक वर्ष का एएचक्यू रिजर्व सम्मिलित करते हुए वैश्विक निविदा जांच (जी टी ई) से 16,623 जोड़ों की अधिप्राप्ति की संस्वीकृति दी। बैठक के कार्यवृत में यह भी उल्लेख किया गया था कि रखी गई कुल 53,658 मद अक्टूबर 2015 तक चलेगी।

1.72 यह अनुबंध मार्च 2016 में फर्म के साथ बूट एम पी के 71,453 जोड़ों का यूरो 154.00 की दर से कुल यूरो 11.0 मिलियन की लागत पर संविदा की गई थी । कुल मात्रा की प्राप्ति सितंबर 2016 एवं फरवरी 2017 के बीच में हुई थी। मदों के पहले लॉट का प्रभार सितंबर 2016 में लिया गया तथापि मौजूदा स्टॉक की खपत अक्टूबर 2015 में अनुमानित की गई।

1.73 उपयुक्त संविदा मार्च 2016 के संदर्भ में बूट एम पी के 1,07,179 जोड़ों की कुल मात्रा मार्च 2018 तक प्राप्त की गई थी तथा संविदा में परिशिष्टों को दिसंबर 2016 एवं जून 2017 में जोड़ा गया था। सैनिकों के लिए मार्च 2018 तक आवश्यक मात्रा 'आर-1' जोड़े' थी, जिससे 30,203 जोड़े शेष थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि 30,203 जोड़ो का अनुमानित शेष 'आर' जोड़ों के ए एच क्यू रिजर्व से भी कम है। इस प्रकार, सैनिकों को नवंबर 2015 एवं सितंबर 2016 के बीच में बूट एमपी नहीं दिया जा सका।

1.74 लेखा परीक्षा ने सशक्त समिति द्वारा आवश्यकता की स्वीकृति की दिनांक के बाद 2 से 4 महीने बीत जाने के बाद भी संविदा किए जाने में हुए विलंब के लिए कारण मांगे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान बूट एमपी की आवश्यकता को पूरा करने हेतु की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में भी पूछा गया।

1.75 एम जी ओ ई एम निदेशालय ने सितंबर 2018 में कहा कि 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 की आवश्यकता को पूरा करने हेतु सशक्त समिति के एकल निविदा जांच

के तहत 1,36,895 जोड़ों एवं वैश्विक निविदा जांच के तहत 20,779 जोड़ो की अधिप्राप्ति हेतु आवश्यकता की स्वीकृति (ए ओ एन) अप्रैल 2017 में दे दी गई थी |

1.76 मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि संविदा करने में विलंब हुआ क्योंकि फर्म ने डी जी क्यू ए के साथ तकनीकी मानदण्डों पर कुछ मुद्दे उठाए थे जिनके समाधान में समय लगा। मंत्रालय ने स्वीकार किया कि बूट एम पी को 2016 के गर्मियों के महीने में उपलब्ध नहीं कराया जा सका, तथापि, प्रयोक्ताओं को पहले से सूचित कर दिया गया था, तथा उनके द्वारा उपलब्ध बूट का दोबारा प्रयोग करके आवश्यकता को पूरा किया गया।

1.77 मंत्रालय का उत्तर 2016 में आई बूट की कमी की पुष्टि करता है तथा इसकी पुष्टि करता है कि प्रयोक्ताओं को दोबारा उपलब्ध बूट पहनकर समझौता करना पड़ा था जो कि श्रेणी-I एससीएमई मद थे और उपयोग के बाद उन्हें उनके पास रखना था। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2017 में एओएन के जारी किए जाने के बावजूद मार्च 2019 तक 1,36,895 बूट एम पी निर्णीत नए निविदा के किए जाने के बारे में मंत्रालय शांत था।

1.78 इस संबंध में मंत्रालय ने अपने की- गई- कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया:-

"(i) लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान बूट एमपी में कोई कमी व्यक्त नहीं की गई । लेखापरीक्षा के विचारार्थ रिपोर्ट के प्रकाशन के पश्चात वर्ष-वार उपलब्धता नीचे दिए गए विवरण अनुसार दी गई है:-

वर्ष	वार्षिक	सैन्य टुकड़ियों को उपलब्धता		
		स्टॉक वित्तीय वर्ष की शुरुआत	निर्मुक्ति	कुल उपलब्धता
2015-16	24,751	19,424	6,000	25,424
2016-17	24,751	11,788	24,751	36,539
2017-18	38,229 (संशोधित)	12,094	31,451	43,545

2018-19	38,229	13,841	27,600	41,441
2019-20	26,761@	34,919	-	34,919

@ प्राधिकरण शक्ति का 70% संशोधन किया गया। सेवा योग्य होने तक पुन: उपयोग के लिए निर्धारित वस्तु।

(ii) प्रारंभिक प्रतिक्रिया कि जूतों को पुन: चक्रित किया गया था जो कि विस्तृत जाँच में सही नहीं पाया गया था। जाँच के लिए इसे लेखापरीक्षा को भी प्रदान किया गया है। इसके अलावा, सचिव डीएमए द्वारा पीएसी को मौखिक साक्ष्य के दौरान यह भी बताया गया कि ये जूते उच्च गुणवत्ता वाले हैं और बर्फ से ढके क्षेत्रों में बहुत लंबे समय तक उपयोग में रहते हैं। यह निर्णय लिया गया है कि इनका पुन: उपयोग किया जाएगा और अपव्यय से बचने के लिए सर्वोत्तम उपयोग किया जाएगा।"

1.79 जब समिति ने पूछा कि क्या पुनर्चक्रित जूते वैसे ही जूते थे जैसे नए होते हैं, तो मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया: -

"(क) जैसाकि सचिव डीएमए ने उल्लेख किया कि जूतें उच्च गुणवत्ता वाले हैं और बर्फ आच्छादित क्षेत्रों में यह लंबे समय तक उपयोग किए जा सकते है । यह निर्णय लिया गया है कि इनका पुनर्उपयोग किया जाएगा और बर्बादी से बचने के लिए इनका इष्टतम उपयोग किया जाएगा ।

(ख) पुनर्उपयोग हेतु भंडारों को पृथक करने के लिए एक उचित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है । अधिकारी मंडल द्वारा पुनर्चक्रण किए जा सकने वाले भंडारों की पहचान के लिए विस्तृत अनुबंधन किया जाता है । केवल उपयोग किए जा सकने वाले भंडारों का ही पुनर्उपयोग हो, इसे सुनिश्चित करने हेतु विधिवत ध्यान रखा जाता है । पुनर्उपयोग के लिए जारी किए जाने से पहले इन भंडारों को उचित रूप से साफ किया जाता है ।"

-

(iii). एच ए सी ई मदों की अधिप्राप्ति

1.80 वार्षिक प्रावधान समीक्षा में अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर, विभिन्न मदों की अधिप्राप्ति प्रक्रिया आरंभ की जाती हैं। अधिप्राप्ति का आरंभ में विक्रेताओं का चयन,

विनिर्देशों का सूत्रीकरण एवं प्रस्ताव के लिए अनुरोध की तैयारी (आर एफ पी) तकनीकी मूल्यांकन, वाणिज्यिक बोली तथा आई एफ ए/सी एफ ए स्वीकृति के बाद संविदा पर हस्ताक्षर किया जाता है। आर एफ़ पी द्वारा, आवश्यकतानुसार, स्पष्ट रूप से सपूर्वप्रेषण निरीक्षण (पी डी आई) तथा/या संयुक्त पावती निरीक्षण (जे आर आई) के लिए प्रदान किया जाना चाहिए। नई मदों के लिए, सेवा में प्रस्तुतीकरण हेतु मदों पर अंतिम निर्णय के लिए चयनित नमूनों का प्रयोक्ता परीक्षण किया जाता है।

1.81 एस सी एम ई मदों की फास्टट्रैक आधार पर अधिप्राप्ति के लिए एमजीओ की अध्यक्षता में सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के पूर्ण अधिकारों के साथ 2007 में ई सी का गठन हुआ, जो एक वर्ष के आदेश पत्र के साथ था। ई सी का सत्र अगस्त 2019 तक बढ़ाया गया।

1.82 लेखापरीक्षा में समय सीमा का पालन नहीं करने, आयुध निर्माणियों से भंडार की आपूर्ति में विलंब, प्रयोक्ता निरीक्षण में विलंब तथा नए प्रस्तावित मदों के मामलों में तकनीकी विशिष्टताओं के निर्माण जैसे मामले देखे गए।

क. पूर्व-आयात हेतु डीपीएम-2009 में उल्लिखित खरीद प्रक्रिया के लिए समय सीमा का पालन न किया जाना

1.83 रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली (डी पी एम) 2009 के अनुसार, दो बोली प्रणाली के तहत मदों की अधिप्राप्ति हेतु संविदा पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा वेटिंग/इंडेट के पंजीकरण के दिनांक से 23 सप्ताह है। लेखापरीक्षा ने देखा कि आयातित भंडार की अधिप्राप्ति प्राक्रिया में समयसीमा का पालन नहीं किया गया था।23 सप्ताह की अनुबंधित समय सीमा के संबंध में भंडार की अधिप्राप्ति में लगने वाला औसत समय चार मामलों में ए ओ एन की दिनांक के बाद चार वर्ष था एवं एक मामले में 2 वर्ष अधिक था। उत्तर में एम जी ओ ई एम निदेशालय ने कहा (अगस्त 2018) कि कई एजेंसियों की भागीदारी तथा प्रत्येक चरण में सशक्त समिति/सक्षम वितीय प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता वाली जटिल प्रक्रिया के कारण विलंब हुआ।

1.84 मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2019) कि तकनीकी विनिर्देशों के गठन में विलंब डी जी क्यू ए द्वारा देय परिश्रम तथा फर्म की तकनीकी विनिर्देशों के संबंध में सर्वसम्मिति पर आने/ प्रदान करने में असमर्थता के कारण हुआ।

1.85 इस संबंध में, मंत्रालय ने अपने पृष्ठाधार टिप्पण और की-गई-कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत जानकारी प्रस्तुत की: -

"..ईसी की अप्रभाविता पर लेखापरीक्षा के अवलोकन पर केवल पांच खरीद मामलों के चुनिंदा निष्कर्षों के आधार पर टिप्पणी की गई है जो मुख्य रूप से वैश्विक निविदा पूछताछ हैं। सफल अधिप्राप्तियों का ईसी अवधि के पूर्व एवं पश्च अवधि के दौरान संशोधनों और इस तथ्य कि ईसी 2008 से पूर्व दीर्घकालिक अधिप्राप्ति न होने जब सीएफए शक्तियां एमओडी में अंतर्निष्ट थी, का परिणाम था, का भी संज्ञान नहीं लिया गया है ।

(iii) इसके विपरीत, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि उच्च ऊंचाई क्षेत्र वाले कपड़ों की खरीद के लिए वर्तमान उपयोगकर्ता संतुष्टि 95 प्रतिशत से ऊपर है। पिछले तीन वर्षों में ईसी के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(क) <u>की गई संविदाएं</u> – ईसी के असफल उदाहरणों के मुकाबले लेखापरीक्षा द्वारा उल्लेख किए गए पांच मामलों की तुलना में पिछले तीन वर्षों (लेखापरीक्षा अवधि) में 654.20 करोड़ रु. की राशि की कुल 30 संविदाएं सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई हैं ।

(ख) <u>अधिप्राप्ति प्रगति</u> – 882.25 करोड़ रु. मूल्य के मद अधिप्राप्ति के विभिन्न चरणों में हैं ।

(ग) <u>संविदा किए जाने की औसत समय-सीमा</u> – वर्तमान में आरएफपी के प्रकाशन के पश्चात संविदाओं में लगने वाला औसत समय सीमित/एकल निविदा इन्क्वायरी के लिए 18 माह से घटकर 7 से 8 माह और वैश्विक निविदा इन्क्वायरी के लिए 32 माह से घटकर 20 माह हो गया है जिसका उद्देश्य विक्रेता बेस को विस्तृत करने के लिए आपूर्ति के नए संसाधनों को चिन्हित करना है ।

(घ) <u>स्वदेशीकरण में सफलता</u> - ईसी ने स्वदेशीकरण और वस्त्र मंत्रालय और सुविख्यात तकनीकी वस्त्र संघों के साथ समन्वय के साथ एक सुदृढ़ इन्टरपेस स्थापित करने पर जोर दिया है ताकि स्वदेशीकरण के अभियान को बढ़ावा दिया जा सके। उक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित सात एक्स-इम्पोर्ट मदों का स्वदेशीकरण किया गया है।

क्र.सं.	मद	स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं की संख्या

(i)	पिट्ठू बैग (रकसैक)	02
(ii)	थर्मल इनसोल	02
(iii)	स्नो गोगल्स	01
(iv)	सोक्स वूलन स्पेशल	02
(v)	एचएपीओ बैग	03
(vi)	ईसीडब्ल्यूसीएस	01
(vii)	अंडर स्लंग कारगो नेट	01

(ड.) <u>वेंडर बेस का विस्तार करना</u> : अधिक प्रतिस्पर्धा और बेहतर मूल्य खोज के लिए 13 आरएफआई और 13 आरएफपी (ग्लोबल टेंडर इन्क्वायरी) पिछले तीन वर्षों में प्रकाशित की गई । 17 विभिन्न मदों के लिए कुल 23 नए विक्रेताओं को वर्ष 2016 से सफल उपयोगकर्ता परीक्षणों के पश्चात विकसित स्रोतो की सूची में शामिल किया गया है।

(च) <u>नए मदों की शुरूआत</u> : ईसी उपयोगकर्ता की गतिशील आवश्यकताओं से अवगत रहा है और सरकार की स्वीकृति के प्राप्त करने के पश्चात इन्वेंट्री में तीन नए मदों की शुरूआत की गई है ।

(i) एयर सुरक्षा सहित हिमस्खलन एयर बैग

(ii) स्नो टगर शू

(iii) एसएचएए के लिए समर सूट

(छ) <u>प्रयोक्ता संबंधी शिकायत का न होना</u> : अधिप्राप्ति के दौरान उपयोगकर्ता परीक्षणों और गहन गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करके पिछले तीन वर्षों में प्रयोक्ता संबंधी कोई शिकायत नहीं रही है ।

(ज) <u>मध्यस्थता अथवा न्यायालय संबंधी मामले का न होना</u> : ईसी द्वारा की गई किसी भी अधिप्राप्ति के लिए कोई मध्यस्थता अथवा न्यायालय संबंधित मामला नहीं रहा।

(झ) <u>कार्यात्मक अभिसरण</u> : ईसी एक तंत्र के रूप में समय पर निर्णय लेने, न्यूनतम फाइल संबंधित कार्य, कार्यवृत्त को विस्तृत रूप से रिकार्ड करके वृद्धित संस्थागत मेमोरी, अधिक जिम्मेदारी और कार्यकरण स्तर पर जवाबदेही के लिए सभी हितधारकों के लिए एक सामान्य प्लेटफार्म प्रदान करके सभी हितधारकों के बीच कार्यकरण अभिसरण का कार्य संपादित करता है, इसके साथ ही अधीनस्थ स्तर पर बेहतर समन्वय और इन्टरफेस के स्पिन ऑफ के साथ हितधारकों के बीच बेहतर समझ एवं सहयोग को भी बढ़ावा दिया गया है ।

(iv) बड़ी संख्या में कार्रवाई पहले ही पूरी कर ली गई है जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है । ईसी प्रणाली स्थायी, दक्ष, निरंतर प्रमुख लाभ देने में समर्थ और सामने आने वाली कई बाधाओं को पार पाने में निरंतर सुधार किया है । इसका सबसे ताजा उदाहरण कोविड-19 के चलते आने वाली चुनौतियों और उत्तरी सीमाओं पर एससीएमई मदों की वृद्धित आवश्यकता के लिए कुशल प्रतिक्रिया है जिससे एक बार फिर इस तंत्र की उपयोगिता को बल मिला है ।"

1.86 जब खरीद कार्रवाई में देरी के कारणों की पहचान करने और भविष्य में ऐसी देरी से बचने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कहा गया, तो मंत्रालय ने यह बताया कि:-

"(क) दिनांक 6 अक्तूबर 2020 को पीएसी के समक्ष मौखिक साक्ष्य के दौरान डीएमए के कार्यालय के सृजन, वर्ष 2020 में अधिप्राप्ति प्रक्रिया का परिष्करण, आयुध निर्माणियों के निगमीकरण के माध्यम से बेहतर क्षमता लाने, आयुध निर्माणियों से वस्त्रों एवं इसके समान मदों को व्यापार क्षेत्र तक लाने और वित्तीय शक्तियों का अधिक प्रत्यायोजन समयबद्ध रक्षा अधिप्राप्ति के प्रमुख अन्तरों को समाप्त करने के लिए पहले से उठाए गए सभी सकारात्मक कदम हैं ।

(ख) एचएसीई के लिए समयबद्ध अधिप्राप्ति हेतु विशिष्ट जैसाकि मौखिक साक्ष्य के दौरान उल्लिखित है, कि सरकार ने दीर्घकालिक अधिप्राप्ति समय-सीमा के लिए किसी निर्धारित समय पर तीन से पांच वर्ष की आवश्यकता की अधिप्राप्ति

की स्वीकृति प्रदान की थी । इसका अर्थ यह है कि उत्तरवर्ती संविदाओं के बीच अन्तर हो सकता है, अतः इसे अधिप्राप्ति में विलम्ब के रूप में नहीं देखा जा सकता है क्योंकि प्रत्येक संविदा तीन वर्ष की आवश्यकता की उपलब्धता प्रदान करती है । उत्तरवर्ती संविदा में लगे समय के बावजूद भी कोई कमी नहीं रही है । इसके अलावा, सभी अधिप्राप्तियों के लिए एक समान समय-सीमा नहीं हो सकती है । नए स्रोतों को चिन्हित करने के लिए प्रकाशित टेंडरों में ट्रायल शामिल होते हैं और इस प्रकार पिछली आपूर्तियों से सुनिश्चित आपूर्तियों के लिए प्रकाशित समय-सीमा की तुलना में अधिक समय लगता है ।

(ग) इसके बावजूद जैसाकि प्रस्तुत किया गया है पिछले पांच वर्षों में अधिप्राप्ति समय-सीमा को 50% तक घटाया गया है और आगे इसे इससे भी कम करने पर निरन्तर रूप से ध्यान दिया जाएगा ।"

ख. आयुध निर्माणियों से सामग्रियों के प्राप्त करने में देरी

1.87 लेखापरीक्षा ने नोट किया कि 2015-16 से 2017-18 के अंतर्गत नौ एस सी एम ई ई सी सी एंड ई मदों में आयुध निर्माणियों से सामग्रियों के प्राप्त करने में भारी कमी थी। इन मदों का पिछले तीन वर्षों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका: आयुध निर्माणियों द्वारा मदों की आवक का विवरण

क्र. सं	मदों के नाम	आवक:प्राप्त करने योग्य शेष मात्रा (पीआरएफ़ के अनुसार)			
		2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
1	कोट ईसीसी	4,95,494	2,30,093	88, 518	22, 037
2	ट्राउजर ईसीसी	13,22,908	5,31,485	2,71,886	1,39,213
3	मैट्रेस कैपोक एमके-II	1,54,147	1,35,673	4,20,457	2,26,884
4	हीटर स्पेस ऑयल बर्निंग	4,621	2,270	2,270	2,131
5	कैप ग्लेशियर	44,226	64,560	84,312	1,20,026

6	कैप बालाक्लोवा स्नो	शून्य	2,00,000	2,00,000	1,29,783
7	पोंचो ग्लेशियर	42,649	16,812	19,818	47,762
8	ओवर गारमेंट ट्राउजर (ट्राउजर विंड चीटर)	59,840	54,030	15,207	54,168
9	ओवर गारमेंट ब्लाउज़ (जैकेट विंड चीटर)	73,624	72,934	30,890	4,483

1.88 उपर्युक्त तालिका के अनुसार, लेखापरीक्षा ने देखा कि कैप ग्लेशियर एवं कैप बालाक्लोवा स्नो के संदर्भ में बकाया मात्रा 2015-16 की तुलना में 2018-19 में सार्थक रूप से बढ़ी थी।

1.89 लेखापरीक्षा ने आगे नोट किया कि आयुध निर्माणियों ने निर्धारित मदों की आपूर्ति वार्षिक लक्ष्य अनुसार नहीं की। 2015- 16 के दौरान सामग्री की आपूर्ति का प्रतिशत निर्धारित लक्ष्यानुसार कोट ई सी सी, ट्राउजर ई सी सी. जैकेट विंटर चीटर, ट्राउजर विंटर चीटर एवं हीटर स्पेस ऑयल बर्निंग के संदर्भ में 50 प्रतिशत से कम था। 2017-18 के दौरान ट्राउजर ई सी सी. ट्राउजर विंटर चीटर कैप बालाक्लावा की आपूर्ति की स्थिति निर्धारित लक्ष्यानुसार के 50 प्रतिशत से कम ही बनी रही। वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान आपूर्ति के लक्ष्य हेतु कैप ग्लेसियर की एक भी मात्रा की आपूर्ति नहीं की गई।

1.90 मंत्रालय ने अपने उत्तर में उपर्युक्त बताई गई कमियों को स्वीकार किया और बताया कि व्यापार के द्वारा अधिप्राप्ति के लिए डीजीओएफ की अयोग्यता के मुकाबले एनओसी प्राप्त की जा रही थी और सरकार ने चरणबद तरीके से गैर-मूल मदों को मूल मदों में परिवर्तन कर स्वीकृति प्रदान की थी। सैन्य दलों की आवश्यकताओं को मौजूदा स्टॉक या क्षेत्रीय आयुध डिपो द्वारा स्थानीय क्रय की मदद से पूरा किया जा रहा है। मंत्रालय ने अपनी की -गई -कार्रवाई टिप्पणियों में निम्नवत प्रस्तुत किया:-

(i) ओएफबी से बड़ी मात्रा में कमी के परिणामस्वरूप स्टोर्स की अनुपलब्धता रही। तदनुसार ओएफबी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से आगे गैर-कोर मदों के सिद्धांत से शुरूआत की जिसमें जनरल स्टोर्स और वस्त्रों के 82 मदों को गैर-कोर के रूप में घोषित किया गया था और इसे चरणबद्ध तरीके से ट्रेड से एमजीओ शाखा द्वारा अधिप्राप्त

किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप ओएफबी से एनओसी की आवश्यकता से बचा जा सकेगा ।

(ii) मामले की मौजूदा स्थिति की लेखापरीक्षा द्वारा की गई जांच निम्नलिखित है :

(क) <u>सभी तरह के क्षेत्रों के लिए गोगल्स</u> : मदों की आकस्मिक एवं महत्वपूर्ण स्थिति में आवश्यकता को रिजर्व स्टाक का उपयोग करके, पुनः तैनाती, स्पेयर ग्लास के पुनःचक्रण और एक्स ट्रेड अधिप्राप्ति द्वारा पूरा किया गया था । यह भी प्रासंगिक है कि गोगल्स आल टेरेन की अनुपलब्धता के चलते किसी भी तरह की आंख संबंधित चोट रिपोर्ट नहीं की गई है। तथापि, जारी अधिप्राप्ति/आरसी मामले की मौजूदा स्थिति निम्नलिखित है :

मद	मात्रा	अधिप्राप्ति स्थिति
गोगल्स (सभी तरह के क्षेत्र)	सं. 4,66,926	पीडीएस जुलाई, 2021 के साथ मई, 2020 में एसओ प्रस्तुत किया गया था।
	सं. 3,31,691	विभागीय दर संविदा जून, 2020 मे की गई थी जो जून, 2021 तक वैध थी।

(ख) <u>ओवरऑल विंटर कम्पलीट :</u> दिनांक 7 जनवरी, 2020 को 25000 मात्रा के लिए आपूर्ति आदेश किया गया और यह अग्रिम सैम्पल चरण में है ।

(iii) मदों को गैर-कोर श्रेणी में स्थानांतरित करने के पश्चात अधिप्राप्ति को मौजूदा जारी मामलों के पूरा होने के पश्चात निर्धारित किया जाएगा ।

1.92 यह पूछे जाने पर कि आयुध निर्माणियों में अधिप्राप्ति प्रक्रिया की स्थिति क्या है और अधिप्राप्ति प्रक्रिया में 'विलंब' को कैसे कम किया जा सकता है, मंत्रालय ने निम्नवत कहा:-

> "आयुध निर्माणियों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार की 'कोर टू नॉन-कोर' यानी व्यापार से अधिप्राप्ति की नीति पहले से ही 2018-19 से चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है और 2024-25 तक पूरी हो जाएगी। इस नीति के परिणामस्वरूप न केवल विक्रेता आधार का विस्तार हुआ है, बल्कि निजी उद्योग के लिए व्यावसायिक अवसर पैदा हुए हैं और प्रतिस्पर्धी माहौल को बढ़ावा मिला

है। नतीजतन, अधिप्राप्ति की समयसीमा को और भी कम करने के लिए निर्धारित किया गया है। नव निर्मित रक्षा सार्वजनिक उपक्रम (पूर्ववर्ती आयुध निर्माणियों), अब प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अधिप्राप्ति में भाग ले रहे हैं।"

1.93 मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति ने जानना चाहा कि क्या सेना गैर-मुख्य मदों की सोर्सिंग के लिए निजी क्षेत्र के निर्माताओं के विकास के लिए उचित कदम उठा रही है। उत्तर में, मंत्रालय ने इस मुद्दे पर निम्नवत प्रस्तुत किया:-

"हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उद्योग एवं टेक्सटाइल संघों के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय और भारतीय उद्योग के साथ गहनता से कार्य कर रहे हैं । पांच वर्ष की संविदा अवधि की तुलना में वर्ष दर वर्ष आपूर्ति की संविदा के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया है ताकि लम्बी अवधि तक सुनिश्चित व्यापार अवसर प्रदान करके भारत में विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके ।"

1.94 समिति ने इच्छा जताई कि मंत्रालय को इस चूक के लिए ओएफबी की ओर से जिम्मेदारी तय करनी चाहिए क्योंकि ओएफबी काम करने में विफल रहा, जिससे सेना के पास कमी पैदा हो गई। इस संबंध में मंत्रालय ने एक लिखित जवाब में कहा:-

"भारतीय सेना द्वारा प्रयुक्त उच्च तुंगता वस्त्र और उपकरण (एचएसीई) को मोटे तौर पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है यथा (1) पर्वतारोहण और उपकरण के लिए विशेष वस्त्र (एससीएमई) और (2) अत्यंत सर्द मौसम वस्त्र और उपकरण (ईसीसीएंडई) । एचएसीई, आयुध उपस्कर फैक्ट्री शाहजहांपुर (ओसीएफएस), आयुध वस्त्र फैक्ट्री, कानपुर (ओईएफसी), आयुध पैराशूट फैक्ट्री,कानपुर(ओपीएफ) में निर्मित किए जाते हैं । ये मद नियमित रूप से निर्मित किए जाते हैं और सेना मुख्यालय और ओएफबी के बीच लक्ष्य निर्धारण बैठक (टीएफएम) में तय वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार भारतीय सेना को आपूर्ति की जाती है ।

संबंधित फैक्ट्रियां, व्यापार के जरिए सभी प्रकार के कच्चे माल को सोर्स करती है और उन्हें अंतिम उत्पाद में बदलती है, जिसके लिए लक्षित मात्रा के लिए कवरिंग मांगपत्र की प्राप्ति पर अधिप्रापण कार्य शुरू किया जाता है । मांग पत्र, आधारभूत सामग्री की संविदा को अंतिम रूप देने की स्वीकृति है और वित्त वर्ष

की शुरूआत से सामग्री की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए कम से कम छः महीने का लीड समय जरूरी है ।

विभिन्न मदों से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी के मुख्य कारण इस प्रकार है:

(i) ओएफबी द्वारा विभिन्न मदों के मांग पत्रों की विलंबित प्राप्ति (वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध के दौरान), उस विशेष वर्ष के लिए ओएफबी द्वारा आपूर्ति में कमी के मुख्य कारणों में से एक है।.

(ii) वर्ष के मध्य में कतिपय मदों के विनिर्देशन में बदलाव/संशोधन, नए विनिर्देश के साथ पुराने मांग पत्रों के पुनर्मूल्यांकन की अनिवार्यता बढ़ा देती है । डीजीक्यूए के पुनर्मूल्यांकन में ,अधिप्रापण और उत्पादन गतिविधि को रोके रखकर , बहुत अधिक समय लगता है जिससे आपूर्ति में देरी और कमी होती है । कुछ मामलों में, उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वीकृत संशोधित विनिर्देश आमतौर पर उद्योग के पास उपलब्ध नहीं होते है और अंततः अप्राप्य हो जाते हैं । जब कभी, उत्पाद में सुधार (पीआई) या उत्पाद के विनिर्देशों में बदलाव के चलते विनिर्देशों में संशोधन किया जाता है, तो ओएफबी अधिप्रापण मैनुअल्स के प्रावधानों के अनुसार खुली संविदा जांच (ओटीई) पुनः की जाती है । इसके अतिरिक्त नए कच्चे माल को उत्पादन में उनके उपयोग के पूर्व सख्त स्वीकृति परीक्षण उत्तीर्ण करनी होती है ।

(iii) वैसे मामले, जहां किसी मद के विनिर्देशों में सुधार की जरूरत है, वहां संक्रियात्मक आवश्यकताओं और उत्पादन और आपूर्तियों में अचानक किसी अवरोध को दूर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से सुधार किए गए उत्पादों की शुरूआत की बजाय मांगकर्ता द्वारा संक्रियात्मक तैयारी बनाए रखने के चलते संशोधित रूप की तुरंत आपूर्ति का अनुरोध किया जाता है ।

(iv) आधारभूत सामग्री की आपूर्ति और गुणवत्ता मापदंडों में असफलता ।

उपर्युक्त रूकावटों को दूर करने के लिए आयुध फैक्ट्री बोर्ड द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं ताकि आपूर्ति में कमी को न्यूनतम किया जा सके:

(क) लगातार उत्पाद सुधार के आधार पर नए विक्रेताओं की पहचान और पंजीकरण के जरिए ओएफबी द्वारा विक्रेता बेस को लगातार विस्तारित किया जा रहा है ।

(ख) 31.08.2018 को आयुध फैक्ट्री बोर्ड अधिप्राप्ति मैनुअल, 2018 (ओएफबीपीएमएम-2018) जारी किया गया है जिसमें स्थापित/विश्वसनीय स्रोतों से आपूर्तियां देने के लिए अधिप्राप्ति के तरीके को स्थानीय संविदा जांच (एलटीई) ओटीई के लिए 50-50 से बदलकर एलटीई-ओटीई हेतु 80-20 कर दिया गया है ।

(ग) विक्रेताओं से निम्नलिखित आपूर्ति की पहचान और उत्पादन के लिए केवल गुणवत्तापूर्ण सामग्री की स्वीकृति हेतु ओईएफ फैक्ट्रियों के समूह में गुणवत्ता प्रबंधन और नियंत्रण के लिए एक मजबूत प्रणाली लागू की गई है ।

(घ) ओएफबी पर उठाए गए विलंबित मांगपत्रों से संबंधित और आपूर्तियों के वार्षिक लक्ष्य में कमी को दूर करने के लिए एक बार में 5 वर्षों की अवधि के लिए ओएफबी को जारी करने के लिए रोल ऑन मांग पत्र की शुरूआत की गई है

(ङ.) कैबिनेट द्वारा आयुध फैक्ट्रियों (ओएफएस) के निगमीकरण को स्वीकृत किया गया है जो बेहतर कार्यक्षमता के लिए ओएफएस के समूचे कार्य का पुनरावलोकन करेगा।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड और इसके अधिकारियों ने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास किए हैं । तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई कमियों के आलोक में ओएफबी द्वारा आवश्यक सुधारात्तमक उपाय किए गए है ।"

1.95 जब समिति ने खरीद प्रक्रिया में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए मंत्रालय द्वारा की गई पहलों के बारे में जानना चाहा, तो ओएफबी के निगमीकरण के प्रस्ताव के बावजूद, मंत्रालय ने उत्तर में निम्नवत कहा:-

"विवरण इस प्रकार है: -

(क) इस संबंध में निम्नलिखित पहलें की गई हैं: -

(i) डीएमए के कार्यालय का निर्माण।
(ii) वर्ष 2020 में खरीद प्रक्रिया का शोधन।
(iii) आयुध कारखानों का निगमीकरण।

(iv) आयुध कारखानों से व्यापार के लिए कपड़ों और इसी तरह की मदों को व्यापार में अंतरित करना।

(v) ऑनलाइन खरीद उपायों को सरल एवं कारगर बनाया गया है ।

(vi) वित्तीय शक्तियों का वृद्धित प्रत्यायोजन किया गया है।

(vii) फाइलों की कॉलेजिएट जांच और कॉलेजिएट निर्णय लेने की शुरूआत की गई है ।

(viii) स्वचालित सूची प्रबंधन।

(ख) इसके बावजूद, आयुध कारखानों के लिए पीएसी के सभापति की सलाह को नोट कर लिया गया और उनके उपयोग के लिए रक्षा मंत्रालय में संबंधित विभाग के ध्यान में लाया जाएगा।"

प्रयोक्ता परीक्षण एवं तकनीकी विनिर्देश के नियमन में देरी

(ग) प्रयोक्ता परीक्षण करने में विलंब

1.96 सैम्पलों का प्रयोक्ता परीक्षण उनकी सेवा में भूमिका के लिए अंतिम रूप से मदों को चुनने के लिए किया जाता है। यह नए आने वाले मदों के मामले में विक्रेता आधार बढ़ाने के लिए किया गया। प्रयोक्ता परीक्षण प्रक्रिया में परीक्षण निदेश के नियमन, परीक्षण स्टोर का वितरण, परीक्षण रिपोर्ट का परीक्षण एवं मूल्यांकन को करवाना सम्मिलित है। परीक्षण अनुमोदन के पश्चात्, विक्रेता प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर एफ़ पी) के लिए अनुमोदित विक्रेता सूची में सम्मिलित होता है। परीक्षण प्रक्रिया में परीक्षण एवं स्वीकृत सैम्पलों को प्राप्त करने के पश्चात् डी जी क्यू ए द्वारा विनिर्देशों का करना सम्मिलित है।

1.97 एम जी ओ ब्रांच ने परीक्षण के लिए जनरल स्टोर और एससीएमई एवं ई सी सी एन्ड ई मदो सहित कपड़े मदों के लिए एस ओ पी जारी किए (फरवरी 2011)। अधिप्राप्ति प्रक्रिया में स्टोरों का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह प्रयोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त मद के चुनाव को सुनिश्चित करता है।

1.98 लेखापरीक्षा ने नोट किया कि 38 केसों में से 35 केसों (ई सी सी एंड ई-8 एवं एस सी एम ई 27) की जांच की गई, प्रयोक्ता परीक्षण के होने में काफी देरी हुई थी और यह देरी 51 दिनों से 797 दिनों की हुई जिसे तालिका-21 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका : प्रयोक्ता परीक्षण करने में हुये विलंब का काल संबंधी - विश्लेषण

विलम्ब की अवधि	मदों की संख्या
51-150 दिन	28
151-300 दिन	04
300 दिन और उससे ऊपर	03

1.99 मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2019) कि ई सी सी एवं ई एंड एस सी एम ई के अधिकतर परीक्षण उत्तरी एवं पूर्वी कमान के ऑपरेशनल कमान में किए गए हैं। आगे, समयसीमा अलंघनीय नहीं है और यह ऑपरेशनल लॉजिस्टिक दबाव के कारणों से भिन्न हो सकती है।

1.100 इस संबंध में, मंत्रालय ने अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में निम्नलिखित प्रस्तुत किया:-

"(क) सभी परीक्षण सुपर उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों (एसएचएए) जैसे सियाचिन और मुख्यतः सर्दी के मौसम के दौरान ही वास्तविक संक्रियात्मक क्षेत्रों में किए जाते है । जैसाकि सैनिक संपूर्ण सर्द मौसम चक्र के दौरान प्रभाविता के लिए एक नए मद का मूल्यांकन करते है, अतः पूरे वर्ष के दौरान एक परीक्षण चक्र संभव है. पूर्ववर्ती को देखते हुए, व्यावहारिक समय सीमा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कार्यकलाप	न्यूनतम औसत समय-सीमा (दिवस में)
(i)	खुली निविदा/आरएफआई के माध्यम से नए संभावित आपूर्तिकर्ताओं से सैम्पल का संग्रहण	60 से 90 दिन
(ii)	एससीएमई क्षेत्रों में सैम्पलों का परिवहन	30 से 45 दिन
(iii)	एक सर्द मौसम में परीक्षण करना	120 से 180 दिन
(iv)	परीक्षण रिपोर्ट को तैयार करना और उसे प्रस्तुत करना	30 दिन

कुल औसत समय-सीमा	240 से 345 दिन

(ख) उपयोगकर्ता परीक्षण का आयोजन अधिप्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि गहन संक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम मदों की ही अधिप्राप्ति की जानी होती है । प्रतिवर्ष एक सर्द मौसम के नैसर्गिक दबाव से और गहन मूल्यांकन की आवश्यकता से परीक्षण अवधियों को दबाया नहीं जा सकता है या उससे समझौता नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद लेखापरीक्षा सुझाव पर यथासंभव विचार किया जाएगा ।"

1.101 समिति ने मंत्रालय के मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नलिखित विचार व्यक्त किए:-

"हमारे पास पूरे सीज़न भर प्रतीक्षा करने के बजाय प्रयोगशालाएं या कुछ अन्य अनुरूपण क्यों नहीं हो सकते हैं?यह लगभग खरीद प्रक्रिया में अंतर्निहित देरी है। यदि आप कहते हैं कि आपको उपयोगकर्ता परीक्षण के एक सीज़न से गुजरना होगा जो आपकी खरीद प्रक्रिया को कम से कम एक वर्ष का समय लेने के लिए परिभाषित करता है।"

घ. सैम्पलों के तकनीकी विनिर्देश के नियमन में देरी

1.102 एम जी ओ /ई एम नीति (फरवरी 2011) के अनुसार डी जी क्यू ए मद के तकनीकी पहलुओं, प्रस्ताव विश्लेषण / तकनीकी प्रस्तुतीकरण एवं तकनीकी विनिर्देश को निरूपित करने को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी है। परीक्षित अनुमोदित सैम्पल एवं विक्रेता द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी विवरण के आधार पर डी जी क्यू ए मदों का तकनीकी विनिर्देश निरूपित करेगा।

1.103 डी जी क्यू ए विक्रेता के प्रतिनिधियों के साथ संबंध स्थापित करने तथा तकनीकी विनिर्देश के सफलतापूर्वक निरूपण को सुगम बनाने हेतु अपेक्षित आवश्यक इनपुट को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। डी जी क्यू ए द्वारा विनिर्देशों के निरूपण के लिए समयसीमा निर्धारण सैम्पल की प्राप्त करने की तिथि से तीन सप्ताह है।

1.104 ई एम निदेशालय, एम जी ओ ब्रांच ने डी जी क्यू ए एवं सी ओ डी 'एन' कि सेना टुकड़ी को सूचित किया (मई 2016) कि आठ एस सी एम ई मदों के वर्ष 2016 के लिए परीक्षण के अंतर्गत सफलतापूर्वक मूल्यांकित किया और भारतीय सेना में लेने के लिए उचित पाया। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन आठ केसो में से (सितंबर 2018) चार केसों में विनिर्देशों का नियमन 27 महीनों के बाद भी अभी तक तय होना बाकी है।

1.105 सी क्यू ए (जी एस) कानपुर ने सूचित किया (सितंबर 2018) कि ए एच एस पी की सीमित स्टॉफ संख्या, टेस्टिंग सुविधा की अनुपस्थिति, प्रयोक्ता परीक्षण रिपोर्ट के अधूरे दस्तावेज, सैम्पलों की संख्या का अपर्याप्त प्राप्त होना आदि रुकावटों का सामना विनिर्देशों के नियमन में सामना करना पड़ा। उत्तर में विनिर्देशों के तय करने में देरी की पुष्टि की गई तथापि, विभिन्न रुकावटों का पता लगाने में किए गए प्रयासों के बारे में उल्ल्ख नहीं किया गया था।

1.106. मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2019) कि तकनीकी विनिर्देशों के अंतिम रूप से तय करने में लंबा समय फर्म द्वारा तकनीकी पैरामीटरों के संदर्भ में एकमत पर पहुँचने या प्रदान करने में अयोग्यता के कारण हुई लंबी देरी है। आगे यह भी बताया गया कि निरपवाद रूप से तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में यह कुछ तीन महीने से 6 महीने का समय लेता है।

1.107 मंत्रालय ने आगे की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नानुसार बताया:-

"<u>प्रयोक्ता परीक्षण</u> – इनका संचालन अति उच्च तुंगता क्षेत्रों (सियाचिन ग्लेशियर जैसे) में वास्तविक संक्रियात्मक क्षेत्रों में किया जाता है और यह विशेष अधिप्राप्ति प्रक्रिया की आधारशीला है । संक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम मदों की ही खरीद किए जाने की आवश्यकता है । चूंकि सैनिक पूरी सर्दी के दौरान संक्रियात्मक उपयुक्तता और प्रभावकारिता के लिए एक नई मद का मूल्यांकन करते हैं, प्रतिवर्ष केवल एक परीक्षण चक्र व्यवहार्य है । इस प्रकार, प्रतिवर्ष सर्दी के मौसम की वास्तविक बाध्यताओं के साथ, परीक्षण अवधियों के बारे में बताना या उनसे समझौता करना कठिन है । प्रयोगशालाओं में परीक्षण संक्रियात्मक गतिविधियों जैसे गश्त, फायरिंग, खोज एवं बचाव, संतरी ड्यूटी आदि हेतु उपयुक्तता के मूल्यांकन का पूर्ण रूप से प्रतिस्थापन नहीं कर सकता ।

(ii) <u>तकनीकी विनिर्देश</u> - तकनीकी विनिर्देश तैयार करने हेतु समय को कम करने की आवश्यकता पर सहमति बनी है।

(iii) <u>आंतरिक नियंत्रण सहित प्रणाली और प्रक्रियाओं में सुधार</u> – तकनीकी विनिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया की ईसी द्वारा सक्रिय रूप से, और गहनता से मानीटरिंग की जाती है और इस पर नियंत्रण रखा जाता है ।"

1.108 मंत्रालय ने अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में निम्नलिखित प्रस्तुत किया :-

"(क) तकनीकी विशिष्टताओं को तैयार करना डीजीक्यूए के लिए धुरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारी मात्रा में आपूर्ति के दौरान उपयोगकर्ता अनुमोदित सैम्पल से विचलन न हो । हालांकि आपूर्तिकर्ता न्यूनतम

परीक्षण/मापक मापदंड चाहता है, डीजीक्यूए उपयोगकर्ता के हित में और लोकनिधि के न्योयोचित उपयोग के लिए अधिकतम क्यूए जांच करता है ।

(ख) नए संसाधन के लिए तकनीकी विशिष्टताओं का गठन विक्रेता बेस को विस्तृत करने अथवा उत्पाद में सुधार करने के संबंध में एक कार्यकलाप है और पहले से स्थापित आपूर्तिकर्ताओं से सुनिश्चित आपूर्तियों की अधिप्राप्ति स्वतंत्र है इस प्रकार अंतिम रूप देने में विलम्ब केवल नए संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करता है और यह सुनिश्चित आपूर्तियों को प्रभावित नहीं करता । तथापि, समयबद्ध तरीके से विशिष्टताओं को तैयार किए जाने की निरंतर मानिटरिंग की जाती है एवं इसे सुविधाजनक बनाया जाता है ।"

1.109 इस संबंध में, जब समिति ने पाया कि उपयोगकर्ता परीक्षणों के बाद, रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से उपयोगकर्ता अनुमोदित वस्तुओं के तकनीकी विनिर्देश तैयार किए गए थे और तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में देरी के कारणों को जानना चाहा, तो मंत्रालय ने एक लिखित रूप में निम्नानुसार बताया:-

"तकनीकी विशिष्टताओं को तैयार करने का कार्यकलाप डीजीक्यूए द्वारा गुणवत्ता आश्वासन का भाग है । तथापि, समयबद्ध कार्रवाइयों को लागू करने के लिए नियमित आधार पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा इसे गहनता से मॉनीटर किया जा रहा है । पीएसी के समक्ष मौखिक साक्ष्य के दौरान सचिव, डीएमए द्वारा किए गए उल्लेख के अनुसार गुणवत्ता आश्वासन लाने के लिए प्रस्ताव है ताकि इसे और अनुक्रियाशील बनाने के लिए गुणवत्ता आश्वासन संगठन (डीजीक्यूए) को सेनाओं के अन्तर्गत लाया जा सके ।"

1.110 यह पूछे जाने पर कि तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने और विभिन्न परीक्षणों के संचालन में विलंब को कम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है, मंत्रालय ने इस प्रकार जवाब दिया:-

"विलंब को कम करने के लिए किए गए विभिन्न उपाय निम्नानुसार हैं: -

(क) गैर-महत्वपूर्ण मापदंडों के लिए विक्रेता प्रमाणन की स्वीकृति और सिमुलेशन तकनीकों के उपयोग की शुरूआत की गई है।

(ख) जहां संभव हो वहां समवर्ती परीक्षणों का संचालन ।

(ग) अनुरोध चरण के दौरान परीक्षण पद्धति के बारे में अधिकतम अग्रिम सूचना का प्रावधान सुनिश्चित किया जा रहा है।

(घ) उपकरण के स्व-स्थाने सुधार को सक्षम करने के लिए विक्रेताओं को आरंभिक सहायता ।"

1.111 समिति ने उपयोगकर्ता परीक्षणों की वर्तमान स्थिति और तकनीकी विनिर्देशों के निरूपण के बारे में जानना चाहा, जिसमें हाल ही में दो ऐसे अवसरों के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया और लगने वाले समय के उदाहरण शामिल हैं। मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"(क) स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए विक्रेता आधार को व्यापक बनाने के लिए आपूर्ति के नए स्रोतों की पहचान करने के लिए उपयोगकर्ता परीक्षणों का संचालन साल-दर-साल की जाने वाली एक सतत गतिविधि है। पिछले पांच वर्षों में उपयोगकर्ता परीक्षणों का फोकस स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने पर रहा है। वास्तविक संक्रियात्मक स्थितियों में तैनात सैनिकों द्वारा उपयोगकर्ता परीक्षण किए जाते हैं।

(ख) तकनीकी विशिष्टताओं का निर्माण उपयोगकर्ता परीक्षणों का प्रत्यक्ष परिणाम है। तकनीकी विशिष्टताओं का निर्माण डीजीक्यूए द्वारा गुणवत्ता आश्वासन का हिस्सा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि थोक आपूर्ति उपयोगकर्ता द्वारा अनुमोदित नमूने से विचलित न हो। यह केवल उपयोगकर्ता परीक्षणों के बाद पहचाने गए आपूर्ति के नए स्रोतों के लिए की जाने वाली वन-टाइम गतिविधि है। इसका मतलब यह है कि तकनीकी विशिष्टताओं का निर्माण पहले से स्थापित आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्ति श्रृंखला से स्वतंत्र है और इसलिए किसी भी तरह से अधिकृत आवश्यकता की चल रही अधिप्राप्ति को प्रभावित नहीं करता है। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा कड़ी निगरानी के माध्यम से समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। प्रयास यह है कि इसमें लगने वाले समय को और कम करके छह महीने से कम किया जाए। हाल के दिनों में दो मदों के लिए तकनीकी विनिर्देश तैयार करने में लगने वाला समय नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	मद	उपयोगकर्ता परीक्षण 2018-19 में स्वीकृत	उपयोगकर्ता परीक्षण रिपोर्ट और सीएफए अनुमोदन की जांच	डीजीक्यूए को विक्रेता द्वारा प्रदान किए गए पूर्ण तकनीकी इनपुट	वर्तमान स्थिति	टिप्पणियां
(i)	विशेष ऊनी जुराबें	03 अप्रैल 2019	10 मई 2019	10 जुलाई 2019	फरवरी 2020 में विनिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया।	दोनों स्रोतों ने पहले ही संबंधित मदों की अधिप्राप्ति में भाग लिया है और आपूर्ति के लिए संविदा की गई है ।
(ii)	सुपर हाई एल्टीट्यूड एरिया के लिए समर सूट	04 मई 2019	18 जून 2019	05 अगस्त 2019	मार्च 2020 में विनिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया।	

(चार). गुणवत्ता नियंत्रण

1.112 अधिप्राप्ति में गुणवत्ता मुद्दे, अर्थात् विशेष कपड़े के लिए पूर्ण परिभाषित क्यू आर/जी एस क्यू आर की अनुपस्थिति पहले भी सी एंड ए जी की 2008 की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 4 के पैरा 1.7.2 और सी एड ए जी की 2008 अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 4 के पैरा 3.1 में प्रतिपादित किया। यह दृष्टिगत हुआ कि तकनीकी विनिर्देश के तरीकों से अधिप्राप्ति के विभिन्न चरणों पर गुणवता में असंगतता हुई। यह भी प्रकट हुआ था कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करें की सुविधा कि एस सी एम ई के आयातित मदों के क्यू आर के लिए स्वदेशी विकास सहायक हेतु तत्परता से सूत्रबद्ध किए गए थे।

1.113 मंत्रालय ने अपने ए टी एन (फरवरी 2010 एवं अप्रैल 2017) में कहा कि मौजूदा समय में क्यू आर के स्थान पर विस्तृत तकनीकी विनिर्दिशों का उपयोग किया जा रहा है। विशेष कपड़े मदों के लिए जी एस क्यू आर को इन मदों के विशेष के कारण नहीं तैयार किया गया। केवल विस्तृत तकनीकी विनिर्देशों को प्रयोक्ता परीक्षण के दौरान स्वीकृत सैम्पलों के आधार पर तैयार किया गया। मंत्रालय द्वारा यह स्वीकार किया गया कि अधिकतर विशेष कपड़े मर्दो के लिए मौजूदा प्रणाली कम विक्रेता आधार की और गई।

1.114 तथापि, यह कहा गया था कि विशेष कपड़े के सभी मदो के मुख्य पात्रता विनिर्देशों के साथ - साथ जी एस क्यू आर (स) को सूत्रबद्ध करने के प्रयास प्रक्रिया में हैं। आगे, सेना मुख्यालय द्वारा तैयार किए गए अन्य मुख्य पात्रता विनिर्देशों एवं जी एस क्यू आर एस के आधार पर, डी जी क्यू ए द्वारा एस सी एम ई के विस्तृत तकनीकी विनिर्देशों को सूत्रबद्ध किया जाएगा।

1.115 स्वदेशीकरण के संदर्भ में, यह कहा गया था कि आयुध निर्माणी ने स्लीपिंग बैग, जैकेट डाउन, ट्राउसर डाउन, ग्लवस आउटर, ग्लवस इनर एवं रकसैक 70 लीटर के स्वदेशीकरण के लिए कदम उठाए है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन मदों को अभी तक आयात किया जा रहा है जैसा कि आगामी पैराग्राफों में निष्कर्षो दद्वारा देखा जा सकता है।

1.116 इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि की गई कार्रवाई टिप्पण में आश्वासन के अनुसार जीएसक्यूआर तैयार करने के बजाय, डीजीक्यूए द्वारा 11 मदों अर्थात i) अवलुंग-II, ii) बूट बहुउद्देशीय, iii) आइस एक्स, iv) बूट क्रैम्पन, v) बाहरी दस्ताने, vi) भीतरी दस्ताने, vii) मॉड्यूलर दस्ताने, viii) एकसैक, ix) जैकेट नीचे, पतलून नीचे (जेडीटीडी) , x) स्नो गॉगल्स और xi) स्नो गॉगल्स के लिए केवल अनंतिम विनिर्देश तैयार किए गए थे ।

क. निम्न मानक के फेस मास्क की अधिप्राप्ति

1.117 मास्क फेस एक्सट्रीम कोल्ड वैदर फेस मास्क का कुल प्राधिकरण 2,65,353 था। इस रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास स्थापना, कानपुर (डी एम एस आर डी ई) द्वारा विकसित किया गया था। मद का सफलतापूर्वक परीक्षण मूल्यांकन किया गया था और सेवा में ले लिया गया था (मार्च 1988) डी एम एस आर डी ई कानपुर ने मद के अस्थायी विनिर्देश अक्टूबर 2003 में जारी कर दिए थे।

1.118 लेखापरीक्षा ने उपर्युक्त विनिर्देशों से निम्न मानक के फेस मास्क की अधिप्राप्ति का मामला सूचित किया था (2013 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 30 का पैराग्राफ 3.1 (रक्षा सेवाएं))। जैसा कि इस पैराग्राफ में सूचित किया गया था, उत्तरी कमान ने मार्च 2011 में रक्षा मंत्रालय (सेना) के आई. एच. क्यू के साथ यह मामला फेस मास्क की गुणवत्ता में सुधार हेतु उठाया था क्योंकि मदों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायते थी।

1.119 तत्पश्चात्, गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (वस्त्र एवं परिधान) ने (मार्च 2015) एम जी ओ ब्रांच को सलाह दी कि, प्रयोक्ता का आवश्यकताओं के आधार पर उत्पाद सुधार के लिए मामले को डी एम एस आर डी ई कानपुर के साथ लिया जा सकता है। इसने दो विकल्पों का परामर्श दिया, अर्थात् (i) अच्छे एहसास एवं परिष्कृत रूप सहित उन्नतः सामग्री का प्रयोग एवं (ii) विभिन्न सामग्री सहित नया डिजाइन।

1.120 लेखापरीक्षा ने देखा कि सेना मुख्यालय ने दिसंबर 2012 एवं जनवरी 2014 के बीच पुराने विनिर्देशों के 3,55,850 फेस मास्क ₹6.13 करोड़ में मैसर्स अरिहंत इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं मैसर्स एन सी एफ डी कानपुर को दो आपूर्ति आदेश दिए। दो आदेशों के लिए मद की आपूर्ति जनवरी 2015 एवं अक्टूबर 2016 में पूरी की गई थी।

1.121 इसके अलावा, मुख्यालयी 'जेड' कोर ने भी एन सी को सूचित किया कि आयुध द्वारा जारी किए गए सैन्य दल के लिए फेस मास्क एक्सट्रीम कोल्ड वैदर को प्रयोग करना असुविधाजनक था। सैन्य दल द्वारा यह मास्क स्वीकार करने योग्य नहीं था क्योंकि यह अत्यधिक ठंडी जलवायु से अच्छी सुरक्षा प्रदान नहीं करता था।

1.122 मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा कि अन्य कमानों से प्रतिपुष्टि लेने के पश्चात्, अप्रैल 2015 में एम जी और ब्रांच द्वारा उत्पाद सुधार (पी आई) का कार्य लिया गया। यह पाया गया कि मद की आवश्यकता थी, अतः फर्मों को दो की आपूर्ति आदेश जारी किए गए थे ताकि आपूर्ति श्रृंखला में होने वाली तुरन्त रुकावट से बचा जा सके। यह आगे कहा गया कि परीक्षण प्रस्ताव के लिए मैसर्स एन टी सी, नई दिल्ली दवारा पी आई आधार पर 4000 फेस मास्क की अधिप्राप्ति परीक्षण के लिए की गई परंतु यही दिसंबर 2016 एवं फरवरी 2017 के मध्य परीक्षण में असफल हुए।

1.123 मंत्रालय ने आगे कहा कि एम जी ओ द्वारा पी आई का एक नया प्रयास किया जा रहा है। लेखपरीक्षा की दृष्टि में मंत्रालय का उत्तर विश्वासप्रद नहीं है क्योंकि उत्पाद में सुधर के प्रयास के साक्ष्य अभी तक नहीं है जबकि का गुणवता मुद्दा 08 वर्ष पहले मार्च 2011 में ही उठाए गए थे। इस प्रकार सैन्य दल द्वारा निम्न मानक वाले फेस

मास्क ही उपयोग किए जा रहे जो कि अत्याधिक ठंड की स्थिति में अच्छी सुरक्षा प्रदान करने में असफल थे।

1.124 मंत्रालय ने आगे अपनी की गई कार्रवाई टिप्पणियों में निम्नानुसार बताया: -

"(एक) उत्पाद प्रतिस्थापन / सुधार में लगने वाले समय के संबंध में टिप्पणी से आंशिक रूप से सहमत है।

(दो) जिस फेस मास्क को बदलने की मांग की गई थी, उसे डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे अधिप्राप्ति और आपूर्ति से पहले सैनिकों द्वारा आजमाया और अनुमोदित किया गया था।

(तीन) एक विकल्प की पहचान और अनुमोदन में विलंब हुआ। हालांकि, आपूर्ति में रुकावट से बचने के लिए परीक्षणों के बाद सैनिकों द्वारा एक बेहतर उत्पाद को मंजूरी दिए जाने तक मौजूदा उत्पाद की आपूर्ति जारी रखना आवश्यक था।

(चार) एक बेहतर उत्पाद की शुरूआत की गई है और सैनिकों को आपूर्ति की गई है।"

1.125 मंत्रालय ने अपनी पृष्ठभूमि टिप्पणी में इस संबंध में निम्नवत बताया:-

"(एक) उत्पाद सुधार एक सतत प्रक्रिया है और कमान मुख्यालय ने मदों के मौजूदा विनिर्देशों के अनुमानित सुधार के अनुसरण में है और सामान-सूची से मदों को हटाए जाने के लिए नहीं है । एक मद न तो सब स्टैण्डर्ड होती है न ही इसकी अधिप्राप्ति को उत्पाद सुधार मामले के प्रारम्भ में ही तत्काल रूप से समाप्त किया जाता है । मद के वर्तमान में बने रहने और सामान-सूची के हिस्से के रूप में बने रहने के बावजूद इसकी अधिप्राप्ति की जाती है ताकि डिसरप्शन से बचा जा सके । ऐसी मदों की आपूर्ति तब तक की जाएगी जब तक परिष्कृत की गई नई मदें उपलब्ध न हो जाएं । प्रश्नगत जो मद है वह ओएफबी द्वारा विनिर्मित एवं डीएमएसआरडीई द्वारा अभिकल्पित उत्पाद है और इसका पिछले कई वर्षों से उपयोग किया जा रहा है ।

(दो) इसके परिणामस्वरूप, उपरोक्त मदों की पीआई को पूरा करने हेतु प्रयास किए गए और तदनुसार मैसर्श एनटीसी, नई दिल्ली से 4000 एनओएस की अधिप्राप्ति की गई है । तथापि, ये पीआई मदें परीक्षणों में असफल हो गई ।

(तीन) नए संशोधित कैप बालाक्लावा के भाग के रूप में इसे शामिल करते हुए अब मद में सुधार किया गया है । तदनुसार, ईसीसी एंड ई पर किए गए अध्ययन में संशोधित कैप बालाक्लाव के प्रवेश के बाद से सामान-सूची के फेस

मास्क के समाप्ति की सिफारिश की गई है । क्योंकि यह फेस मास्क के उद्देश्य को भी पूरा करता है ।

(चार) नवीन विनिर्देशों पर आधारित संशोधित 11,40,538 एनओएस कैप बालाक्लावा की अधिप्राप्ति को अंतिम रूप दिया गया और सितम्बर 2019 में दो फर्मों को आपूर्ति हेतु आदेश दिए गए और मदें आपूर्ति के अधीन हैं ।"

1.126 समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि सैनिकों को स्वीकार्य नहीं होने पर फेस मास्क क्यों दिए गए, मंत्रालय ने उत्तर में निम्नवत बताया :

"पहले उपयोग किया जा रहा फेस मास्क डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया था इसे अधिप्राप्ति और आपूर्ति से पहले सैन्य टुकड़ियों द्वारा परीक्षित और अनुमोदित किया गया था । बड़ी मात्रा में आपूर्ति प्राप्त होने के पश्चात संशोधन आवश्यकता चिन्हित की गई । सैन्य टुकड़ियों द्वारा अनुमोदित किए गए एक उचित विकल्प की कमी से संशोधित उत्पादन को चिन्हित करने में देरी हुई । सैन्य टुकड़ियों द्वारा परीक्षण के उपरांत एक संशोधित उत्पादन के अनुमोदन तक मौजूदा उत्पाद की लगातार आपूर्ति आवश्यक थी ताकि आपूर्तियों में आने वाली बाधा की अनदेखी की जा सके ।"

ख. निम्न मानक वाले एंव पुराने विनिर्देशन के स्लीपिंग बैग की खरीद

1.127 एम जी ओ (उपकरण प्रबंधन निदेशालय) ने अक्टूबर 2015 में स्लीपिंग बैग की अधिप्राप्ति के लिए वैश्विक निविदा जाँच के अंतर्गत प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर एफ पी) जारी किया। चार फर्मों ने आर एफ पी का उत्तर दिया। मैसर्स गोलडेक टैक्सटाइल जी एम बी एच, आस्ट्रिया द्वारा प्रस्तुत सैम्पल आर एफ पी के अनुरूप पाए गए। मैसर्स गोलडेक टैक्सटाइल जी एम बी एच आस्ट्रिया के साथ 22, 132 स्लीपिंग बैग प्रत्येक के लिए यू एस डी 175 एवं कुल कीमत यू एस डी 3.87 मिलियन में आपूर्ति हेतु संविदा की गई।

1.128 संविदा में बताए गए विनिर्देश 2017 वर्ष के सी क्यू ए (नियम एवं शर्त) कानपुर अस्थायी विनिर्देश संख्या प्रोव इंडिया/ टी सी / 3019 था।

1.129 लेखापरीक्षा ने नोट किया कि अगस्त 2015 में सक्षम समिति द्वारा स्लीपिंग बैगों के क्रय करने की एक और संस्वीकृति प्रदान की गई। सीमित निविदा जाँच (एल टी ई) के अंतर्गत स्लीपिंग बैग की अधिप्राप्ति के लिए आर एफ पी जारी की गई (अगस्त 2016)। 31,779 स्लीपिंग बैगों की प्रत्येक के लिए यू एस डी 212.25 एवं कुल कीमत यू

एस डी 6.74 मीलियन में आपूर्ति के लिए मैसर्स रिचनरसूएसी एस ए स्विटजरलैंड के साथ संविदा की गई (नवंबर 2017)। संविदा में बताए गए विनिर्देश वर्ष 2008 के सी क्यू ए, (नियम एवं शर्ते) कानपुर प्रांत, विनिर्देश सं. एस/6421/ बैग स्लीपिंग डी एफ/ टी सी - 6 था।

1.130 लेखापरीक्षा ने आगे नोट किया कि 2017 के विनिर्देश भरने के प्रकार या प्रयोग तकनीकी पर प्रतिबंध के बिना विस्तृत थे। इस प्रकार, 31,779 स्लीपिंग बैगों की अधिप्राप्ति पुराने विनिर्देशों ("डाउन फिल्ड" तकनीकी सहित) के अनुसार उच्चतर कीमतों पर की गई जिसके परिणामस्वरुप यू एस डी 1.18 मीलियन" का परिहार्य व्यय हुआ ।

1.131 उत्तर में, एम जी ओ ई एम निदेशालय ने कहा (अक्टूबर 2018) कि स्लीपिंग बैग की संकट कालीन से एवं तत्काल आवश्यकता की दृष्टि से, 2016 में अंतरिम उपाय के रूप में पुरानी तकनीकी विनिर्देश पर एक एल टी ई जारी की गई। यह आगे कहा गया कि दोनों मामलों की प्रक्रियाओं का निर्णय साथ साथ ही लिया गया ताकि कम से कम किसी एक की आपूर्ति समय पर हो जाए।

1.132 मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2019) कि लेखापरीक्षा ने दो अलग संविदाओं के अंतर्गत क्रय किए गए दो अलग उत्पादों कि तुलना की थी। इसने जोर दिया कि दो उत्पादों का भिन्न तकनीकी सहित 'नॉन डाउन' एवं 'डाउन फिल्ड' की कीमत की तुलना गलत थी। आगे, यह कहा गया कि स्लीपिंग बैगों की आगामी संविदा 'नॉन डाउन' के लिए सस्ती कीमतों पर की गई थी।

1.33 मंत्रालय ने आगे अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया:

"(i) डाउन-फिल्ड उत्पाद अभी भी पहाड़ी और हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए प्रमुख और पसंदीदा तकनीक बने हुए हैं। लेखापरीक्षा उपयुक्त प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के साथ तकनीकी टिप्पणियों का मिलान कर सकती है क्योंकि 'डाउन-फिल्ड' स्लीपिंग बैग के स्तरहीन होने और पुरानी तकनीक की तुलना में 'नॉन-डाउन फिल' स्लीपिंग बैग की तुलना करने का कोई आधार नहीं दिया गया है।

(ii) जहां तक लागत का संबंध है, दोनों अनुबंधों को एल**1** आधार पर प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से संपन्न किया गया था और प्रत्येक अधिप्राप्ति के लिए उचित लागत विधिवत स्थापित की गई थी।

(iii) 'डाउन-फिल्ड' और 'नॉन-डाउन-फिल्ड' दोनों सेवा में बने रहेंगे और दोनों के निर्माता एल1 आधार पर चल रही अधिप्राप्ति में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।"

1.134 इस संदर्भ में मंत्रालय ने अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में निम्नलिखित जानकारी दी है:-

"(i) यह दोहराया जाता है कि अत्यधिक उच्च तुंगता क्षेत्रों के लिए अधिप्राप्ति किए जा रहे पुराने/नई मदों की कोई अवधारणा नहीं है । उपयोगकर्ता द्वारा अनुमोदित प्रत्येक मद अधिप्राप्ति हेतु उपलब्ध रही है जब तक कि सेना के आदेश 323/66 के अनुसार उपयोगकर्ता द्वारा उठाए गए दोष रिपोर्ट के आधार पर अधिप्राप्ति हेतु अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है । उपयोगकर्ता द्वारा किसी वस्तु में सुधार की मांग मद को दोषपूर्ण नहीं बनाती है ।

(ii) लेखापरीक्षा द्वारा निर्दिष्ट दो विनिर्देश अलग-अलग आपूर्तिकर्ताओं से दो अलग-अलग उत्पादों के हैं, पहला 2008 में तथा दूसरा 2017 में बनाया गया । यदि लेखापरीक्षा के तर्क को एकमात्र मानदंड माना जाता है, तो प्रत्येक बार एक नए आपूर्तिकर्ता की पहचान की जाती है, जिससे कि पुरानी तारीख के साथ पहले वाले विनिर्देशों को समाप्त करने की आवश्यकता होगी । इस प्रकार वृद्धित प्रतियोगिता के लिए विक्रेता बेस कभी नहीं बढ़ेंगे और एक स्थायी एसटी स्थिति उत्पन्न होगी ।

(iii) वर्ष 2017 तक सभी मौजूदा आपूर्तिकर्ता केवल डाउन-फिल्ड स्लीपिंग बैग्स की आपूर्ति कर रहे थे । नान-डाउन स्लीपिंग बैग्स उपयोगकर्ता द्वारा विक्रेता बेस को केवल चौड़ा करने के लिए एक अभ्यास के भाग के रूप में अनुमेदित किए गए थे न कि डाउन-स्लीपिंग बैग्स के विकल्प के रूप में । इस प्रकार, यह भविष्य में सेना को भरे हुए स्लीपिंग बैग्स खरीदने या प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने या समय पर आश्वस्त आपूर्तिकर्ताओं को सुनिश्चित करने से नहीं रोकता ।

(iv) इसके अलावा, लेखापरीक्षा में डाउन-फिल्ड स्लीपिंग बैग्स के घटिया, प्रतिबंधात्मक और पुरानी तकनीक के संदर्भ में कोई आधार नहीं दिया गया है । यह केवल प्रयोगकर्ता है जो इसे उपयोग करने के बाद तय करता है कि कौन से आइटम सब स्टैण्डर्ड हैं । डाउन-फिल्ड स्लीपिंग बैग्स पर ऐसी कोई दोष रिपोर्ट कभी नहीं उठाई गई है । इसके अलावा, पेशेवर पर्वतारोहियों द्वारा अब तक के सबसे पसंदीदा कपड़ों में 'डाउ-फिल्ड' ही है।

(v) अधिप्राप्ति प्रक्रिया सुदढ़ रही है, जिसमें विधिवत रूप से उपयोगकर्ता, डीजीक्यूए एवं प्रधान आईएफए शामिल हैं और इसका पर्ववेक्षण सशक्त समिति द्वारा किया जाता है । कोई अनुवर्ती कार्रवाई अपेक्षित नहीं है ।"

1.135 यह पूछे जाने पर कि अगस्त 2016 में एलटीई के तहत स्लीपिंग बैग की खरीद के लिए आरएफपी जारी करने में मंत्रालय को एक साल क्यों लगा, जबकि खरीद की अत्यावश्यकता के कारण ईसी से मंजूरी अगस्त 2015 में दी गई थी, मंत्रालय ने जवाब में कहा:-

"एओएन की मंजूरी के बाद उक्त आरएफपी को प्रकाशित करने में एक साल लग गया क्योंकि विभिन्न हितधारकों द्वारा आरएफपी के मसौदे की फाइल पर जांच की गई थी। परिहार्य फ़ाइल संचलन की प्रक्रिया को 'कॉलेजिएट वेटिंग' की शुरूआत और ईसी द्वारा गहन निगरानी द्वारा सुव्यवस्थित किया गया है। खरीद की समयसीमा को और बेहतर बनाने के लिए इस तरह की बाधाओं की पहचान करने के लिए ईसी का निरंतर प्रयास रहा है ।"

1.136 जब आगे यह पूछा गया कि स्लीपिंग बैग के पुराने विनिर्देश संबंधी आरएफपी जारी करने का क्या कारण था जबकि स्लीपिंग बैग का नया संस्करण वैश्विक बाजार में उपलब्ध था,तो मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया:-

"प्रश्न उपयोगकर्ता द्वारा स्वीकृत डाउन-फिल्ड और नॉन-डाउन स्लीपिंग बैग से संबंधित है। नए चिन्हित आपूर्तिकर्ताओं के उत्पाद पिछले या मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं के उत्पादों या उनकी विशिष्टता को 'पुरानी' प्रस्तुत नहीं करते हैं। इस तरह की प्रणाली के परिणामस्वरूप एक सतत अस्थिर आपूर्ति श्रृंखला और लगभग एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होगी। गुणवत्ता के मुद्दों या संक्रियात्मक आवश्यकताओं में बदलाव के कारण उपयोगकर्ता द्वारा अनुपयुक्त घोषित होने तक सभी उपयोगकर्ता अनुमोदित स्रोत विक्रेता आधार में बने रहते हैं। सभी उपयोगकर्ता अनुमोदित स्लीपिंग बैग, डाउन-फिल्ड या नॉन-डाउन आज भी खरीदे और उपलब्ध किए जाते हैं। चूंकि सभी सरकारी अधिप्राप्ति न्यूनतम उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुओं पर आधारित हैं, अतः वैश्विक बाजार में नए संस्करणों की उपलब्धता को पहल के बावजूद मौजूदा उत्पाद को 'पुराना' माना जाना सही नहीं है। "

1.137 इस संबंध में, मौखिक साक्ष्य के दौरान, समिति ने इंगित किया कि विभिन्न तकनीकी विनिर्देश और विभिन्न उत्पादों का प्रचलन जो एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं

- इस मामले में स्लीपिंग बैग एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसलिए, यह महसूस किया गया कि जब भी किसी विशेष नमूने को अधिप्राप्ति के लिए चुना जाता है तो अन्य विनिर्देशों के उत्पादों के साथ तुलना होगी क्योंकि वे सभी एक ही उद्देश्य को पूरा करते हैं। इस मुद्दे के समाधान के लिए कहे जाने पर मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया:-

" (क) अत्यंत उच्चतुंगता वाले क्षेत्रों के लिए विशेष पोशाक की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया 2007 के सरकारी अनुमोदन प्राप्त पत्र के अनुसार है जो "न्यूनतम स्वीकार्य कार्य प्रदर्शन मापदंडों के आधार पर अस्थायी संविदाएं जारी करने और प्रत्येक सफल विक्रेता के लिए अनुमोदित नमूनों के अलग से तकनीकी विनिर्देश तैयार करने" के लिए सक्षम बनाता है ।

(ख) संक्रियात्मक स्थितियों के अंतर्गत चयन और तुलना के मापदंड प्रभावकारी है न कि तकनीकी विनिर्देश । विशेष प्रक्रियाओं द्वारा अधिप्राप्ति की गई मदों के लिए सामान्य अधिप्राप्तियों हेतु प्रक्रिया और प्रणाली के लेखापरीक्षा के अनुप्रयोग से अस्पष्टता आती है। उपयोगकर्ता, विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता और उपयुक्तता की बजाए इसके विनिर्देशों की तुलना नहीं करता है ।

(ग) विभिन्न मूल्यों के पहलू पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है क्योंकि सभी संविदा को एल1 आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है और खर्च किए गए सार्वजनिक धन के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त किया जाता है।"

1.138 समिति द्वारा मौखिक साक्ष्य के दौरान यह भी पूछा गया था कि क्या रक्षा उत्पादन इकाइयां बहुउद्देशीय जूते, बर्फ के चश्मे, जैकेट, स्लीपिंग बैग आदि जैसी वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम नहीं थीं। समिति ने विशेष रूप से यह जानना चाहा कि क्या इन मदों का आवश्यक रूप से आयात किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में, मंत्रालय ने सूचित किया:

“50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में उपयोग के लिए अति उच्च-तुंगता क्षेत्रों हेतु विनिर्मित बहु-उद्देश्यीय बूट्स, स्नो गागल्स, जैकेट्स, स्लिपिंग बैग्स का अब विदेशी विनिर्माताओं के सहयोग से भारत में विनिर्माण किया जा रहा है । यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि इस तरह के सभी वस्त्रों और उपकरण की अधिप्राप्ति अगले 2 से 3 वर्षों में भारतीय विनिर्माताओं से ही की जाए। भारतीय विक्रेताओं द्वारा विनिर्मित विशेष वस्त्र मदों के कुछ आर्डर दिए गए हैं और अधिप्राप्ति जारी है। प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाया गया है ताकि

भारतीय एवं विदेशी विनिर्मित उत्पादों पर आयोजित ट्रायल्स में कोई व्यक्तिनिष्ठता न होने को सुनिश्चित किया जा सके ताकि भारतीय विनिर्माताओं को प्राथमिकता दी जा सके।"

ग. पुनः संयुक्त प्राप्त निरीक्षण में अस्वीकृत रकसैक को स्वीकार करना

1.139 नवंबर 2013 में, एम जी ओ ई एम निदेशालय ने मैसर्स इंटरसेल्स, ए एस जॉनगरावेइन नॉरवे के साथ 70 लीटर की मात्रा के 67,066 रकसैक की प्रत्येक के लिए यू एस डी 36 में संविदा की गई। संविदा के अनुसार, प्रेषित माल को भेजने से पूर्व विक्रेता के क्षेत्र में विनिर्देशों के अनुसार जाँच करने के लिए प्री डिस्पैच इंसपैक्शन (पीडी आई) होना था। आगे, प्रेषित माल को प्राप्त करने पर क्रेता के क्षेत्र में विनिर्देशों के अनुसार सामाग्रियों की परिमात्मक एवं संचालनात्मक पैरामीटरों एवं साथ-साथ सामान के सभी आयामों की जाँच ज्वाइंट रिसीट इंसपैक्शन (जे आर आई) द्वारा होनी थी। यह आगे प्रावधान किया गया कि यदि डी जी क्यू ए एवं विक्रेता के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त पी डी आई के दौरान सामग्री स्वीकार्य है, तब जे आर आई दृष्टिगत जाँच तक सीमित होगी।

1.140 7,066 रकसैक का प्रथम प्रेषित माल पी डी आई में स्वीकार किया गया एवं डी ई टी सी ओ डी, 'एन' में अप्रैल 2014 में प्राप्त किया गया था। बाद के प्रेषित माल के लिए पी. डी. आई नहीं हुए थे। 15,000 प्रत्येक के लिए 2 एवं 3 प्रेषित माल जो प्रत्येक 15000 के लिए डी जी क्यू ए ने उनके सैम्पलों को लैबो अर्थात् मैसर्स स्पेक्ट्रो रिसर्च लैब वैचारस प्राइवेट लिमिटिड एवं मैसर्स एस जी एस इंडिया प्राइवेट लिमिटिड में क्रमशः टैस्ट के लिए भेजा। दोनों ही प्रयोगशालाओं ने कपड़े से पानी रिसने की सूचना दी। रिपोर्ट के आधार पर डी जी क्यू ए ने जे आर आई (अगस्त/ सितंबर 2014) में दोनों ही प्रेषित माल को अस्वीकृत कर दिया।

1.141 फर्म की आपति पर, सक्षम समिति ने एक अन्य प्रयोगशाला अर्थात् एन आई टी आर ए (नोर्थ इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन) से पुनः टैस्ट करवाने का निर्णय (नवम्बर 2014) लिया। एन आई टी आर ए ने अपनी रिपोर्ट में सैम्पलों को पास कर दिया। ई सी ने अप्रैल 2015 में एनआई टी आर ए की रिपोर्ट के आधार पर डी जी क्यू ए के द्वारा पुनः जो आर आई करवाने के लिए निर्णय लिया। पुनः जे आर आई में प्रेषित माल स्वीकार कर लिया गया।

1.142 लेखापरीक्षा ने नोट किया कि डी जी क्यू ए द्वारा प्रथम प्रेषित माल की पी डी आई में अपनाई गई प्रक्रिया संविदा में निर्धारित प्रक्रिया से अलग थी। हाइड्रोस्टेटिक हेड टेस्ट आईएसओ 811 मानक के अनुसार आयोजित किया जाना था। तथापि, पीडीआई में अपनाई गई प्रक्रिया एएटीसीसी 127 थी। आईएसओ 811 के अनुसार, परीक्षण 60 मिनट के लिए 600 मिमी पानी के स्तंभ पर रकसैक में पानी के स्तर को बनाए रखने के साथ किया जाना था। एएटीसीसी 127 के अनुसार, परीक्षण 60 मिलीबार ढाल (दबाव दर) का चयन करके किया जाता है।

1.143 तथापि, 2 एवं 3 प्रेषित माल की जे आर ई में, डी जी क्यू ए ने संविदा के अनुसार टैस्ट प्रक्रिया अपनाई जिसमें सामग्रियाँ अस्वीकृत कर दी गई। जे आर आई में सामग्रियों की अस्वीकृति के पश्चात् एन आई टी आर ए द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पुर्नजाँच में वही थी जो प्रथा प्रेषित माल की पी डी आई में अपनाई गई थी एवं सामग्रियां स्वीकृत कर ली गई।

1.144 इस प्रकार, रकसैक का कपड़ा संविदा के विनिर्देशों के अनुसार नहीं था। संविदा प्रावधानों से अलग डी जी क्यू ए द्वारा अपनाये गए टैस्ट पद्धतियों के परिणामस्वरूप रकसैक की कम गुणवत्ता को ही स्वीकार किया गया।

1.145 मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2019) कि अवैधता तथा मुकदमेबाजी से बचने के लिए, वही टेस्ट पद्धतियाँ जो पी डी आई में हुए उन्ही टैस्ट पद्धतियों को स्वीकार कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, एक आत्मनिर्भर एन ए बी एल मान्यता प्राप्त लैब (एन आई टी आर ए) में टैस्ट करवाये गए एवं सभी प्रेषित माल को सैम्पल संविदा के अनुसार पाये विनिर्देशों को पूरा करने के पश्चात स्वीकार किया गया।

1.146 इस संबंध में, मंत्रालय ने समिति को प्रस्तुत एक लिखित टिप्पणी में निम्नलिखित भी कहा:

"(i) अनुबंध निष्पादन के दौरान अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में निम्नलिखित स्थापित किए गए थे:–

(क) <u>पीडीआई में निरीक्षण</u> - डीजीक्यूए प्रमाणित करता है कि पहले कन्साइनमेंट के लिए पीडीआई में एएटीसीसी (अमेरिकन) परीक्षण विधियों का अनुसरण किया गया जिनका उल्लेख अनुबंध में उल्लिखित परीक्षण विधियों के अनुरूप ही था और इसलिए स्वीकार किया गया । चूंकि रक्षा मंत्रालय द्वारा इसे अनुमोदित नहीं किया गया था इसलिए दूसरी एवं तीसरी कन्साइनमेंट हेतु कोई पीडीआई प्रारम्भ नहीं हुई थी ।

(ख) <u>जेआरआई में परीक्षण</u> – जैसाकि विक्रेता द्वारा संकेत किया गया कि जेआरआई के दौरान डीजीक्यूए द्वारा प्रयोगशाला परीक्षण असंगति के कारण ईसी ने पहले कन्साइनमेंट के पीडीआई के दौरान अनुसरण किए गए परीक्षण विधियों के अनुसार एनएबीएल मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला में स्वतंत्र रूप से रि-टेस्टिंग के परीक्षण का आदेश दिया ।

(ii) ईसी ने न केवल जेआरआई स्टोर्स (दूसरी एवं तीसरी कन्साइनमेंट) के रि-टेस्टिंग का आदेश दिया बल्कि पीडीआई एवं जेआरआई द्वारा पूर्व में स्वीकृत पहले कन्साइनमेंट के स्टोर्स की भी रि-टेस्टिंग का आदेश दिया । सभी कन्साइनमेंट्स के मध्य गुणवत्ता के परीक्षण वैध एकरूपता के परिणाम से ईसी के निर्णय को प्रमाणित किया गया और इसी के साथ-साथ सैन्य टुकड़ियों के स्टोर्स की उपलब्धता सुनिश्चित की गई । स्टोर्स की स्वीकृति हेतु निर्णय का आधार वास्तविक परीक्षण परिणाम थे न कि वाद का परिहार । इसके अलावा, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि जिन निम्न गुणवत्ता स्टोर्स को स्वीकृति दी गई थी उनको पीडीआई एवं जेआरआई के परीक्षण परिणामों और न ही उपयोगकर्ता द्वारा किसी दोष रिपोर्ट द्वारा समर्थनप्राप्त हैं ।

1.147 मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लेते हुए, समिति ने कहा कि यह मामला डीजीक्यूए की निरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को उठाता है, जो रक्षा मंत्रालय का हिस्सा है और तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच की आवश्यकता हो सकती है।

1.148 आगे जब मंत्रालय द्वारा ऐसे मुद्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई कार्रवाई और जिम्मेदारी तय करने के बारे में पूछा गया, तो मंत्रालय ने निम्नलिखित प्रतिक्रिया दी:

"3/15 ईसी कार्यवृत्त में जवाबदेही निर्धारित करने के संबंध में कार्रवाई भी रिकार्ड की गई है जहां ईसी द्वारा कारणों की मांग की गई है लेकिन आईएसओ और एएटीसीसी के बीच परीक्षणों की समानता पर डीजीक्यूए द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया था और गुणवत्ता पर कोई प्रभाव स्वीकार नहीं किया गया और इस मामले को समाप्त समझा गया।"

1.149 जब समिति ने यह पूछा कि आईएसओ मानकों के बजाय एएटीसीसी मानक के अनुसार परीक्षण के बाद घटिया गुणवत्ता वाले रकसैक्स को क्यों स्वीकार किया गया था, मंत्रालय ने उत्तर में निम्नवत बताया:

"(क) डीजीक्यूए के अनुसार एएटीसीसी (अमरीका) मानक, आईएसओ मानकों के बराबर था।

(ख) लेखापरीक्षा का निष्कर्ष कि निकृष्ट भंडार स्वीकार किया गया, उपयोग के बाद सिद्ध नहीं हुआ है। भंडारों के उपयोग से सिद्ध हुआ है कि वे कम गुणवत्ता के नहीं थे।

(ग) उपरोक्त, बावजूद सशक्त समितियां अब गहनता से परीक्षण की निगरानी कर रही है और डीजीक्यूए द्वारा पूर्व के सभी विवेकाधिकार कम कर दिए गए।"

1.150 साथ ही, मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस लेखा परीक्षा टिप्पणी के संबंध में उत्तर प्रस्तुत करने में कोई विलंब नहीं हुआ।

1.151 अधिप्राप्ति में अनियमितताओं से बचने/समाप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"अधिप्राप्ति में कोई अनियमितता नहीं हुई है. अधिप्राप्ति प्रक्रिया मजबूत है, जिसमें उपयोगकर्ता, डीजीक्यूए, पीआईएफए (ए-ओ) शामिल हैं और ईसी द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है।"

1.152 यह पूछे जाने पर कि डीजीक्यूए ने परीक्षण प्रक्रियाओं के लिए अधिप्राप्ति और निरीक्षण में अलग-अलग प्रक्रियाएं क्यों अपनाई हैं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर प्रस्तुत किया: -

" संविदा के अनुसार, परीक्षण आईएसओ मानक के अनुसार किया जाना था। हालांकि, पीडीआई के दौरान, डीजीक्यूए ने एएटीसीसी (अमेरिकी) मानक के अनुसार परीक्षण किया था क्योंकि डीजीक्यूए के अनुसार, एएटीसीसी (अमेरिकी) मानक आईएसओ मानक के समान था। अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) ने डीजीक्यूए से 'जिम्मेदारी तय करने' की भी मांग की थी। डीजीक्यूए द्वारा स्पष्टीकरण कि दोनों मानक समान थे और गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं था, को स्वीकार कर लिया गया और मामले को बंद माना गया। ईसी अब परीक्षण की बारीकी से निगरानी करता है और सभी विवेकाधिकार, जैसा कि पहले डीजीक्यूए द्वारा प्रयोग किया जाता था, को कम कर दिया गया है।"

1.153 यह पूछे जाने पर कि मंत्रालय ने मैसर्स नाइट्रा जैसी विभिन्न प्रयोगशालाओं के नमूनों के पुनः परीक्षण को क्यों स्वीकार किया, मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया : -

"पुनः परीक्षण के लिए ईसी द्वारा लिया गया निर्णय आपूर्ति की निरंतरता के लिए आवश्यक आवश्यकता पर आधारित था। पुनः परीक्षण ने पीडीआई और जेआरआई के दौरान परीक्षण विधियों में भिन्नता को ठीक किया क्योंकि पीडीआई और जेआरआई के दौरान परीक्षण प्रक्रियाओं को स्टोर स्वीकार करने से पहले संरेखित किया गया था। सभी स्टोर्स की गुणवत्ता में एकरूपता और शून्य कमियों की पुष्टि के बाद ही वास्तविक परीक्षणों के परिणामों की पुष्टि के बाद ही स्टोर स्वीकार किए गए थे। सैनिकों द्वारा स्टोर्स का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया और गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। "

1.154 पहली खेप के पीडीआई में अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर, जिसके कारण घटिया स्टोरों को स्वीकार किया गया, मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया: –

"अनुबंध के अनुसार, परीक्षण आईएसओ मानक के अनुसार किया जाना था। तथापि, पीडीआई के दौरान, डीजीक्यूए ने एएटीसीसी (अमेरिकी) मानक के अनुसार परीक्षण किया क्योंकि डीजीक्यूए के अनुसार, एएटीसीसी (अमेरिकी) मानक आईएसओ मानक के समान था। लेखापरीक्षा का यह अनुमान कि घटिया स्टोर स्वीकार किए गए थे, पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की जाती है क्योंकि स्टोरों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया था और सैनिकों द्वारा किसी प्रकार के गुणवत्ता या दोष रिपोर्ट के मुद्दे नहीं उठाए गए थे। "

घ. जैकेट डाउन एवं ट्राउसर डाउन (जे डी टी डी) के पुराने संस्करण की अनियमित अधिप्राप्ति

1.155 जे डी टी डी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोदिंग सिस्टम (ई सी डब्ल्यू सी एस) के कुल प्राधिकरण 'एस' सेट थे। भारत सरकार की संस्वीकृति के अनुसार (अप्रैल, 2005), जैकेट डाउन एवं ट्राउसर डाउन (जे डी टी डी) एवं एक्सट्रीम कोल्ड वैदर क्लोदिंग सिस्टम (ई सी) डब्ल्यू सी. एम). जे डी टी डी के नए संस्करण हेतु निर्धारित अनुपात 50:50 था। तदनुसार, एम जी ओ ई एम निदेशालय द्वारा मैसर्स रिचनर स्यूसी एस ए,

स्विटजरलैंड के साथ 39,173 सेट की डाउन जैकेट एवं डाउन ट्राउसर (जेडी एवं टी डी) यू एस डी 199 प्रत्येक सैट की आपूर्ति हेतु संविदा की गई। संविदा के अंतर्गत अगस्त 2016 में आपूर्ति की गई।

1.156 प्रयोक्ता यूनिट ने सिफारिश की (मई 2015) कि ई सी डब्ल्यू सी एस एवं जे डी टी डी के लिए अधिप्राप्ति अनुपात 90:10 होना चाहिए क्योंकि जे डी टी डी की स्थूलता कार्य में मुक्त चाल को अवरुद्ध किया एवं जे डी टी डी में सतही कपड़े का लचीलापन नहीं था। अगस्त 2015 में हुई ई सी बैठक के दौरान यह मामला उठाया गया एवं इसे एकमत से सहमति दी गई एवं जे डी टी डी के प्राधिकरण को 'एस 10' सेट की कुल प्राधिकरण का 10 प्रतिशत के आधार पर बनाया गया।

1.157 तथापि, 39,173 सेट के जे डी टी डी के लिए प्रयोक्ता आवश्यकता एवं ई सी के अनुमोदन (अगस्त 2015) को नजरंदाज करते हुए) पुनः आदेश (जनवरी 2017) में जे डी टी एवं ई सी डब्ल्यू सी एस का 50:50 के अनुपात को लेते हुए दिया गया। इस प्रकार जे डी टी डी के 39,173 सेट (2एस/10 सेट के स्थान पर) यू एस डी 7,795, 427.00 (₹50.25 करोड़) की कीमत पर पुनः आदेश द्वारा क्रय किया गया।

1.158 एम जी ओ ई एम डी टी ई ने लेखापरीक्षा जाँच के उत्तर में कहा कि अप्रैल 2005 के सरकारी संस्वीकृति पत्र के अनुसार 50:50 के अनुपात में पुनः आदेश (जनवरी 2017) जारी किया गया था। आगे कहा गया कि अप्रैल 2017 में 90:10 के अनुपात में संशोधित आदेश जारी किया गया था।

1.159 मंत्रालय ने अपने उत्तर में यह भी कहा कि जून 2017 में जे डी टी डी एवं ई सी डब्ल्यू सी एस के बदलाव दर को चयन करके टैस्ट किया गया। अनुपात में परिवर्तन की सरकारी संस्वीकृति जून 2017 में प्राप्त हुई थी जबकि जे डी टी डी की अधिप्राप्ति का पुनः आदेश ई सी बैठक के कार्यवृत 06/16 दिनांक 09 सितंबर 2016 के अनुसार आपूर्ति में आए अंतर को दूर करने के लिए पहले ही हस्ताक्षरित कर दिया गया था। मंत्रालय का उत्तर पूर्ण तथ्यों पर प्रकाश नहीं डालता था क्योंकि ई सी ने अगस्त 2015 में अपनी बैठक में एकमत से कुल प्राधिकरण का 10 प्रतिशत के आधार पर जे डी टी डी के एस / 10 सैटों को क्रय करने का निर्णय ले लिया था। आगे, लगभग अगस्त 2015 में ई सी के निर्णय के दो वर्षों बाद जून 2017 में अनुपात में परिवर्तन की

सरकारी संस्वीकृति को जारी करने का कारण मंत्रालय द्वारा वर्णित नहीं किया गया था।

1.160 आपूर्ति में आए अंतर को दूर करने के लिए, ई सी डब्ल्यू सी एस के विकल्प की अपेक्षित मात्रा की अधिप्राप्ति की जा सकती थी। इस प्रकार, प्रयोक्ता के सामने आने वाली समस्याओं से बचने के लिए जे डी टी डी के पुराने संस्करण की अधिप्राप्ति की गई थी।

1.161 आगे मंत्रालय ने अपने की–गई-कारवाई टिप्पण में निम्नवत् बताया:-

"(i) तथ्यात्मक आंकड़े सही है तथापि, कटौती पर सहमति नहीं हुई । जेडीटीडी का रिफिट आर्डर करते समय ईसीडब्ल्यूसीएस एवं जेडीटीडी का अधिप्राप्ति औसत 50:50 था । 90:10 का संशोधित औसत जून, 2017 में सरकार की स्वीकृति के पश्चात प्रभावी था । इसमें न तो उपयोग आवश्यकता को अनदेखा किया गया था न ही इसमें प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ ।

(ii) जेडीटीडी का पुराना अथवा नया संस्करण नहीं है।10% प्राधिकार की तुलना में उसी जेडीटीडी की अधिप्राप्ति जारी है ।

(iii) कोई मद पुराना संस्करण तब होता है उसे नए मद से प्रतिस्थापित न हो जाए, न कि तब प्राधिकरण में कमी हो । औसत में परिवर्तन और जेडीटीडी के पुराने संस्करण की अधिप्राप्ति के दो और गैर-संबंधित मामलों के संपर्क के कारण कटौती भ्रांतिपूर्ण है ।

(iv) ईसीडब्ल्यूसीएस और जेडीटीडी के स्केलिंग/अधिप्राप्ति औसत के परिवर्तन में टाइम लैग सरकारी स्वीकृति के बिना कार्यान्वित नहीं की जा सकी थी।"

1.162 समिति को इस मामले पर निम्नलिखित जानकारी दी गई थी:-

"(i) लेखापरीक्षा में यह पाया गया है कि ईसी के द्वारा अगस्त 2015 के ईसीडब्ल्यूसीएस एवं जेडीटीडी के अधिप्राप्ति अनुपात में परिवर्तन किया जाना चाहिए जो अनुचित है क्योंकि मदों के स्केलिंग में परिवर्तन करना सरकार का अधिदेश है, जो केवल इसी मामले में जून 2017 में प्रदान किया गया ।

(ii) ईसी के द्वारा अगस्त 2015 में प्रयोक्ताओं के अनुमोदन के फलस्वरूप सरकार ने सितम्बर 2015 में स्केलिंग में परिवर्तन का मामला प्रारम्भ किया था इसको मंजूर होने में 2 वर्ष का समय लगना था जिसकी समय-सीमा निम्नलिखित है:-

(क) मामला शुरू हुआ - 8 सितम्बर 15

(ख)	रक्षा मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण की मांग	-	30 सितम्बर 15
(ग)	एमजीओ शाखा द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण	-	12 अक्तूबर, 15
(घ)	रक्षा मंत्रालय द्वारा मांगा गया अतिरिक्त इनपुट्स	-	22 जनवरी 16
(ङ)	एमजीओ शाखा द्वारा प्रस्तुत इनपुट्स	-	11 फरवरी 16
(च)	रक्षा मंत्रालय द्वारा मांगा गया और स्पष्टीकरण	-	3 जून 16
(छ)	एमजीओ शाखा द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण	-	9 जून 16
(ज)	रक्षा मंत्रालय द्वारा आंतरिक विचार	-	16 जून से 17 जून

(iii) जनवरी 2017 में जेडीटीडी के स्थान पर ईसीडब्ल्यूसीएस की अधिप्राप्ति के लिए लेखापरीक्षा के सुझाव पर भी उस समय अधिप्राप्ति चक्र, स्टाक स्थिति अथवा ईसीडब्ल्यूसीएस की सुनिश्चित आपूर्ति पर विचार नहीं किया गया ।

(iv) जैसाकि लेखापरीक्षा में बताया गया कि जेडीटीडी ईसीडब्ल्यूसीएस का पुराना वर्जन नहीं है । भारतीय सेना अभी भी बार-बार जेडीटीडी की अधिप्राप्ति करती है, इसे ईसीडब्ल्यूसीएस से पृथक एवं भिन्न मद के रूप में अधिकृत किया जा रहा है ।"

1.163 मंत्रालय ने अपने टिप्पण में भी निम्नवत बताया है:-

"(i) <u>अधिप्राप्तियों में अनियमितता</u> - जैसा कि उप-पैरा 2.4.1, 2.4.2., 2.4.3 एवं 2.4.4 के प्रत्येक मामले में प्रत्युत्तर में बताए गए अनुसार, न ही उपरोक्त किसी मामले में अनियमितता शामिल थी और न ही अधिप्राप्ति में किसी प्रकार की चूक है। एचएसीई मदों के लिए लेखापरीक्षा की अधिकतर टिप्पणियां बेहतरीन अधिप्राप्ति प्रक्रिया का परिणाम हैं और सुधार हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ii) **परीक्षण प्रक्रियाएं** – परीक्षण प्रक्रियाएं यह सुनिश्चित करने के लिए होती हैं कि डीजीक्यूए यह सुनिश्चित करे कि थोक डिलीवरी उपयोगकर्ता द्वारा अनुमोदित नमूनों के अनुसार हो । इस प्रकार अनुबंध में एक बेहतरीन एवं अनुकूलित परीक्षण प्रोटोकॉल होता है जो पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानकों से जुड़ा होता है। आगे की जांच और इसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा।"

1.164 समिति ने मौखिक साक्ष्य के दौरान पाया कि अगस्त 2015 में अधिकार प्राप्त समिति का सर्वसम्मत निर्णय था, लेकिन जनवरी 2017 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। समिति ने जानना चाहा कि क्या अधिकारियों ने कोई अनुवर्ती कार्रवाई की और मंत्रालय को अधिप्राप्ति अनुपात में बदलाव करने में दो साल क्यों लग गए। समिति ने आगे कहा कि उपयोगकर्ताओं ने 2015 में फैसला किया कि वे जैकेट का एक विशेष अनुपात चाहते हैं, लेकिन मंत्रालय ने 2017 तक इस आवश्यकता का जवाब नहीं दिया या परिवर्तन नहीं किया। समिति के अनुसार, इससे यह धारणा बनती है कि निहित स्वार्थ थे। समिति यह जानना चाहती थी कि क्या प्रक्रिया को सख्त कर दिया गया है। मंत्रालय ने निम्नवत बताया :-

"सेना मुख्यालय स्तर पर फाइल में प्रस्तावों कि शुरुआत की गई है और यह सेना मुख्यालय सहित रक्षा मंत्रालय/रक्षा मंत्रालय (वित्त) में विभिन्न माध्यमों के जरिए प्रक्रियाधीन है । रक्षा मंत्रालय/सेना मुख्यालय द्वारा बैठक आयोजित कर और सक्षम प्राधिकारी की अंतिम स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व फाइलों के परिचालन के जरिए प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। और इस प्रकार मामले के निपटान में कुछ समय लगता है। यद्यपि, मंत्रालय/एएचक्यू में मामलों की प्रगति के लिए समय को कम करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है, गुणवत्ता और प्रक्रियाओं से समझौता किए बिना मामलों को समय पर अंतिम रूप देने के लिए ठोस प्रयास किए जाते हैं। डीपीएम-2009 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार मामलों को आगे बढ़ाया जाता है।"

1.165 समिति द्वारा यह विचार व्यक्त किए जाने पर कि खरीदी गई पुरानी वस्तुओं जैसे फेस मास्क, जैकेट और स्लीपिंग बैग ने सैनिकों को बेहतर उत्पादों का उपयोग करने के लाभों से वंचित किया , मंत्रालय ने उत्तर में निम्नवत बताया :

" (क) ट्रायल में किसी मद का अनुमोदन प्रौद्योगिकी पर आधारित नहीं है बल्कि यह संक्रियात्मक उपयोग के लिए उपयुक्तता और प्रभाविता पर आधारित है ।

उपयोगकर्ता उत्पाद की विशिष्टताओं पर विभिन्न मदों की तुलना नहीं करता है, बल्कि उपयोगिता और उपयुक्तता पर करता है ।

(ख) चयन और तुलना का मापदण्ड तकनीकी विशिष्टताओँ के बजाय संक्रियात्मक परिस्थितियों के तहत प्रभाविता है । विशेष प्रक्रियाओं के माध्यम से अधिप्राप्त मदों के लिए दैनिक अधिप्राप्तियों हेतु प्रक्रियाओं और पद्धतियों को लेखापरीक्षा अनुप्रयोग से अस्पष्टता उत्पन्न होती है।"

1.166 जब समिति ने यह जानना चाहा कि क्या मंत्रालय ने मंत्रालय और विक्रेता के बीच संविदा प्रक्रिया के ओवरहाल की आवश्यकता पर विचार किया है जहां विक्रेता पर अधिक अन्तर्विष्ट संविदात्मक प्रतिक्रियाएं और संविदात्मक जवाबदेही होती है और यह व्यक्तिनिष्ठ हस्तक्षेप अथवा व्याख्या आदि के अध्यधीन नहीं है, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया :-

"एचएसीईई की टेंडरिंग और संविदा रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल (डीपीएम) के अनुसार है, यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसे आवधिक समीक्षा के माध्यम से तैयार किया गया है। सभी अधिप्राप्ति प्रक्रियाएं राज्य के सर्वाधिक हितों को ध्यान में रखते हुए डीपीएम में दिए गए दिशानिर्देशों की तार्किक व्याख्या के माध्यम से की जाती है एवं निर्णय लिए जाते हैं । जहां तक विक्रेताओं के कार्य-निष्पादन का संबंध है, अधिप्राप्ति प्रक्रिया में हमेशा वास्तविक आपूर्तिकर्ता को चिन्हित करने का प्रयास रहता है । इसके लिए डीपीएम द्वारा अधिकृत वितरक, डीलरों और स्टाकिस्टों की अनुमति के बावजूद अब ओईएम से ही टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं ।"

(पाँच) डीएमएसआरडीई कानपुर द्वारा अधिक ऊँचाई हेतु विशिष्ट कपड़ों का स्वदेशीकरण और अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास

1.167 कानपुर में रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (डीएमएसआरडीई) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के तहत एक रक्षा प्रयोगशाला है। डीएमएसआरडीई निम्नलिखित विशेष कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार है :-

1. अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास

(क) पॉलीमर्स, इलास्टोमर्स एवं कंपोजिट्स

(ख) विशेष फाइबर, कपड़े तथा उनके रक्षा में उपयोग

(ग) नए एवं अत्याधुनिक अधात्विक सामग्री

2. विशेष सामग्री, आसंजक, सीलों, पेंट, स्नेहक, द्रवीय पदार्थ तथा शीतलक आदि की सेवाओं को प्रोत्साहन।

1.168 लेखापरीक्षा ने देखा कि पिछले पाँच वर्षों में डीएमएसआरडीई द्वारा ईसीसी एवं ई/एससी एमई मदों के अनुसंधान एवं विकास हेतु किसी भी नई परियोजना का निष्पादन नहीं किया गया था क्योंकि एमजीओ ने इसके लिए कोई मांग नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, पिछले पाँच वर्षों में डीएमएसआरडीई द्वारा ईसीसी मदों के लिए अनुसंधान एवं विकास का कोई भी मामला आरंभ नहीं किया गया था। इस प्रकार, पिछले पाँच वर्षों में डीएमएस आरडीई द्वारा अनुसंधान एवं विकास के साथ-साथ उत्पाद में सुधार की कमी के कारण, थल सेना को मजबूरी में एससीएमई मदों को विदेशी विक्रेताओं से आयात कराना पड़ा।

1.169 मंत्रालय ने अपने की-गई -कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया:-

"(एक) वास्तविक स्थिति यह है कि 100% ईसीसी एंड ई और 71% एससीएमई मदें, स्वदेशी मदें है । एससीएमई में आयात मदों को भारतीय उद्योगों के साथ काम करते हुए 43% से 29% तक नीचे लाया गया है जो एक ऐसी प्रणाली है जो प्रभावी और सफल साबित हुई है । ऐसी मदें जो स्वदेशीकृत की गई हैं उनमें ईसीडब्ल्यूसीएस, विशेष ऊनी मोजे, रकसैक 70 लीटर, स्नो गोगल्स, समर सूट, थर्मल इन्सोल्स, एचएपीओ चैम्बर और अंडर स्लंग कार्गो नेट हैं ।

(दो) आयात किए जा रहे 29% में से, 35% को स्वदेशीकरण किए जाने हेतु डीआरडीओ को सौंपा गया है और शेष को ट्रेड के माध्यम से पूरा किया जा रहा है ।

(तीन) स्वदेशी विनिर्माण सुविधाओं के गठन के लिए भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु लंबी अवधि संविदाओं के जरिए आयात प्रतिस्थापन के संबंध में प्रयास किया जा रहा है ।"

1.170 यह पूछे जाने पर कि एमजीएस शाखा ने पिछले पांच वर्षों में ईसीसी एंड ई और एससीएमई मदों के लिए कोई मांग क्यों नहीं उठाई ,मंत्रालय ने उत्तर में निम्नवत बताया :-

"भारतीय सेना ने उन्हें कोई विशिष्ट परियोजना नहीं दी थी क्योंकि अधिप्राप्ति और स्वदेशीकरण फोकस क्षेत्र हैं। पीएसी की सलाह पर, डीआरडीओ को अक्टूबर 2020 में उन मदों का अनुसंधान एवं विकास करने का प्रस्ताव दिया गया था जो

वर्तमान में धातुकर्मीय एवं इलेक्ट्रॉनिक चुनौतियों अर्थात करबिनर, रॉक पिटोन, आइस एक्स, बूट क्रैम्पन्स, एवलांच विक्टिम डिटेक्टर और एवलांच एयरबैग के समाधान के रूप में भारतीय उद्योग के पास उपलब्ध नहीं हैं। अब हम एससीएमई की मदों सहित तकनीकी कपड़ों के निर्माण के लिए वस्त्र मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहे हैं। "

1.171 समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी जानना चाहा कि क्या डीआरडीओ-कानपुर का बेहतर सदुपयोग किया जा रहा है, मंत्रालय ने उत्तर में निम्नवत बताया :-

"(क) पीएसी की सलाह के आधार पर, डीआरडीओ ने हाल ही में शेष एससीएमई मदों के स्वदेशीकरण के लिए एक विशेष 'विकास परियोजना' शुरू की है।

(ख) करबिनेर 'एस' प्रकार, रॉड ऐवलांच और एचएपीओ चैंबर एससीएमई मदें हैं जिन्हें डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, जो इन-सर्विस हैं और टीओटी भागीदारों द्वारा आपूर्ति की जा रही है।"

1.172 समिति ने यह पूछा कि 29% से कम करके 0% तक लाने में और कितना समय लगेगा, इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और कितने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं ने भारतीय उद्योग के साथ टाइ-अप करके विनिर्माण इकाइयां स्थापित की हैं, इस संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत बताया :-

"(क) स्वेदशीकरण एक विशेष एवं सतत फोकस क्षेत्र है । हम अपनी जरूरतों को सुग्राही बनाने के लिए लगातार भारतीय उद्योग तक पहुंच बना रहे हैं । नियमित निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं और इस वर्ष भी आपूर्ति के नए एवं स्वदेशी स्रोतों को चिन्हित करने के लिए उपयोगकर्ता परीक्षण किए गए । तथापि, कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि यह पूर्ण रूप से भारतीय विनिर्माताओं की प्रतिक्रियाशीलता एवं संक्रियात्मक उपयोग हेतु पाए गए प्रभावी उत्पादों पर निर्भर करती है । गत कुछ वर्ष में हासिल की गई सफलता को देखते हुए हम आश्वस्त हैं कि भारतीय उद्योगों के सहयोग से 100% आयात प्रतिस्थापन संभव है।

(ख) वर्तमान में, जानकारी अनुसार, मौजूदा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं में से किसी ने भी भारत में विनिर्माण इकाई स्थापित नहीं की है किन्तु उनको भारत में या तो भारतीय कम्पनी के साथ संयुक्त उद्यम या पूर्ण रूप से भारतीय सहायक स्वामित्व के जरिए विनिर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।"

1.173 समिति, रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया नीति' को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे प्रभावी कदमों के बारे में भी पूछा, मंत्रालय ने निम्नवत बताया :-

"रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया नीति को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

(एक) डीपीपी 2016 को रक्षा अर्जन प्रक्रिया (डीएपी)-2020 के रूप में संशोधित किया गया है, जो 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के भाग के रूप में घोषित रक्षा संशोधन के सिद्धांतों के द्वारा नियंत्रित होती है।

(दो) रक्षा उपस्करों के स्वदेशी डिजाइन और विकास को बढ़ावा देने हेतु 'खरीदें{भारतीय-आईडीडीएम (स्वदेशी रूप से अभिकल्पित, विकसित एवं विनिर्मित)}' श्रेणी की 2016 में शुरूआत की गई थी और पूंजीगत उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी।

(तीन) 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के सरकार के प्रयासों के अनुसरण में और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए, अगस्त, 2020 में 101 मदों वाली 'पहली सकारात्मक स्वदेशीकरण' सूची अधिसूचित की गई थी। इस सूची में हमारी रक्षा सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्टिलरी गन्स, असाल्ट राइफलों, कार्वेट्स, सोनार प्रणालियों, परिवहन विमानों, हल्के युद्धक हेलीकाप्टरों (एलसीएच), रडारों तथा अन्य कई मदों जैसी कुछ उच्च प्रौद्योगिकी की हथियार प्रणालियां सम्मिलित हैं।

(चार) रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को और अधिक गति देने के लिए सरकार ने मई, 2021 में 108 मदों की 'द्वितीय पाजिटिव स्वदेशीकरण सूची' अधिसूचित की है । इससे आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और रक्षा निर्यातों को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा । अब ये सभी 108 मद रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) 2020 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार स्वदेशी स्रोतों से अधिप्राप्त की जाएंगी । दूसरी सूची में ऐसे हथियारों/प्रणालियों पर विशेष जोर

दिया दिया जा रहा है जो वर्तमान में विकास/परीक्षणों के दौर में हैं और भविष्य में इसके आर्डर आने की संभावना है । "दूसरी पाजिटिव स्वदेशीकरण सूची" में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और जटिल प्रणालियों, सेंसरों, सिम्यूलेटरों, हथियारों और गोलाबारूद जैसे हेलिकॉप्टर्स, अगली पीढ़ी के कारवेट्स, एयर बोर्न अर्ली वार्निंग और नियंत्रण (एईडब्ल्यूएंडसी) प्रणालियों, टैंक इंजनों, पहाड़ों हेतु मध्यम पावर रडार, एमआरएसएएम हथियार प्रणाली, एससीएमई (वस्त्र एवं उपकरण) और भारतीय सशस्त्र सेनाओं की आवश्कता की पूर्ति करने वाली अन्य ऐसी ही मद शामिल हैं । रक्षा उद्योग सशस्त्र सेवाओं की भविष्यलक्षी योजनाओं को पूरा करने के लिए सुदृढ़ अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं, क्षमताएं और दक्षता तैयार करने के लिए इस स्वर्णिम अवसर का लाभपूर्वक उपयोग कर सकता है । यह सूची एमएसएमई के रूप मे 'स्टार्ट अप्स' के लिए भी शानदार अवसर प्रदान करती है ।

(पाँच) इसके लिए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और सेना मुख्यालय (एसएचक्यू) सभी आवश्यक कदम उठाएगें जिसमें उद्योगों को आरंभिक सहायता भी शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 'द्वितीय पाजिटिव स्वदेशीकरण सूची' में उल्लिखित समयसीमा पूरी हो, ताकि विश्वस्तरीय अवसंरचना तैयार करने और शीघ्र भविष्य में रक्षा निर्यात के लिए क्षमताएं विकसित करने और रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के 'मेक इन इंडिया' विजन में सहायता करने के लिए भारतीय रक्षा विनिर्माताओं के लिए एक वातावरण तैयार किया जा सके ।

(छह) पूंजीगत अधिप्राप्ति की ‘मेक’ प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। मेक-I1 श्रेणी के अंतर्गत भारतीय उद्योग के लिए सरकार द्वारा विकास लागत के 70% तक वित्त पोषण करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए ‘मेक’ प्रक्रिया के अंतर्गत विशिष्ट आरक्षण हैं।

(सात) रक्षा उपस्करों के स्वदेशी विकास और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) 2016 में मेक-॥ श्रेणी (उद्योग द्वारा वित्त पोषित) के लिए शुरू की गई प्रक्रिया में पात्रता मानदंडों में छूट, कम से कम दस्तावेज, उद्योग/व्यक्ति इत्यादि द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर विचार करने

संबंधी प्रावधान आदि जैसे उद्योग अनुकूल अनेक प्रावधान किए गए हैं। अब तक सेना, नौसेना एवं वायु सेना से संबंधित 30,000 करोड़ रु. मूल्य की 55 परियोजनाओं को 'सैद्धांतिक अनुमोदन' प्रदान किया गया है।

(आठ) भारत सरकार ने नए रक्षा औद्योगिक लाइसेंस की मांग करने वाली कंपनियों के लिए रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को स्वचालित मार्ग के जरिए 74 प्रतिशत तक और जहां कहीं इसके फलस्वरूप आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच की संभावना हो अथवा रिकार्ड किए जाने वाले अन्य कारणों हेतु सरकारी मार्ग के जरिए शत-प्रतिशत तक कर दिया है। इक्विटी/शेयर धारिता पैटर्न में 49 प्रतिशत तक बदलाव करने के लिए मौजूदा एफडीआई अनुमोदन धारकों/वर्तमान रक्षा लाइसेंस धारकों के लिए अनिवार्य सरकारी अनुमोदन के स्थान पर इक्विटी/शेयर धारिता पैटर्न में बदलाव के 30 दिनों के भीतर इसकी घोषणा करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रकार की कंपनियों से एफडीआई को 49 प्रतिशत से अधिक करने संबंधी प्रस्तावों पर भी सरकारी अनुमोदन के साथ विचार किया जा सकता है। अप्रैल, 2018 में रक्षा उत्कृष्टता नवोन्मेष (आईडीईएक्स) शीर्षक से रक्षा के लिए एक नवोन्मेष पारिस्थितिकी तंत्र की शुरूआत की गई है। आईडीईएक्स का उद्देश्य एमएसएमई, स्टार्ट अप्स, वैयक्तिक नवोन्मेषकों, रक्षा और विकास संस्थानों और शैक्षिक संस्थानों सहित उद्योगों को शामिल कर रक्षा और अंतरिक्ष में नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करना है और उन्हें रक्षा और अनुसंधान का कार्य करने के लिए अनुदान/वित्त पोषण व अन्य सहायता उपलब्ध कराना है जिसकी भारतीय रक्षा और अंतरिक्ष आवश्यकताओं के लिए भविष्य में अपनाने की संभावना है।

(नौ) आयात प्रतिस्थापन के लिए एमएसएमई/स्टार्टअप्स/उद्योग को विकास संबंधी सहयोग उपलब्ध कराने हेतु उद्योग इंटरफेस के साथ डीपीएसयू/ओएफबी/सेवाओं के लिए अगस्त, 2020 में सृजन नामक एक स्वदेशी पोर्टल शुरू किया गया है।

(दस) "इस प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मई, 2019 में "आफसेट पोर्टल" शुरू किया गया है। रक्षा विनिर्माण के लिए

निवेश बढ़ाने और प्रौद्योगिकी पर बल देने के साथ डीएपी 2020 में ऑफसेट नीति में सुधार शामिल किए गए हैं।"

(ग्यारह) सरकार ने 'सामरिक साझेदारी (एसपी)' माडल मई 2017 में अधिसूचित की है जिसमें एक पारदर्शी और प्रतियोगी प्रक्रिया के जरिए भारतीय कंपनियों के साथ दीर्घकालिक सामरिक साझेदारियां स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जिनमें वे प्रौद्योगिकी अंतरणों के लिए वैश्विक मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएम) के साथ गठबंधन करेंगे ताकि घरेलू विनिर्माण अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थापित की जा सकें।

(बारह) सरकार ने उद्योग पारिप्रणाली तैयार करने के उद्देश्य से मार्च, 2019 में "रक्षा प्लेटफार्मों में उपयोग होने वाले घटकों एवं स्पेयर्स के स्वदेशीकरण हेतु नीति" अधिसूचित की है जो भारत में रक्षा उपकरण और प्लेटफार्म हेतु आयातित घटकों (मिश्र धातुओं एवं विशेष सामग्री सहित) और उप-असेम्बली का स्वदेशीकरण करने में सक्षम है ।

(तेरह) "कलपुर्जों, संघटकों, एग्रीगेट्स तथा रूसी/सोवियत मूल के शस्त्रों एवं रक्षा उपस्करों से संबंधित अन्य सामग्रियों के संयुक्त विनिर्माण के लिए आपसी सहयोग" के संबंध में एक अंतर-सरकारी करार (आईजीए) पर सितम्बर 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे। आईजीए का उद्देश्य "मेक इन इंडिया" पहल के फ्रेमवर्क के तहत रूसी मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएम) के साथ संयुक्त उद्यम/भागीदारी के सृजन के जरिए भारतीय उद्योग द्वारा भारतीय क्षेत्र में कलपुर्जों एवं संघटकों के उत्पादन को संगठित कर भारतीय सशस्त्र सेनाओं में वर्तमान में सेवारत रूसी मूल के उपस्करों की बिक्री पश्चात सहायता तथा संक्रियात्मक उपलब्धता को बढ़ाना है।

(चौदह) औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाली रक्षा उत्पाद सूची को तर्कसंगत बनाया गया है और अधिकांश पाट्र्स अथवा घटकों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। आईडीआर अधिनियम के तहत प्रदत्त औद्योगिक लाइसेंस की आरंभिक वैधता को मामले दर मामले आधार पर 3 वर्ष तक आगे बढ़ाने के प्रावधान के साथ 3 वर्ष से 15 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है । अब तक लगभग 500 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

(पंद्रह) रक्षा उत्पादन विभाग ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा अधिसूचित नवीनतम लोक अधिप्राप्ति आदेश 2017 के तहत 46 मदों को अधिसूचित किया गया है जिसके लिए पर्याप्त स्थनीय क्षमता और प्रतिस्पर्धा है और इन मदों की अधिप्राप्ति खरीद मूल्य पर ध्यान दिए बिना केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से की जाएगी।

(सोलह) इस क्षेत्र में निवेश हेतु अवसरों, प्रक्रियाओं और नियामक आवश्यकताओं से संबंधित प्रश्नों का समाधान करने के साथ-साथ सभी आवश्यक सूचना मुहैया कराने के लिए मंत्रालय ने फरवरी, 2018 में रक्षा निवेश प्रकोष्ठ का सृजन किया है।

(सत्रह) एओएन प्राप्त करते समय आपूर्ति अनुसूची पर आधारित 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से अधिक अधिप्राप्ति के साथ 'मेक' श्रेणी के तहत परियोजना को एमएसएमई के लिए निर्धारित किया है ।

(अठारह) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी को उद्योगों तक हस्तांतरण के लिए एक नई उद्योग हितैषी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) नीति तैयार की है । डीआरडीओ ने पेटेंट्स के उपयोग तक निर्बाध पहुंच के लिए भारतीय उद्योग की सुविधा के लिए नई पेटेंट नीति प्रख्यापित की है ।

(उन्नीस) डीआरडीओ ने तीनों सेनाओं, रक्षा उत्पादन और डीआरडीओ की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रौद्योगिकीय विकास निधि (टीडीएफ) नामक एक कार्यक्रम की शुरूआत की है। स्टार्टअप्स सहित सार्वजनिक/निजी उद्योग विशेषतः एमएसएमई की भागीदारी को बढ़ाकर 'मेक इन इंडिया' पहल के भाग के रूप में रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए यह योजना तैयार की गई है।

(बीस) वर्ष 2017-18 के दौरान डीडीपी ने 275 मदें अधिसूचित की थी जिन्हें पहले खुले उद्योग से प्राप्त करने के लिए ओएफबी से ही प्राप्त किया जाता था और 141 मदों को सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) पर डाला गया है ।

(इक्कीस) परीक्षण सुविधाएं: विभिन्न सरकारी एजेंसियों (ओएफबी, डीपीएसयू, डीआरडीओ, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (डीजीक्यूए), वैमानिकी गुणवत्ता

आश्वासन निदेशालय और सेना मुख्यालयों (एसएचक्यू) के पास उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं/अवसंरचना को निजी क्षेत्र को उपलबध करवाया गया है जिसका उद्देश्य उन्हें रक्षा प्रणालियों के डिजाइन एवं विकास में उन्हें सहायता प्रदान करना है) । परीक्षण सुविधाएं, प्रक्रिया और अन्य नियम एवं शर्ते संबंधित सरकारी एजेंसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

(बाईस) रक्षा स्टोर्स का तृतीय पक्ष परीक्षण (टीपीआई): एमएसएमई और निजी क्षेत्र के लिए ईज आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और "मेक इन इंडिया" का राष्ट्रीय विजन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की पहल को संबद्ध करने के लिए विभाग ने संबंधित सेनाओं के लिए तृतीय पक्ष को शामिल करके बाह्य स्रोत कार्य के जांच कार्य के प्रभावी प्रशासन के लिए तृतीय पक्ष जांच सेवा उपयोग" पर नीति दस्तावेज तैयार किया है ।

(तेईस) मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ मिशन की शुरूआत की गई थी। आईपीआर नवाचार और स्वदेशीकरण की प्रणाली को विकसित करने के लिए प्रमुख कारक है । मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति के भाग के रूप में डीडीपी में आईपीआर प्रभाग का गठन किया गया है ।

(चौबीस) केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूंजीगत अधिप्राप्ति के तहत सशस्त्र सेनाओं के उप-प्रमुख से नीचे के स्तर तक वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन में वृद्धि की है । रक्षा अर्जन प्रक्रिया-2020 की अन्य पूंजीगत अधिप्राप्ति प्रक्रिया (ओसीपीपी) के तहत 100 करोड़ रुपए तक की वित्तीय शक्तियां सर्विस कमान एवं क्षेत्रीय कमांडर्स, भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) स्तर पर जनरल आफिसर्स कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सीओ), फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (एफओसी-इन-सी), एयर आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (एओसी-इन-सी) को प्रदान की गई है और 200 करोड़ रुपए तक की वित्तीय शक्तियां आर्मी स्टाफ उप प्रमुख (सीडीएंडएस)/एमजीएस (मास्टर जनरल सस्टीनैन्स), सीओएम (चीफ ऑफ मैटेरियल), एओएम (एयर आफिसर मेन्टीनैंस), डीसीआईडीएस (डिप्टी चीफ एकीकृत रक्षा स्टाफ) और एडीजीआईसीजी (भारतीय तटरक्षक महानिदेशक) को प्रदान की गई है ।

(पच्चीस) कैबिनेट ने मेक-। श्रेणी में वित्तीय शक्तियों में वृद्धि की है जिसके तहत सरकार ने उपस्कर, प्रणालियों, बड़े प्लेटफार्म्स अथवा अपग्रेड्स के डिजाइन एवं विकास हेतु प्रोटोटाइप विकास लागत का 70% वित्त पोषण उपलब्ध है, चीफ आफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेतु चेयरमैन चीफ्स आफ स्टाफ कमिटी (सीआईएससी), वाइस चीफ आफ आर्मी स्टाफ (वीसीओएएस), वाइस चीफ आफ नेवेल स्टाफ (वीसीएनएस), डिप्टी चीफ आफ एयर स्टाफ (डीसीएएस) और तटरक्षक महानिदेशक (डीजीसीजी) को प्रोटोटाइप विकास लागत की दिशा में अब 50 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता को स्वीकृत प्रदान करने की शक्तियां प्रदान की गई । एक सुदृढ़ रक्षा औद्योगिक पारिप्रणाली के लिए सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' के 'मेक-1' एवं 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत अन्य सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों के लिए वित्तीय शक्तियों में वृद्धि की गई है ।

इसके अलावा, माननीय रक्षा मंत्री ने बजट घोषणा पर एक वेबिनार के दौरान भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र के विकास हेतु निम्नलिखित घोषणाएं की हैं :

(i) घरेलू अधिप्राप्ति सैन्य आधुनिकीकरण हेतु आवंटित राशि का लगभग 63% होनी चाहिए अर्थात वर्ष 2021-22 के लिए लगभग 70221 करोड़ रुपए ।

(ii) आत्मनिर्भर भारत हेतु मार्च, 2021 में द्वितीय सकारात्मक सूची अधिसूचित की जाएगी ।

(iii) भारत@75 अर्थात अगस्त, 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हल्के उपयोगिता वाले हेलिकॉप्टर्स हेतु एचएएल के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किए जाएं ताकि सेनाओं में प्लेटफार्म शामिल किया जा सके ।

(iv) अगले वित्तीय वर्ष में घरेलू निजी क्षेत्र से घरेलू पूंजीगत अधिप्राप्ति की 15% से अधिक की प्रत्यक्ष अधिप्राप्ति के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(v) यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि आवश्यकता हेतु स्वीकृति से संविदा पर हस्ताक्षर करने की अधिकतम अवधि दो वर्ष है, जिसके लिए गहन निगरानी की जाएगी ।

(vi) अगले वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपए मूल्य की कुछ परियोजनाओं को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान करने और प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर अंतिम रूप देने का प्रयास किया जाएगा ।

(vii) एमएसएमई एवं स्टार्टअप के वित्त पोषण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए, भारत सरकार द्वारा पहले ही 10,000 करोड़ रुपए के "फंड ऑफ फंड्स" का सृजन किया गया है । रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्र की कंपनियों को निधियन उपयोग हेतु पूर्ण सहायता दी जाएगी ।

(viii) वर्ष 2021-22 में कम से कम 5 मेक-। परियोजनाओं के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन (एआईपी) प्रदान किया जाएगा ।

(ix) स्टार्टअप्स एवं एमएसएमई "आईडीईएक्स-ओपन चैलेंज" रूट अथवा "मेक-॥ अपनी ओर से" के तहत सेवाओं के लिए स्वदेशी उत्पाद/समाधान पेश कर सकते हैं ।

(x) उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने एवं देश में बढ़ते स्टार्टअप्स आधार के समर्थन हेतु रक्षा मंत्रालय वर्ष 2021-22 की अवधि में आईईडीएक्स स्टार्टअप्स से अधिप्राप्ति हेतु 1000 करोड़ रुपए को निर्दिष्ट करेगा ।

(xi) महत्वपूर्ण एवं सामरिक कच्चे माल सहित सैन्य सामग्रियों के स्वदेशीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय, सेवाओं, उद्योग एवं शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा । टास्क फोर्स उक्त हेतु एक रोडमैप एवं कार्यान्वयन ढांचा तैयार करने में सहायता करेगा ।"

1.174 प्रस्तुत सूचना पर कि ईसीसी एंड ई में 100% और एससीएमई में 71% स्वदेशीकरण है, समिति अप्रैल 2020 से पहले और अप्रैल 2020 के बाद की अवधि में स्वदेशीकरण के इन प्रतिशतों का मान जानना चाहती थी। जवाब में, मंत्रालय ने निम्नववत प्रस्तुत किया: -

"पीएसी को प्रस्तुत ईसीसी एंड ई और एससीएमई के स्वदेशीकरण के प्रतिशत का मान अप्रैल 2020 से पहले का है। आपूर्ति के नए स्रोत की पहचान उपयोगकर्ता परीक्षण के बाद ही की जाती है। जैसा कि एक परीक्षण सर्दियों में आयोजित किए जाते हैं तो अप्रैल 2020 के बाद ही परीक्षणों का एक चक्र संभव हो गया है। अप्रैल 2020 के बाद के इस चक्र में, पहले से आयातित एक और वस्तु (काराबिनर 'पी' टाइप) के लिए स्वदेशी स्रोत की पहचान की गई है। संख्या के संदर्भ में, 57 में से 43 एससीएमई मद अब या तो स्वदेशी हैं या एक स्वदेशी स्रोत की पहचान की गई है। हालांकि, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची के आधार

पर, एससीएमई की सभी मद दिसंबर 2022 से भारतीय विक्रेताओं से अधिप्राप्ति की जाएगी ।"

अध्याय - 2

एचएए में सैनिकों के लिए विशेष राशन

विशेष राशन की खरीद

2.1 सैनिकों को विशेष राशन देने का मूल उद्देश्य कुछ विशेष मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्थितियों को कम करने के लिए वैकल्पिक खाद्य पदार्थों को प्रदान करना है, जिसका सामना सैनिकों को उच्च ऊंचाई वाली परिस्थितियों में करना पड़ता है। इन राशन मदों की अधिप्राप्ति, जारी करने और गुणवत्ता पर लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर अनुवर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है-

क. अल्प मात्रा में महंगे विकल्पों का जारी किया जाना

2.2 विशेष राशन की मूल मदों को तौला गया तथा सैनिकों को उनकी प्रतिदिन की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्राधिकृत किया गया। मूल मदों के बदले में वैकल्पिक मदों को भी प्राधिकृत किया गया परंतु केवल लागत के आधार पर तथा एक सीमित प्रतिशत की मात्रा में। लागत के आधार पर सीमा को ध्यान में रखते हुए, मूल मदों के बदले में बिना पोषण सामग्री के विश्लेषण के महंगे विकल्पों की संस्वीकृति देने के कारण इन विकल्पों की कम मात्रा में अधिप्राप्ति होती है।

2.3 इस संबंध में, अपने पृष्ठाधार टिप्पणी में, मंत्रालय ने निम्नवत प्रस्तुत किया:-

> "सेना के प्रत्येक सैनिक के लिए राशन की स्केलिंग की जाती है । पर्याप्त पोषक तत्व मुहैया कराने तथा नेमी दिनचर्या प्रशिक्षण को ध्यान में रखकर तथा विभिन्न भू-भाग दशाओं में आपरेट करने में सक्षम बनाने हेतु वैज्ञानिक तरीके से स्केल डिजाइन एवं विकसित किए जाते हैं। 9000 फीट से कम ऊंचाई, 9000 से 12000 फीट की ऊंचाई के बीच तथा 12000 फीट से अधिक ऊंचाई पर सेवारत सभी रैंकों के लिए तदनुसार विभिन्न स्केल पर राशन प्राधिकृत किया जाता है जिसमें उच्च ऊँचाई पर चुनौतियों का सामना करने हेतु उत्तरोत्तर रूप से बढ़ोत्तरी की जाती है । इसी प्रकार, राशन मानकों में कुछ बढ़ोत्तरी का उद्देश्य मरूस्थल भू-भाग में ऊष्मा और निर्जलीकरण का सामना करने के लिए है । सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (डीजीएएफएमएस) और रक्षा फिजियोलोजी एवं अलाइड साइंस संस्थान (डीआईपीएएस) राशन मानक की पर्याप्तता के संबंध में लगातार एवं आवधिक जांच करने के लिए उत्तरदायी है ।

राशन की खरीद और इसके निर्गम के लिए कड़े गुणवत्ता मानदंड सुनिश्चित किए जाते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा खाद्य मदों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक केवल न्यूनतम मानक हैं । तथापि, रक्षा खाद्य विनिर्देश (डीएफएस) एफएसएसएआई मानकों से कहीं अधिक मानक खाद्य मदों हेतु गुणात्मक पैरामीटर निर्धारित करता है । इसलिए डीएफएस को लागू करते हुए सैनिकों के लिए राशन की बहुत अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाती है । सैनिकों के लिए जारी की जाने वाली सभी राशन मदों की कड़ी गुणवत्ता जांच की जाती है और इनको केवल तभी स्वीकार किया जाता है जब ये मदें निर्धारित विनिर्देशों को पूरा करती हों ।

<u>12000 फीट से अधिक ऊंचाई पर प्राधिकृत उच्च ऊँचाई राशन</u> : 1984 में, सियाचिन में तैनात सैनिकों के लिए राशन के विशेष मानक निर्धारित किए गए थे । सियाचिन में तैनात सैनिकों के अनुभवों के आधार पर इन राशन मानकों में अगले कुछ वर्षों तक और सुधार किया गया । वर्ष 2010 में, इन विशेष राशन मानकों को उन सभी सैनिकों के लिए प्राधिकृत कर दिया गया जिनकी तैनाती 12000 फीट अथवा इससे अधिक ऊंचाई पर होती है। सरकार उन अन्य मदों की प्राधिकृत खरीद को भी मंजूरी प्रदान करती है जो राशन के मानक में सूचीबद्ध नहीं होती है और जिनकी मांग 12000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात फार्मेशन के द्वारा की जाती है सैनिकों की रूचि के अनुरूप जीओसी-इन-सी कमान द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

<u>राशन की खरीद</u>

(क) <u>नाशवान राशन</u> : नाशवान राशन की खरीद कमान, कोर, क्षेत्र और सब एरिया मुख्यालयों के स्तर पर संविदाएं निर्णीत करते हुए की जाती है। प्रत्येक स्टेशन के लिए सरकारी आदेशों के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत वेंडरों के साथ पृथक रूप से संविदाएं की जाती हैं। संविदाएं केवल उत्तरी और पूर्वी कमान में बातचीत से स्थानीय सहकारी सोसाइटियों और एनसीडीएफआई के साथ दुग्ध संबंधी संविदाओं के साथ तय संविदाओं को छोड़कर संविदाएं केवल लोक खरीद पोर्टल पर पंजीकृत वेंडरों के साथ ही की जाती है ।

(ख) <u>शुष्क/डिब्बा बंद आपूर्तियां</u> : सभी शुष्क/डिब्बा बंद आपूर्तियों की खरीद केन्द्रीय अधिप्राप्ति एजेंसी अर्थात सेना अधिप्राप्ति संगठन (एपीओ) के अंतर्गत शीर्ष स्तर पर की जाती है। संविदाएं वार्षिक आधार पर की जाती है जिसमें आपूर्ति

डिपो पर उपलब्ध भंडारण स्थान तथा खाद्य मदों की शैल्फ लाइफ का उचित ध्यान रखते हुए आपूर्तियां पूरे वर्ष की जाती है । राशन की खरीद डीपीएम-2009 के प्रावधानों तथा इसमें किए गए संशोधनों के अनुरूप पंजीकृत तथा अपंजीकृत वेंडरों के साथ लोक खरीद पोर्टल पर खुली निविदा पूछताछ के जरिए की जाती है।

सैनिकों को राशन जारी करने से पूर्व विशेषज्ञ संगठन अर्थात खाद्य निरीक्षण संगठन द्वारा कड़ी गुणवत्ता जांच की जाती है। इस संगठन में भारी संख्या में निरीक्षण अधिकारी और रक्षा खाद्य विश्लेषक होते हैं।

समय की कसौटी पर खरी उतरी पद्यति के जरिए राशन की समयोचित प्रोविजिनिंग और खरीद की जाती है और निर्धारित मानकों के अनुसार सैनिकों को इसकी आपूर्ति की जाती है। किसी प्रकार की आकस्मिकता के लिए पर्याप्त उपाय लागू किए जाते हैं और उनकी आयोजना और उनका रिहर्सल किया जाता है। आज तक किसी भी परिस्थिति में सैनिकों को राशन की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आई है।"

2.4 एच क्यू एन सी द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) का पैराग्राफ 6 यह अनुबंधित करता है कि मूल मदों के बदले में कैलोरी मान को ध्यान में रखते हुए केवल समरूप वैकल्पिक मद की मांग ही की जा सकती है लागत के आधार पर सस्ती मदों के बदले में महंगी मदों की मांग नहीं की जानी चाहिए ऐसे मामले में, महंगी मद की मात्रा बहुत कम होगी।

2.5 लेखापरीक्षा ने देखा कि दोनों कमानों में, लागत के आधार पर महंगे विकल्प प्रदान किए जा रहे थे। इससे न केवल एस ओ पी के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, अपितु इसके परिणामवश, कम कैलोरी का सेवन किया गया, जो 48.00 एवं 82.75 प्रतिशत के बीच था।

2.6 नमूना जांच में चयनित मदों के कैलोरी सेवन के प्रभाव के मामलों को नीचे तालिका में संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका: मूल मदों के विकल्पों का कैलोरी पर प्रभाव

क्रम संख्या	मूल मद	वैकल्पिक मद	मात्रा	प्रति संख्या/किलो की दर	विकल्प की खरीद हेतु उपलब्ध राशि(रु में)	लागत के आधार पर आपूर्ति की गई विकल्प की आपूर्ति	मूल मद में कैलोरी	वैकल्पिक मद में कैलोरी	कम प्रदान की गई कैलोरी का प्रतिशत
1	अंडा ताजा		03 संख्या	3.9			158		
		चिकन कबाब		684.98	11.70	17.08		27.26	82.75
2	सेमियाँ		0.020 ग्राम	59.26			70		
		शहद		212.99	1.18	5.54		21.10	70.00
3	मूँगफली नमकीन		0.010	134.41			57		
		चिक्की मूँगफली		241.50	1.34	5.550		29.76	48.00

2.7 उत्तर में, मंत्रालय ने बताया (मई 2019) कि एस ओ पी के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा था क्योंकि केवल कैलोरी की मात्रा ही एकमात्र घटक नहीं है

जिसको ध्यान में रखा गया, अपितु सैनिकों की पसंद, विविधता, आहार पूरक पोषण मूल्य को भी ध्यान में रखा गया।

2.8 उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम कैलोरी मात्रा वाले कम मात्रा के राशन के प्रावधान के कारण उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में नियुक्त सैनिकों के स्वास्थ्य एवं दुरुस्ती के साथ समझौता किया गया। यहाँ तक की एस ओ पी भी स्पष्ट रूप से यह बात कहता है कि कैलोरी मात्रा को बनाए रखने हेतु महंगे विकल्पों की अधिप्राप्ति नहीं की जानी चाहिए ।

2.9 कम मात्रा में विकल्पों की अधिप्राप्ति का किया जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि अत्यधिक ऊँचाई तथा खराब मौसम स्थिति में नियुक्त सैनिकों द्वारा कम कैलोरी का सेवन किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप इन सैनिकों का वजन घटता है। मार्च 2010 में किए गए क्वार्टर मास्टर जनरल (क्यू एम जी) के अध्ययन से भी इस बात की पुष्टि हुई तथा अध्ययन दल द्वारा सुझाव दिया गया कि मात्रा के संदर्भ में वैकल्पिक मदों को प्राधिकृत किया जाना चाहिए। अध्ययन दल की सिफारिशों पर रक्षा मंत्रालय द्वारा अभी भी कार्रवाई किया जाना शेष है।

2.10 मंत्रालय ने इस संबंध में आगे सूचना दी:

> "(क) <u>उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्र में सैन्य टुकड़ियों की पसंद के संबंध में महत्व</u> : उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में कार्यरत सैन्य टुकड़ियों में अनोरेक्सिया की शिकायत पाई जाती है, यह एक सिन्ड्रोम है जिसमें भूख की कमी देखी जाती है । इस चुनौती के समाधान के लिए सैन्य टुकड़ियों की प्राथमिकता एवं उनकी अभिरूचि को उचित महत्व दिया जाता है ताकि उनके आहार में विविधता उपलब्ध कराते हुए कई विकल्पों के साथ भूख बढ़ाने एवं खाने की इच्छा उत्पन्न की जा सके । इस प्रकार इस तरह के स्थानों पर कार्यरत सैन्य टुकड़ियों की प्राथमिकता को अधिक महत्व दिया जाता है जिसका उद्देश्य यह होता है कि 'फूड इनटेक' को बढ़ाया/प्रोत्साहित और उसमें वृद्धि की जा सके । इस संबंध में लेखा परीक्षा दल ने अपनी रिपोर्ट (पृष्ठ 40) के पैरा ख में यह स्वीकार किया है कि सैन्य टुकड़ियों को विशेष राशन देने का उद्देश्य उच्च ऊँचाई वाले विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक स्थितियों से बचने के लिए वैकल्पिक आहार सामग्री उपलब्ध करवाना है ।

(ख) <u>जीएसएल के अनुसार अधिप्राप्ति नीति/अधिदेश</u> : 12000 फीट से ऊंचे स्थानों पर तैनात सैन्य टुकड़ियों के लिए विशेष राशन की भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक 19 मई, 2010 के 66195/क्यू/एस-6/1069/डी (क्यूएस) एवं दिनांक 23 सितम्बर, 2010 (परिशिष्ट क का संदर्भ लें) के शुद्धिपत्र सं. 66195/क्यू/एसटी-6/1948/डी (क्यूएस) के तहत जारी की गई थी । उक्त स्वीकृति 12000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर तैनात फार्मेशन्स द्वारा मांग की गई ऐसी राशन सामग्री जो स्केल ऑफ राशन में सूचीबद्ध नहीं है, की खरीद और 'सैन्य टुकड़ियों के आहार संबंधी रूचि को पूरा करने के लिए' जीओसी-इन-सी कमान द्वारा स्वीकृत सामग्री की खरीद के लिए प्राधिकृत करती है । इसमें आगे निर्धारित किया गया है कि अधिप्राप्ति की गई इस प्रकार की मदों की लागत आहरित/अनाहरित श्रेणी के तहत मदों की लागत से अधिक नहीं होगी । इस प्रकार जीएसएल में दो विचारार्थ विषय अर्थात एक अधिकतम वित्तीय सीमा और सैन्य टुकड़ियों की आहार संबंधित अभिरूचि निर्धारित है । उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में दैनिक स्केल ऑफ राशन में 33 मद समूह (परिशिष्ट में दिए गए अनुसार) है । इसमें से 15 मदों को 'विशेष राशन' की श्रेणी में रखा गया है जिसे सैन्य टुकड़ियों की प्राथमिकता के आधार पर अन्य मदों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है । आटा/चावल, दाल, चीनी, चाय आदि जैसे मूल राशन सहित शेष 18 मदों को इसी तरह से जारी कर दिया जाता है । इन 'मूल मद समूह' में दैनिक आहार का प्रमुख भाग शामिल है और यह एक सैनिक की अधिकांश पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है ।

(ग) एक सैनिक द्वारा ग्रहण की जाने वाली कुल कैलोरी मात्रा की गणना के लिए यह तार्किक है कि जारी की जा रही 33 मदों (विकल्पों सहित) में से प्रत्येक की कैलोरी के हिसाब से मात्रा की गणना की जाए और उसका कुल आकलन किया जाए । इससे स्थिति स्पष्ट होगी ।

(घ) पूरे दिन के राशन में प्रदान की जा रही ग्रहण की जाने वाली कैलोरी की गणना की बजाय लेखापरीक्षा दल ने तीन मदों का चुनाव किया और इसकी किसी एक विकल्प से तुलना की । लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणी कि विकल्पों को जारी करने से कम कैलोरी अर्थात 48.00 से 82.75 प्रतिशत की रेंज में कैलोरी प्राप्त हो रही है, भ्रामक है और इससे एक मिथ्या धारणा बनती है ;

जैसे कि केवल एक मद (अर्थात अंडा) एक सैनिक के लिए संपूर्ण दिन का राशन जिससे वह आवश्यक पोषण प्राप्त करता है, बन जाता है । जमीनी हकीकत यह है कि पूरे दिन के राशन से प्राप्त ऊर्जा (वैकल्पिक खाद्य सामग्री सहित) की तुलना में जब खर्च की गई ऊर्जा से की जाती है तो यह पर्याप्त से ज्यादा पाया गया । डीआईपीएएस ने वर्ष 2013-16 से वर्तमान राशन मानकों की पौष्टिकता संबंधी एक व्यापक अध्ययन किया है । 12000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनात सैन्य दलों के लिए व्यय ऊर्जा और ग्रहण की गई ऊर्जा का विवरण निम्नवत है :

(i) कुल व्यय की गई ऊर्जा - 4270 किलो कैलोरी (+/- 550)

(ii) मौजूदा राशनों से प्राप्त की गई कुल ऊर्जा – 5430 किलो कैलोरी (वैकल्पिक मदों सहित)

(ङ) <u>विशेष राशनों संबंधी मार्च 2010 का अध्ययन</u> – लेखापरीक्षा रिपोर्ट ने अपने इस तर्क कि वैकल्पिक खाद्य सामग्रियों के निर्गम के कारण सैन्य टुकड़ियों द्वारा ग्रहण की गई कैलोरी कम होती है, की पुष्टि के लिए मार्च 2010 में किए गए अध्ययन का उल्लेख किया है । लेखापरीक्षा टीम के द्वारा अध्ययन रिपोर्ट से प्राप्त परिणामों को स्पष्ट रूप से गलत तरीके से पेश किया गया है । अध्ययन में, यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तालिका के अनुसार विशेष राशनों का पौष्टिक स्तर जो कमान के द्वारा तैयार किया गया, पर्याप्त है । अध्ययन रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया कि "यह पुनः दोहराया जाता है कि वैकल्पिक/स्थानापन्न मदों को केवल पौष्टिकता के दृष्टिकोण से ही नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे ग्रहण किए जाने वाले भोजन की मात्रा में वृद्धि के रूप में भी देखा जाना चाहिए।" अध्ययन में यह पाया गया कि वैकल्पिक मदों को जब सैन्य टुकड़ियों की प्राथमिकता के अनुसार लागत से लागत आधार पर जारी किया जाता है, का कैलोरीफिक वैल्यू 5779 किलोकैलोरी से 5867 किलोकैलोरी (वैकल्पिक रूप में जारी मदों पर आधारित) के मध्य होता है, जो स्पष्ट रूप से आवश्यकता से अधिक है क्योंकि तथ्य यह है कि ऊर्जा व्यय केवल 4270 किलोकैलोरी (±550) होता है।"

ख . निविदा प्रक्रिया में विचलन

2.11 रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली (डी पी एम) 2009 के अनुसार ऐसी सामान्य वर्ग की आम उपयोग वाली मदें, जो सभी मामलों में स्रोतों / विक्रेताओं की विस्तृत श्रृंखला में बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं और जिनकी निविदा का अनुमानित मूल्य ₹25 लाख से अधिक है, ऐसी मदों की अधिप्राप्ति के लिए खुली निविदा प्रणाली मुख्य तरीका होना चाहिए। तथापि, अति-आवश्यक मामले में, विशेष राशन मदों की अधिप्राप्ति के लिए सीमित निविदा जाँच का सहारा लिया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने मई 2010 के पत्र में, जी ओ सी -इन -सी की प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के तहत खुली निविदा प्रणाली का पालन करने का निर्देश दिया।

2.12 इसके अतिरिक्त, क्यू एम जी ने सितंबर 2010 के अपने प्रशासनिक अनुदेश में यह निदेशित किया कि मदों की आपूर्ति हेतु विक्रेताओं का पंजीकरण जल्द से जल्द किया जाए। उन मूल मद निर्माताओं या उनके द्वारा अधिकृत कैरी और फॉरवर्ड एजेंट की सूची बनाने हेतु प्रयास किए जाए जिनके पास अपने उत्पादों के लिए अपेक्षित एगमार्क, एफ पी ओ/ बी आई एस प्रमाणन हो।

2.13 लेखापरीक्षा ने देखा कि जहाँ ई सी में खुली निविदा प्रणाली का पालन करते हुए संविदा किया गया था, वही एन सी में विशेष राशन के लिए संविदा सीमित निविदा जांच के माध्यम से केवल पंजीकृत फर्मों से ऑनलाइन बोलियाँ मंगवा कर किया जा रहा था। इस प्रथा का तीन वर्षों में, यानि कि 2015-16 से 2017-18 तक कमान मुख्यालय / 'एक्स' कोर द्वारा पालन किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, विक्रेताओं के बीच उचित प्रतिस्पर्धा प्रतिबंधित हो गई, जो प्राप्त प्रतिक्रिया से स्पष्ट है जैसा कि नीचे तालिका में संक्षेप में प्रस्तुत है:-

तालिका: एन सी में विशेष राशन हेतु प्राप्त बोलियों का विवरण

वर्ष	संविदा करने वाला प्राधिकरण	निविदाओं की संख्या	प्राप्त बोलियों की कुल संख्या			
			एक	दो	तीन	चार
2015-16	एच क्यू एन	43	10	19	12	2

	सी					
2016-17	एच क्यू 'एक्स' कोर (एच क्यू (एन सी के तहत)	47	12	23	11	1
2017-18	एच क्यू एन सी	50	11	26	12	1

2.14 मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (मई 2019) कि 19 मई 2010 के आदेश में मैगी, कैडबरी, चॉकलेट आदि जैसे ब्रांड को खरीदने के विशेष प्राधिकरण को स्वीकृति दे दी गई थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट हो गया कि यदि ऐसी ब्रांडेड मदों को अधिप्राप्ति हेतु सूची में रखा गया था, तो किसी भी खुली निविदा की आवश्यकता नहीं थी। मंत्रालय ने कहा कि मूल मद निर्माता या उनके कैरी एण्ड फॉरवर्ड एजेंटों को दरों के प्रस्तुतीकरण के लिए पूर्व-सत्यापित किया गया था, इसलिए सरकार की संस्वीकृति का उद्देश्य पूरा हुआ। निविदा की एल टी ई विधि को अपनाना थल सेना मुख्यालय द्वारा जारी सरकारी संस्वीकृति/प्रशासनिक निर्देश के अनुसार नहीं था।

2.15 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत भी कहा:-

"(क) पूर्वी कमान में, विशेष राशनों के लिए संविदाएं ओटीई आधार पर की जा रही हैं।

(ख) उत्तरी कमान में, जो प्रक्रिया अपनाई गई थी पूरी तरह वह एलटीई के अनुसार नहीं थी बल्कि ओटीई के ज्यादा अनुकूल थी क्योंकि प्रत्येक विक्रेता जो विशेष राशनों की आपूर्ति हेतु इच्छुक थे उन्हें संगठन की जरूरत के बारे में और निविदा प्रक्रिया में भागीदारी हेतु पात्र होने हेतु पंजीकृत होने के लिए प्रक्रिया के बारे में सभी स्तर पर सारी सूचनाएं और अवसर प्रदान किए गए थे ।

(ग) उपरोक्त के बावजूद, उत्तरी कमान में भी वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए विशेष राशनों के लिए संविदा प्रक्रिया ओटीई के रूप में शुरू की गई ।. नतीजतन, संविदा चक्र लंबा हो गया है, खरीद प्रक्रिया शुरू करने के लिए अतिरिक्त लीड समय की आवश्यकता है"।

ग. विशेष राशन मदों की महंगी दरों पर स्थानीय खरीद

2.16 लेखापरीक्षा ने 2015-16 के दौरान आपूर्ति डिपो (एस डी) बंगडुबी द्वारा की गई स्थानीय खरीद में पाया कि विशेष राशन की मदों की स्वीकृत दरें एच क्यू ई सी द्वारा उसी वर्ष में संविदा द्वारा अधिप्राप्त की गई संबंधित मदों की दर से बहुत अधिक थी। स्थानीय खरीद उस अवधि में की गई जब संविदा नहीं की गई थी और इसके परिणामस्वरूप ₹27.38 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

2.17 लेखापरीक्षा ने पाया कि दरों में विविधता 42 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। इसके अतिरिक्त, यूनिट द्वारा वर्ष 2015-16 तथा 2017-18 के दौरान केंद्रीय रूप से खरीदी गई मदों की स्थानीय खरीद की गई। यह खरीद केंद्रीय खरीद दरों से अधिक दरों (37 प्रतिशत तक) पर की गई थी जिससे ₹90.47 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (मई 2019) कि दरों की स्वीकृति आवश्यक/तत्काल आवश्यकता के कारण दी गई थी क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो सैनिकों को राशन मिलने में चूक हो जाती।

2.18 इस संबंध में, मंत्रालय ने यह भी बताया:-

''(क) कमान मुख्यालय स्तर पर निविदा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने की स्थिति में स्थानीय खरीद (एलपी) का सहारा लिया जाना अंतिम विकल्प था । तथापि, यथोचित परिश्रम के साथ प्रत्येक खरीद की गई थी । एलपीपी/खरीद हमेशा कमान मुख्यालय और उपलब्ध इनपुट्स की स्थानीय खरीद(एलपी) को ध्यान में रखते हुए की जाती है। इसके अलावा, उपरोक्त खरीदों को ओटीई आधार पर ही किया गया था, जो स्वभावतः स्वयं में 'प्राइस डिसकवरी' की एक प्रक्रिया है। तथ्य यह है कि निचले स्तर पर विक्रेताओं की कमी है, इकॉनामी ऑफ स्केल्स के लाभ से वंचित हैं, ऐसी खरीदें कभी-कभार अधिक कीमतों पर की जाती हैं क्योंकि इन्हें समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना होता है जिससे राशनों में किसी प्रकार की चूक न हो।

(ख) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल अधिक मूल्य पर खरीदी गई मदों पर ध्यान दिया जाता है, इसी खरीद में कुछ ऐसी भी मदें हैं जिनका मूल्य कम होता है जैसे रेडी टू ईट (आरटीई) जीरा राइस नूड्ल्स (टॉप रामेन), नूड्ल्स वेज (टॉप रामेन), टेट्रा पैक (टीपी) जूस एप्पल, टीपी जूस मिक्सड फ्रूट, टीपी जूस ओरेन्ज, मिल्क चाकलेट, बिस्किट पिस्ता बादाम आदि। इस प्रकार, खरीद कीमतों का निर्धारण उस समय की प्रचलित मार्केट डायनामिक्स से होता था एवं पश्चदृष्टि में इसे राजकोष को नुकसान से संदर्भित नहीं किया जा सकता। खरीद अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शी थी और संगठन के हितों का संरक्षण किया क्योंकि अत्यधिक दुर्गम जलवायु परिस्थितियों में तैनात सैनिकों को समय पर उनके वांछित अधिकार प्रदान किए गए थे।"

2.19 समिति की राय थी कि जहां केंद्रीय खरीद प्रक्रियाएं पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली पर आधारित हैं, स्थानीय खरीद कार्यवाही में कम पारदर्शिता की संभावना होती है,इसमें भ्रष्टाचार और हेराफेरी की गुंजाइश होती है और इसका परिणाम अकसर निम्न गुणवत्ता / घटिया उत्पाद होते हैं। समिति ने महसूस किया कि इस मामले पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने उत्तर में निम्नवत कहा है :-

"ओएफबी से कम आपूर्ति होने पर फील्ड कमांडरों द्वारा एल.पी. का सहारा लिया गया। इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए फील्ड कमांडरों को वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। वित्तीय सत्यनिष्ठा और खरीद की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का प्रावधान है। सभी खरीद एकीकृत वित्त सलाहकार द्वारा विधिवत सलाह दी गई सरकारी प्रक्रियाओं के अनुपालन में की जा रही है।"

घ. राशन की प्राप्ति को स्वीकार करना

2.20 ए एस सी बटालियन के एक कम्पोजिट प्लाटून द्वारा रखी गई लोड टैली, प्रमाणित रसीद वाउचर (सी आर वी) एवं दैनिक विवरण की जांच के दौरान, यह देखा गया कि लेह में सामान की वास्तविक प्राप्ति के पहले ही राशन मदों को जारी किया हुआ दर्शाया गया था।

2.21 मंत्रालय ने बताया कि संबंधित कंपोजिट प्लाटून के द्वारा कारगिल एवं लेह क्षेत्र में स्थित उपभोक्ता इकाइयों को मद जारी करने की जिम्मेदारी जिन टुकड़ी इकाइयों की थी,, वे सर्दियों के दौरान चंडीगढ़ में स्थित थी। कई अवसरों पर चंडीगढ़ में प्राप्त मद लद्दाख तथा कारगिल के दूरदराज के स्थानों पर हवाई उड़ानों के निरस्त होने या लेह

के हवाई पदाधार से सड़क परिवहन में व्यवधान के कारण कम्पोजिट प्लाटून स्थानों पर नहीं पहुँची।

2.22 इसलिए, लद्दाख / कारगिल क्षेत्र में सामान की वास्तविक प्राप्ति के पहले के दर्शाए गए निर्गम प्राप्तियाँ इस बात का संकेत नहीं करते हैं कि संविदाकार से मदों की वास्तविक प्राप्ति नहीं की गई थी या संविदा का संचालन करने वाली इकाइयों द्वारा उचित गुणवता नियंत्रण जाँच नहीं की गई थी।

2.23 लेखापरीक्षा के अनुसार, मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर संविदाकार से सामान की वास्तविक प्राप्ति तथा चंडीगढ़ में उसकी गुणवता जाँच तक स्वीकार्य है। फिर भी संबंधित कंपोजिट प्लाटून में वास्तविक प्राप्ति के पहले लेह में उपभोक्ता इकाई द्वारा उपयोग हेतु सामान को जारी किए जाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

2.24 इस संबंध में मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया:-

(क) 14 कोर के लिए विशेष राशन मदों को विभिन्न विक्रेताओं से प्राप्त किया जाता है और फारवर्ड यूनिट्स की इकाइयों/टुकड़ियों द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा की जांच की जाती है जो 'एन' क्षेत्र (चंडीगढ़) में स्थित है और तदनुसार नामोद्दिष्ट यूनिट द्वारा ग्रहण किया जाता है । स्टोर्स का आगे परिवहन एवं लेखांकन एक इन्ट्रा फार्मेसन/संगठन कार्य है अर्थात् बेस/नोडल इकाइयों तथा फारवर्ड यूनिट्स/टुकड़ियों के मध्य लेखांकन ।

(ख) इन राशनों का परिवहन एक थकाऊ और जटिल संभारिकी नेटवर्क के जरिए किया जाता है जिसमें भू-भाग और मौसमी दशाओं के कारण विघ्न आने की संभावना बनी रहती है जो मानव नियंत्रण से परे है । परिवहन/संभारिकी संसाधनों का आबंटन संक्रियात्मक गतिकी द्वारा अधिदेशित होता है । इन बड़ी संभारिकी चुनौतियों के बावजूद अति-अग्रिम चौकियों तक राशन की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास किए जाते हैं ताकि हमारी सेनाओं का अच्छा स्वास्थ्य तथा मनोबल और संक्रियात्मक क्षमता कायम रखी जा सके ।

(ग) अग्रिम क्षेत्रों में स्थित एएससी बटालियन से संबंधित आपूर्ति श्रृंखला में मदर/बेस/कम्पोजिट प्लाटूनों पर स्टोर्स की प्राप्ति सम्मिलित है और इसके आगे का प्रेषण पहाड़ी दर्रो (मौसम/क्षेत्रीय स्थिति के कारण बार-बार होने वाले अवरोधों का खतरा) के मौसम एवं सड़क की स्थिति पर निर्भर करता है।

(घ) लेखापरीक्षा प्रेक्षण पूर्ण रूप से लेखांकन के दृष्टिकोण से है और वह भी स्थानीय लेखांकन प्रक्रिया पर आधारित है जो भौगोलिक/क्षेत्रीय/ प्रतिकूल मौसम के कारण कमजोर संपर्क के साथ निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित एक यूनिट/फार्मेशन के तहत उप इकाइयों के मध्य होता है । ऐसे परिदृश्य में, इसका उद्देश्य सैन्य टुकड़ियों के हितों की रक्षा करना है, इसलिए राशन का हिसाब इस तरह से किया जाता है कि राशन की आपूर्ति में चूक न हो । इस प्रकार राशन के मामलों को दर्शाते हुए, एक अभिन्न आपूर्ति व्यवस्था हेतु उपलब्ध राशन को ध्यान में रखते हुए उच्च प्राथमिकता सैन्य टुकड़ियों के हित में प्रदान की जाती है।

ड.. प्रशासनिक जांच विवरण का सत्यापन (प्रशासनिक जांच)

2.25 युद्ध संबंधी प्रतिष्ठान पर कार्य कर रही इकाइयों में, इकाई द्वारा माह के दौरान प्राप्त तथा उपभोग किए गए राशन का विवरण प्रत्येक माह के अंत में प्रशासनिक जांच विवरण (प्रशासनिक जांच) के रूप में तैयार किया जाता है। एसओपी में अन्य बातों के साथ-साथ विशेष राशन के प्रबंधन पर यह अनुबंधित किया गया है कि मांगपत्र कमान अधिकारी/ इकाई को नियांत्रित करने वाले अधिकारी के द्वारा ही हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा यह ब्रिगेड मुख्यालय द्वारा भेजा जाएगा। मांगपत्र के साथ पिछले दो माह की प्रशासनिक जांच तथा संबंधित कंपोजिट प्लाटून पर आधारित पिछला मांगपत्र संलग्न होना चाहिए।

2.26 इकाई द्वारा राशन की माँग केवल प्रशासनिक जांच में निर्दिष्ट 'वर्तमान' (पी) के आधार पर ही की जानी चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा ने दो उपभोक्ता इकाइयों के नमूना जांच के दौरान पाया कि 'पी' की अधिक संख्या होने के बाद भी, सैनिकों की कम संख्या हेतु ही मांगपत्र जारी किया गया था। ब्रिगेड मुख्यालय द्वारा कटौती 12.29 प्रतिशत थी। परिणामस्वरूप, 35,694 सैनिकों को विशेष राशन प्रदान नहीं किया जा सका।

2.27 लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर उपभोक्ता इकाई ने कहा कि व्यपगत राशन की कोई प्रतिपूर्ति नहीं हुई थी। आगे स्पष्ट किया गया कि विशेष राशन के उपभोग करने हेतु सैनिकों की प्राधिकृत संख्या ब्रिगेड मुख्यालय द्वारा जारी की जाती है जो इकाइयों द्वारा मांगों के लिए तथा ए एस सी द्वारा निर्गम प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। यह उत्तर कम संख्या के लिए पर्याप्त राशन की मांग नहीं किए जाने के

कारणों का औचित्य साबित नहीं करता है। इसके अतिरिक्त परेड स्टेटमेंट के अभाव में, प्रशासनिक जांच में दर्शाए गए प्रयुक्त राशन का सत्यापन नहीं हो सका।

2.28 मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा कि फील्ड क्षेत्रों में राशन लेखांकन की वर्तमान प्रणाली के अनुसार, एएससी आपूर्ति इकाईयों, जो राशन जारी करती हैं, के अलावा, युद्ध सम्बन्धी प्रतिष्ठान की संरचनाओं / इकाइयों की लेखा परीक्षा नहीं हो सकती थी। फील्ड इकाइयां प्राप्त किए गए राशन के लिए प्रशासनिक जांच तैयार करती हैं जिसकी लेखापरीक्षा और जांच स्टेशन बोर्ड ऑफ ऑफिसर द्वारा की जाती है।

2.29 तथापि, मंत्रालय ने यह स्वीकार किया कि इकाइयों की परेड स्टेटमेंट के प्रस्तुतीकरण /लेखा परीक्षा के लिए कोई भी लेखांकन निर्देश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। इसलिए, प्रशासनिक जांच पर आंतरिक नियंत्रण में कमियों के कारण, सैनिकों को विशेष राशन कम दिए जाने के दृष्टांत पाए गए थे।

2.30 मंत्रालय ने इस मामले पर अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत कहा:-

> "(क) लेखांकन प्रणाली के अनुसार, आहरित किए गए राशन के लिए फील्ड यूनिट्स प्रशासनिक जांच करती हैं और इसकी लेखापरीक्षा/निरीक्षण अधिकारियों के स्टेशन बोर्ड द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक जांच की एक प्रति आपूर्ति इकाइयों द्वारा भी रखी जाती है जो लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत की जाती है ।
> (ख) रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय की क्यूएमजी शाखा के दिनांक 30 नवम्बर 2018 के पत्र सं. 0135/क्यू1(बी) के द्वारा राशन लेखांकन प्रणाली हेतु संशोधित नीति जारी की गई थी । संशोधित प्रणाली को 01 अप्रैल 2019 से लागू किया गया है । यूनिट्स द्वारा परेड स्टेट के उत्पादन/लेखापरीक्षा को अधिदेशित करते हुए लेखापरीक्षा निर्देशों को प्रस्तुत नहीं करने संबंधी सी एण्ड एजी के तर्क को भी संबंधित लेखापरीक्षा प्रक्रिया से पूर्व ही हल किया जा चुका है।"

च. प्रतिपुष्टि

2.31 चयनित इकाईयों को विशेष राशन की मदों के स्वाद, गुणवत्ता एवं स्वच्छता की स्थिति के संबंध में प्रश्नावली या 'सैनिकों के विचार' जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा ने एकत्रित की गई जानकारी से पाया कि सैनिकों ने उनको मिल रहे विशेष राशन के सभी मापदंडों के संबंध में अनुकूल विचार ही प्रस्तुत किए थे। तथापि, कुछ मदों को औसत/संतोषजनक बताया गया था, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

2.32 इस संबंध में मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में बताया:-

(क) एक सुदृढ़, समय की कसौटी पर खरा प्रतिपुष्टि तंत्र स्थापित किया गया है जो 12000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर तैनात सैन्य टुकड़ियों से नियमित आधार पर इनपुट्स प्राप्त करता है ।

(ख) मुख्यालय द्वारा सभी स्तरों पर राशनों की गुणवत्ता पर सैन्य टुकड़ियों से नियमित फीडबैक मांगा जाता है और फीडबैक पर आधारित कमान मुख्यालय के स्तर पर विशेष राशनों की संशोधित सूची तैयार की जाती है।

(ग) नियमित आधार पर प्राप्त किए गए फीडबैक अत्यन्त अनुकूल हैं। इस संबंध में सैन्य टुकड़ियों की प्राथमिकता को पूरा करने हेतु प्रक्रिया भी लागू है।

2.33 समिति ने जानना चाहा कि क्या मंत्रालय ने कभी भी उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों पर सेवारत अधिकारियों, सैनिकों को निर्धारित पैमाने के अनुसार खाद्य स्वच्छता के रखरखाव और राशन-सह-आवश्यक भोजन के विकल्प के प्रावधान से संबंधित मामलों में एक स्वतंत्र अध्ययन प्रायोजित किया है और इसके निष्कर्ष क्या थे ? समिति ने यह भी जानना चाहा कि क्या मंत्रालय ने सैनिकों को कम मात्रा में भोजन के विकल्प उपलब्ध कराने के मामले पर गौर किया है? यदि हां, तो समिति ने जानना चाहा कि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? यदि इस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया तो समिति ने इसके कारणों के बारे में जानना चाहा। मंत्रालय ने इस संबंध में निम्नवत कहा :-

"(क) डीआरडीओ के तत्वावधान में काम कर रहे एक संस्थान, रक्षा शरीर विज्ञान और संबद्ध विज्ञान संस्थान (डीआईपीएएस) द्वारा और पोषण के क्षेत्र में विशेषज्ञों से मिलकर विभिन्न परिस्थितियों में सशस्त्र बलों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करते हुए उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों को शामिल करने के लिए 2002 से 2006 तक एक विस्तृत अध्ययन कियागया था। अध्ययन में पाया गया था कि ओपी मेघदूत (सियाचिन ग्लेशियर) में तैनात सैनिक विशेष राशन की आपूर्ति से अत्यधिक संतुष्ट थे, और उन्होंने सिफारिश की थी कि इन राशनों को अन्य क्षेत्रों में भी अधिकृत किया जाना चाहिए। इसके आधार पर 2010 में उच्च तुंगता क्षेत्रों यानी 12000 फीट से ऊपर तैनात सभी कर्मियों के लिए विशेष राशन अधिकृत किया गया था, जोकि पहले नहीं किया गया था।

(ख) सैनिकों की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए कुछ वस्तुओं के विकल्प जारी करते समय पोषण पर्याप्तता के संबंध में, डीआईपीएएस के संयोजन के साथ मुख्यालय उत्तरी कमान के तत्वावधान में 2010 में एक अध्ययन किया गया था। अध्ययन रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि लागत-दर-लागत के आधार पर सूचीबद्ध और प्रतिस्थापित वस्तुओं के मिश्रण के आधार पर विशेष राशन की कैलोरी सामग्री कमोबेश समान रहती है। विकल्प जारी करने से कैलोरी की मात्रा में कोई कमी नहीं आई है। इस प्रकार अध्ययन ने सैनिकों की प्राथमिकता के आधार पर कुछ अतिरिक्त वस्तुओं के विकल्प के रूप में खानपान की प्रथा को जारी रखते हुए उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों (एनोरेक्सिया के कारण भूख की कमी का मुकाबला करने के लिए) में भोजन के सेवन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को स्थापित किया।"

2.34 राशन मद की मियाद की समाप्ति निर्धारित करने के संबंध में, मंत्रालय ने निम्नवत कहा:-

"राशन के संबंध में, सैनिकों को जारी किए गए सभी संसाधित और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ, खाद्य निरीक्षण संगठन की अभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा रक्षा खाद्य विशिष्टता के अनुसार मात्रात्मक और गुणात्मक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए विस्तृत रासायनिक, सूक्ष्म जीवविज्ञानी और भौतिक विश्लेषण के अधीन हैं। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, शेल्फ लाइफ अनुमान के लिए भंडारण के दौरान इन मानकों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है और कार्मिकों द्वारा उपभोग किए जाने वाले सभी खाद्य उत्पाद केवल वैज्ञानिक रूप से निर्धारित शेल्फ लाइफ के भीतर होते हैं। शेल्फ लाइफ एक्सपायर हो जाने के बाद सैनिकों को कोई खाद्य पदार्थ जारी नहीं किया जाता है।"

अध्याय-3

उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में आवास

3.1 संचालन निर्माण कार्य (ऑपरेशन वर्कस) के तहत उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को टेंट के बदले शेल्टर प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न भोगौलिक स्थानों/ऊँचाइयों पर मिलने वाली चुनौतियों से जूझने के लिए यह शेल्टर पूर्वनिर्मित होते हैं जो मुख्यतः पॉली यूरीथेन फोम (पी यू एफ) इंसुलेशन सहित जस्ती इस्पात में बना होता है तथा यह मुख्यतः आवास, संचयन, प्रशासनिक आवास सहायक सेवाओं आदि के लिए शेल्टर का काम करता है। अत्यधिक खराब मौसम तथा भोगौलिक - स्थितियों में आवास हेतु फाइबर रीइन्फोर्स्ट प्लास्टिक (एफ आर पी) / फाइबर ग्लास हट्स (एफ जी एच) प्रदान की जाती है। इन पूर्वनिर्मित शेल्टर के अतिरिक्त उच्च ऊँचाई पर आवास के लिए सहायक सेवाएँ जैसे कि ऊष्मीकरण, जल आपूर्ति, मलजल निस्तारण की भी आवश्यकता होती है। एन सी में आश्रय / आवास के लिए बजट का आबंटन नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका : आवास हेतु बजट का आबंटन (राशि करोड़ में)

वर्ष	एन सी के लिए कुल आबंटन	आवास हेतु विनियोजन		
		एन सी में सभी कोर	कोर 'एक्स' में एच ए ए	कुल का प्रतिशत
2015-16	508.00	165.93	75.60	45.46
2016-17	499.50	148.58	65.19	43.88
2017-18	523.28	163.34	84.35	51.64
कुल	**1530.78**	**477.85**	**225.14**	

(एक) उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में आवास के सुधार के लिए परियोजना

3.2 उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में आवास तथा रहने की स्थिति में सुधार लाने के लिए, थल सेना द्वारा वर्ष 2007 में एक अध्ययन किया गया। मुख्य अभियंता (उत्तरी कमान) की अध्यक्षता में एक अध्ययन ग्रुप द्वारा आवास, निधि की आवश्यकता तथा लागु करने के लिए समय सीमा के लिए मानक प्रारूप विकसित किया जाना था। अध्ययन को अप्रैल 2008 में पूरा कर लिया गया था।

3.3 अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर इंजीनियर इन चीफ द्वारा नए आवास के निर्माण तथा थल सेना तथा वायु सेना के वर्तमान आवास के प्रतिस्थापन/उन्नयन के लिए विचार किया गया, जिसकी अनुमानित राशि ₹3180 करोड़ थी तथा इसका निष्पादन 5 वर्ष के भीतर किया जाना था। सुरक्षा संबंधी केबिनेट समिति (सी सी एस) परियोजना की स्वीकृति देने हेतु सक्षम वित्तीय प्राधिकारी थी। तथापि, रक्षा मंत्री ने जुलाई 2009 में यह निर्णय लिया कि पायलट परियोजना हेतु सरकारी संस्वीकृति का अनुमोदन किया जाएगा तथा सी सी एस संस्वीकृति से विलंब के मामले में, परियोजना बिना किसी अवरोध के जारी रहेगी जिससे समय सीमा को बढ़ाना न पड़े।

3.4 तदनुसार, सी सी एस स्वीकृति लेने से पहले, रक्षा मंत्रालय द्वारा अगस्त 2009 में उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में नए तकनीकी उत्पादों (छः प्रकार के आवास) की क्षमता को जांचने कि लिए एक पायलट परियोजना (चरण एक) की संस्वीकृति दी गई। इस पायलट परियोजना का निष्पादन मुख्य निर्माण अभियंता (केंद्रीय आयुध भंडारगृह) सी सी ई (सी ओ डी), नई दिल्ली द्वारा 27 पोस्टों पर नवंबर 2010 तक किया जाना था। परियोजना की संस्वीकृत राशि ₹94.86 करोड़ थी जिसमे ₹2.68 करोड़ का परामर्श शुल्क सम्मिलित था। रक्षा निर्माण कार्यविधि के पैरा 38 के अनुसार चयनित निविदा हेतु तथा निविदा के लिए विज्ञापन समाप्त करने के लिए, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, रक्षा मंत्रालय की संस्वीकृति प्रदान की गयी।

3.5 पायलट परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए अपर सचिव (एम) की अध्यक्षता में जुलाई 2010 में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि 12 से 15 तक और तकनीकियों का परीक्षण किया जाए तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत (ऊर्जा पैदा करने के सौर एवं वायु स्त्रोत) तथा वर्षा के जल संचयन को सम्मिलित किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि सी सी एस नोट को अंतिम रूप दिए जाने तक ₹100 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को दर्शाया जाए। तदनुसार, रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2010 में, ₹100 करोड़ की अनुमानित राशि जिसमें 2.88 करोड़ रुपये

का परामर्श शुल्क भी शामिल था, मार्च 2011 तक की संभावित समाप्ति तिथि (पी डी सी) के साथ 24 अतिरिक्त पोस्ट के लिए आवास निर्माण हेतु पायलट परियोजना (चरण दो) की सीमा को बढ़ाया।

3.6 डायरेक्टर जनरल, मिलीटरी आपरेशन्स, ने अवगत कराया कि मुख्य परियोजना के आरंभ होने के पहले, दो मानक डिजाइनों को पुष्टि परीक्षण के तहत रखा जाए। तदनुसार, रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2013 में ₹63.65 करोड़ की अनुमानित राशि जिसमें ₹1.82 करोड़ का परामर्श शुल्क भी शामिल था, दिसंबर 2014 तक की पी डी सी के साथ 12 अतिरिक्त पोस्ट के लिए पुष्टि परीक्षण हेतु पायलट परियोजना (चरण तीन) की सीमा को दोबारा बढ़ाया, पायलट परियोजना (चरण एक और दो) दो वर्ष नौ महीने के विलम्ब के बाद दिसंबर 2013 में पूरी हुई तथा पायलट परियोजना (चरण तीन) दो वर्ष 11 महीने के विलंब के बाद नवंबर 2017 में पूरी हुई। पायलट परियोजना (चरण एक, दो और तीन) पर मार्च 2018 तक कुल ₹274.11 करोड़ का कुल व्यय हुआ था।

3.7 लेखापरीक्षा में निम्न तथ्य पाए गए :-

(एक) पायलट परियोजना के पीछे का उद्देश्य उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में आवास के सुधार के लिए नई प्रौद्योगिकियों की जाँच करना था। चुनिंदा निविदा तथा खुली निविदा/वैश्विक निविदा को नहीं करने के कारण परियोजना का उद्देश्य विफल हो गया क्योंकि इष्टतम परिणाम की प्राप्ति हेतु उद्योगों का सर्वोत्तम संभव प्रौद्योगिकियों को प्रयोग में लाना आवश्यक था जिसके लिए खुली निविदा/वैश्विक निविदा आवश्यक थी।

इसके अलावा, पायलट परियोजना का दो वर्ष से अधिक विलंब के बाद पूरे किए जाने के कारण परियोजना का सीमित समय के भीतर पूरा करने हेतु चुनिंदा निविदा के स्वीकार करने का उद्देश्य विफल हो गया।

(दो) स्पेस हीटिंग, जल तापन तथा मलजल शोधन हेतु विभिन्न प्रणालियों से युक्त 6 प्रकार के इंसुलेटेड आवासों का चार कमानों में फैले विभिन्न स्थानों पर चरण एक एवं दो में परीक्षण किया गया। ग्रीष्म शीत परीक्षण तथा प्रयोक्ता प्रतिपुष्टि के आधार पर मुख्य परियोजना के लिए दो मानक डिजाइन की संकल्पना की गई थी। इस प्रकार, व्यापक ग्रीष्म/शीत परीक्षण के संचालन तथा चरण एक एवं दो में ₹195 करोड़ व्यय

करने के बाद, केवल पुष्टि परीक्षण हेतु ₹63.65 करोड़ के मूल्य पर पायलट परियोजना (चरण तीन) की सीमा को बढ़ाए जाने का व्यय परिहार्य था ।

(तीन) पायलट परियोजना चरण एक एवं दो दिसंबर 2013 में पूर्ण कर ली गई थी तथा चरण एक एवं दो के तहत बनाई गई परिसंपतियों के दो वर्ष की दोष देयता अवधि भी वर्ष दिसम्बर 2015 में समाप्त हो गई थी। तथापि, पायलट परियोजना के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों के संबंध में रखरखाव निधि की व्यवस्था केवल वित्तीय वर्ष 2019-20 में की गयी थी।

इस प्रकार, जनवरी 2016 से मार्च 2019 तक पायलट परियोजना के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों के रख रखाव के लिए निधि उपलब्ध नहीं कराई गई थी। दोष देयता अवधि के पूर्ण हो जाने के बाद इन परिसंपतियों के रख रखाव का कोई प्रावधान नहीं था।

(चार) नवंबर 2017 में पायलट परियोजना के तीन चरण की समाप्ति के बाद डायरेक्टर जनरल, मिलीटरी आपरेशन्स ने मार्च 2018 में उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में आवास तथा रहने की स्थिति को सुधारने हेतु मुख्य परियोजना के क्रियान्व्यन पर विचार नहीं किया तथा मुख्य परियोजना को बंद कर दिया। मुख्य निर्माण अभियंता (केंद्रीय आयुध डिपो) ने अगस्त 2019 में कहा कि उन्हें मुख्य परियोजना के बंद किए जाने के पीछे के कारणों के बारे में जानकारी नहीं थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रक्षा मंत्रालय ने पायलट परियोजना के चरण एक के बंद होने की प्रतीक्षा किए बिना ही ₹163.65 करोड़ पायलट परियोजना (चरण- दो एवं तीन) के दो अतिरिक्त चरणों की संस्वीकृति दे दी थी।

(पांच) मुख्य निर्माण अभियंता (केंद्रीय आयुध डिपो) को स्पॉट कोटेशन के आधार पर परामर्श सेवाओं को हायर करना था। स्पॉट कोटेशन के आधार पर एक परामर्श फर्म के साथ 1.70 करोड़ की लागत पर चार महीनों के लिए (25 दिसंबर 2009 तक) पायलट परियोजना (चरण एक) हेतु परामर्श सेवाएँ देने के लिए 26 अगस्त 2009 को परामर्श समझौता किया गया। सितंबर 2010 में, विक्रेता के साथ पायलट परियोजना(चरण दो) के लिए परामर्श सेवाएँ प्रदान करने हेतु 31 मार्च 2011 को समाप्ति तिथि के साथ ₹1.55 करोड़ की लागत पर परामर्श समझौते को बढ़ाया गया था, जिसको ₹4.91 करोड़ की अतिरिक्त लागत पर मार्च 2014 तक विभिन्न अवधियों में दोबारा बढ़ाया गया।

सितंबर 2014 तक चरण एक एवं दो के लिए एक परामर्श फर्म को ₹8.15 करोड़ का भुगतान किया गया।

3.8 इसके अतिरिक्त, एक परामर्श फर्म के साथ ₹1.52 करोड़ की लागत पर 12 महीनों के लिए (31 मार्च 2015 तक) पायलट परियोजना (चरण तीन) हेतु परामर्श सेवाएँ देने के लिए 01 अप्रैल 2014 को परामर्श समझौता किया जिसको ₹1.78 करोड़ की अतिरिक्त राशि पर विभिन्न अवधियों के लिए फरवरी 2018 तक बढ़ाया गया। मार्च 2018 तक चरण तीन के लिए एक परामर्श फर्म को ₹3.24 करोड़ का भुगतान किया गया।

3.9 लेखापरीक्षा ने देखा कि जहाँ उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में आवास एवं निर्वाह स्थितियों के सुधार के लिए अक्टूबर 2007 में शोध आरंभ किया गया था, एक परामर्श फर्म की स्थापना अक्तूबर, 2007 में सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा की गई थी तथा एम ई एस द्वारा सभी अभियांत्रिकी एवं परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य हेतु परामर्शदाता के रूप में दिसंबर 2007 में कार्य पर लगाया गया।

3.10 लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि परामर्श सेवाओं के लिए, पायलट परियोजना के सभी चरणों के लिए रक्षा मंत्रालय की संस्वीकृति में कुल ₹7.38 करोड़ (3 प्रतिशत) को रखा गया था। तथापि, इस संबंध में एक परामर्श फर्म को परामर्श सेवाओं के लिए ₹11.39 करोड़ (4.6 प्रतिशत) की राशि का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, एक परामर्श फर्म को ₹4.01 करोड़ (₹11.39 करोड - ₹7.38 करोड़) का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी समीक्षा रक्षा मंत्रालय द्वारा किए जाने की आवश्यकता है।

3.11 मंत्रालय ने अपने की–गई-कार्रवाई टिप्पणों में निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए हैं-

"(i) परियोजना की स्वीकृति एक लघु अवधि में निष्पादित की जाने वाली एक उच्च प्राथमिकता परियोजना के रूप में की गई थी जिसके लिए सीसीई (सीओडी) को डीडब्ल्यूपी 2007 के पैरा 38 के अनुसार चयनित निविदा करने तथा निविदा के लिए विज्ञापन न देने की शक्तियां प्रदान की गई थी । इसके अलावा, कार्यों का निष्पादन उपलब्ध सीमित समय के साथ प्रतिकूल जलवायुवीय दशाओं के अंतर्गत सीमा पर दूरस्थ तथा संवेदनशील स्थानों पर उच्च तुंगता क्षेत्र में किया जाना था । इस प्रकार, अनुमोदन तथा संक्रियात्मक आवश्यकता के अनुरूप चयनित निविदाकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है ।

(ii) एचएए में आवास सुधार हेतु नई प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए, प्रायोगिक परियोजना को तीन चरणों में स्वीकृति दी गई । नवीनतम उपलब्ध प्रौद्योगिकी का समावेशन सुनिश्चित करने के लिए, परियोजना प्रबंधन समिति (पीएमसी), तकनीकी उप समिति (टीएससी) तथा परामर्शदाताओं की सेवाओं की विशेषज्ञता का प्रयोग करने के लिए स्वीकृति दी गई । इसके अलावा, केवल उन ओईएम को निविदाएं जारी की गई जिनको इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त थी तथा जो प्रत्येक चरण के पश्चात परामर्शदाताओं और प्रयोक्ताओं द्वारा संस्तुतानुसार नवीनतम प्रौद्योगिकी का समावेशन करने हेतु नए आशोधन कर सकते थे ।

(iii) आरंभिक रूप से चरण-। तथा चरण-॥ के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न डिजाइन के छह प्रकार के शेल्टरों का निर्माण किया गया । प्रयोक्ताओं के फीड बैक और संस्तुति के आधार पर दो मानक डिजाइनों को अंतिम रूप दिया गया जिनको चरण-III में कतिपय आशोधन और सुधार के साथ पुष्टिकारक परीक्षणों के लिए शामिल किया गया जो 3180.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मुख्य परियोजना की मंजूरी से पूर्व आवश्यक और न्यायोचित था।

(iv) दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 के पत्र संख्या 2001/जेएस(एबी)/2013 के द्वारा सरकारी मंजूरी के अनुसार, पूर्ण परिसंपत्तियों का अधिकार स्थानीय एमईएस विरचना/स्थानीय प्रयोक्ता यूनिट द्वारा लिया जाना था तथा खराबी उत्तरदायित्व अवधि के पश्चात इनका रखरखाव उन्हीं के द्वारा किया जाना था । निकटतम एमईएस विरचनाएं इन दूरस्थ स्थानों के अलग-अलग दूरियों पर अवस्थित थीं । इन एमईएस यूनिटों के मार्फत रखरखाव की लागत का आकलन अत्यधिक हो रहा था । स्थानीय प्रयोक्ता यूनिटें निधियों की कमी तथा तकनीकी जानकारी के अभाव में इन परिसंपत्तियों का रखरखाव करने में समर्थ नहीं थी। प्रासंगिक रूप से, इन परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु संक्रियात्मक निर्माण कार्य रखरखाव निधि के जरिए फार्मेशन इंजीनियर रेजीमेंट द्वारा इनका रखरखाव किया जाना उत्तम विकल्प माना गया। वर्तमान में, इन परिसंपत्तियों का रखरखाव फार्मेशन इंजीरियन रेजीमेंट द्वारा आपरेशनल वर्क के जरिए प्रयोज्यता की उच्च स्थिति में किया जा रहा है।

(v) जहां तक, परामर्शदाता को अधिक भुगतान किए जाने का संबंध है, यह बताया जाता है कि प्रशासनिक अनुमोदन में, 3% (तीन प्रतिशत) राशि परामर्शी

प्रभारों के लिए मंजूर की गई थी तथा परामर्शदाता द्वारा उद्धृत की गई राशि स्वीकृत प्रतिशतता से काफी कम थी। परामर्शी संविदाएं एक विशिष्ट अवधि के लिए की गई थी। तथापि, परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब के चलते परामर्शी सेवाओं की अवधि को भी अनेक बार विस्तारित करना पड़ा था जिसके फलस्वरूप अतिरिक्त भुगतान किया गया।"

3.12 इस संबंध में, पायलट परियोजना के पूरा होने के बाद भी, जब समिति ने एचएए में तैनात सैनिकों के लिए आवास और रहन-सहन में सुधार के लिए मुख्य परियोजना को बंद करने के कारणों को जानना चाहा, मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया:-

"3180 करोड़ रुपये में मौजूदा आवास को बदलने/उन्नत बनाने के लिए मूल परियोजना की अवधारणा की गई थी। रक्षा मंत्रालय ने ₹ 274 करोड़ रुपए की पायलट परियोजना को मंजूरी दी थी। प्रारंभ में, विभिन्न स्थानों पर स्पेस हीटिंग, जल आपूर्ति और सीवेज व्यवस्था के लिए विभिन्न प्रणालियों के साथ विधिवत छह प्रकार के आश्रयों की कोशिश की गई थी। उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया और सिफारिशों के आधार पर परियोजना के चरण - III में दो प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया था। । नवंबर 2017 में जब तक यह चरण पूरा हो गया, तब तक सिविल उद्योग ने भी ऐसी तकनीकों का विकास कर लिया था, और बेहतर गुणवत्ता वाले मॉड्यूलर शेल्टर व्यावसायिक रूप से शेल्फ से उपलब्ध थे। इसके लिए, कम दूरी में स्थापित किसी भी एमईएस स्थापनाओं के साथ दूरस्थ क्षेत्रों में सृजित परिसंपत्तियों के परिणामस्वरूप अत्यधिक उच्च रखरखाव लागत आई । शेल्फ के रखरखाव और बेहतर प्रौद्योगिकी की उपलब्धता दोनों मुद्दों के मद्देनज़र परियोजना को चरण III के बाद बंद कर दिया गया था।"

3.13 इस प्रश्न पर कि क्या परियोजना के बंद होने से पहले या बाद में किसी उपयुक्त विकल्प पर विचार किया गया था और यदि हां, तो परिणाम/वैकल्पिक योजना विकल्प का विवरण प्रस्तुत करने से संबंधित क्या विचार किया गया था, मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया:-

""पायलट परियोजना, आवास के निर्माण के लिए नई प्रौद्योगिकियों की पहचान करने में सफल रही और इसने भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशी विकास को प्रोत्साहित किया। अब बनाए जा रहे आश्रय गृहों के डिजाइन में काफी सुधार हुआ है: फाइबर ग्लास हट्स, पीयूएफ पैनल, प्रीफैब्रिकेटेड शेल्टर, विट्रिफाइड

/ज्वाइंट लेस टाइल के साथ जिप्सम बोर्ड तेल बुखारी, वॉटर हीटर इत्यादि। सौर विद्युतीकरण परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। पूर्वी लद्दाख में आधुनिक, मॉड्यूलर, पूर्वनिर्मित और त्वरित निर्माण योग्य शेल्टर्स, निजी उद्योग के साथ भागीदारी में आवास योजना में पूरा किया जा रहा है। सर्दियों के दौरान भी पानी की आपूर्ति के लिए वाटर प्वाइंट्स और पांड एजेस के लिए बोरवेल खोदने वाले रिगों की भी पूर्ति की गई है। इसलिए, पायलट परियोजना के बंद होने से एचएए में आवास निर्माण की योजना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।"

3.14 समिति ने इस मामले पर निम्नलिखित राय व्यक्त की थी:-

"तकनीकी विशेषज्ञता पर मेरा सवाल यह है: हमारी तकनीकी विशेषज्ञता, हमारी इंजीनियरिंग और प्रोटोटाइप क्षमताओं में यह कमी है कि हम इस तरह की चीज़ों को एक साथ नहीं रख सकते हैं? भले ही यह कठोर इलाके में हो, हमारे पास पर्याप्त से अधिक क्षमता है। मैं खुद आईआईटी दिल्ली से हूं और मैं वहां हमारे सिविल इंजीनियरिंग विभाग और आईआईटी, बॉम्बे और आईआईटी, कानपुर आदि की गुणवत्ता को जानता हूं। हमारे पास असाधारण रूप से अच्छे इंजीनियर हैं, जो यदि उन्हें उचित रूप से काम में लगाया जाता है, तो वे इन तकनीकी मुद्दों से बहुत पर्याप्त रूप से निपट सकते हैं। इसलिए, क्या हम इन बहुत कठिन चुनौतियों में से कुछ से निपटने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ तकनीकी दिमाग ला रहे हैं? यह क्षमता का मुद्दा है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अंत में, हमारे पास विरोधी हैं लेकिन हमारे पास बहुत सारे साझेदार भी हैं जो इन कठोर इलाकों की परिस्थितियों से भी निपटते हैं। ऐसा क्या है कि हम उन क्षमताओं से सीख सकते हैं जो उन्होंने बनाई हैं, चाहे वह ऐसी समस्याओं को हल कर पाने के लिए अधिप्राप्ति में, वित्तपोषण और बजट में या तकनीकी विशेषज्ञता के अनुप्रयोग में हो।"

3.15 विभिन्न उपस्करों के समय पर एचएए परीक्षण कराने जिनका शीघ्र खरीद/सेवा में शामिल किए जाने या प्रभाव पड़ता है के लिए भू-भाग और मौसम की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, समिति ने इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय कृत्रिम वातावरण/प्रयोगशालाओं में परीक्षण करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई उन्नति का पता लगाए और मित्र देशों में एचएए परीक्षण करने की व्यवहार्यता का भी पता लगाए। मंत्रालय ने उत्तर में निम्नानुसार प्रस्तुत किया:-

"विभिन्न परिचालन गतिविधियों के संचालन के दौरान उत्पादों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए वास्तविक परिचालन क्षेत्रों में उपयोगकर्ता परीक्षण किए जा रहे हैं। एचएए में इलाके और मौसम की स्थिति की प्रकृति अत्यधिक तापमान, दुर्लभ हवा और कठिन इलाके के साथ अद्वितीय है, जिससे एचएए में परीक्षण करना एक चुनौती बन जाता है। हालांकि, इन पर काबू पाने के लिए कई पहल की गई हैं। देश में एचएए में पर्याप्त परीक्षण क्षेत्र उपलब्ध हैं और मित्र देशों में एचएए परीक्षणों के संचालन की आवश्यकता नहीं हो सकती है। उपकरणों के वांछित निष्पादन, विश्वसनीयता और भरण-पोषण को स्थापित करने के लिए अपेक्षित परीक्षण मूल्यांकन से समझौता किए बिना परीक्षण की अवधि को कम करने के अंतिम उद्देश्य के साथ विक्रेता प्रमाणन और/या अनुकरण पर आधारित परीक्षणों को यथासंभव पूरा करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। हालांकि, इसे अनुकरण के लिए इको सिस्टम के समवर्ती विकास के साथ क्रमिक तरीके से अपनाने की आवश्यकता है।"

3.16 उच्च ऊंचाई के लिए मुख्य आवास परियोजना, जिसे दो परीक्षणों और विकास के एक पुष्टिकरण चरण पर रखा गया था, को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी उन परिस्थितियों, जिनके कारण मुख्य आवास, परियोजना को मंजूरी देने में देरी हुई; खराब मौसम की स्थिति और -40 से -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक अत्यधिक तापमान का सामना करने वाले उच्च ऊंचाई पर सेवारत सैन्य कर्मियों के लिए अधिकारियों द्वारा स्वीकृत मॉड्यूलर आवास के नवीनतम मॉड्यूल और विनिर्देश; और, क्या आवास सुविधाएं केवल कागज पर थीं या सेना के जवानों और सैनिकों के उपयोग के लिए जमीनी स्तर पर भी यह सुविधाएं उपलब्ध थीं, के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नानुसार कहा:–

"(क) उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र (एचएए) में आवास के लिए पायलट परियोजना को रक्षा मंत्रालय द्वारा तीन चरणों में निम्नानुसार मंजूरी दी गई थी: -

(i) चरण-I: रक्षा मंत्रालय का पत्र संख्या ए/03616/एचएए/ई2 सेना/एनसी, दिनांक 12 अगस्त 2009

(iii) चरण-II : रक्षा मंत्रालय का पत्र संख्या, 11438/जेएस (ओ/एन), दिनांक 03 अगस्त 2010

(iiiiii) चरण-III : रक्षा मंत्रालय का पत्र संख्या 2001/जेएस(एबी)/2013, दिनांक 17 दिसंबर 2013

(ख) सीसीई (सीओडी) को डीडब्ल्यूपी 2007 के पैरा 38 के अनुसार चयनित निविदा की शक्तियां दी गई थी। काम के लिए उपलब्ध सीमित समय के साथ प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में सीमा क्षेत्र पर दूरस्थ और संवेदनशील स्थानों पर एचएए में कार्यों को निष्पादित किया जाना था और इससे निष्पादन में कुछ देरी होती है। परियोजना के तीसरे चरण के पूरा होने तक, नागरिक उद्योग भी समाधान लेकर आए थे और इस परियोजना को क्रियान्वित करने के बजाय सामान्य संक्रियात्मक कार्यों के माध्यम से आवास का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। पोर्टा केबिन, कंटेनर, फास्ट इरेक्टेबल मॉड्यूलर शेल्टर, फाइबर प्रबलित प्लास्टिक हट्स और बैरल टाइप शेल्टर के रूप में मॉड्यूलर री-लोकेबल शेल्टर को शामिल करने के लिए आधुनिक अत्याधुनिक तकनीक अब उपयोग में हैं।

(ग) इन आश्रयों में क्रॉस लिंक्ड क्लोज सेल पॉलीथिलीन फोम पैनलिंग के अलावा 80 किलो/ एम 3 घनत्व के साथ 80 मिमी मोटी रॉकवूल इन्सुलेशन के रूप में है जो शून्य से नीचे तापमान के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा, सैनिकों के लिए उचित आराम सुनिश्चित करने के लिए बिजली के ताप उपकरणों के साथ-साथ सौर और हाइब्रिड आधारित प्रौद्योगिकियों, जल आपूर्ति प्रणालियों और शौचालयों जैसे सहायक उपकरणों का निर्माण किया गया है। पूर्वी लद्दाख में 2020-21 में 10,000 से अधिक सैनिकों के लिए आवास का निर्माण किया गया था और अन्य 18,000 सैनिकों के लिए आवास का कार्य प्रगति पर है।"

(दो) निर्माण कार्य का निष्पादन

3.17 ओ डब्ल्यू पी का मूल तत्व है सॉग्रामिक वातावरण में आपात स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्माण कार्य का तेजी से निष्पादन करना। अतः, अभियंताओं के लिए यह अनिवार्य था कि वे यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्य का निष्पादन एवं हस्तांतरण उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कार्य को कम-से-कम समय में पूरा किया कम संभव समय में पूरा किया जाए।

3.18 तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्माण कार्य के निष्पादन तथा उपयोगकर्ताओं को परिसंपत्तियों को विधिवत् रूप से सौंपे जाने के दोनों कार्यों में विलंब हुआ था।

क. कार्य के निष्पादन में देरी

3.19 'एक्स' कोर जोन में परिचालन कार्य को दो वर्ष के चक्र की अवधि में पूरा होना है। एच ए ए में आवास से संबंधित निष्पादित हो रहे कार्य सहित शीघ्रता का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा में कार्य की भौतिक प्रगति को जाँचा गया।

3.20 लेखापरीक्षा ने नोट किया कि तीसरे कार्यकारी काल (सितंबर/अक्तूबर, 2016) के पूर्ण होने
के पश्चात् भी 2014-15 में अनुमोदित कार्य पूरा नहीं किया जा सका था।

3.21 वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के कार्य के संदर्भ में निष्पादन की प्रगति कार्य संक्षेप में नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है-

तालिका : निर्धारित समयसीमा के पश्चात् कार्य की प्रक्रिया

कोर जोन	वर्ष	संदर्भ की अवधि	अनुमोदित की गयी ओ पी कार्य की पूर्ण मात्रा	पूर्ण की गई मात्रा	शेष	प्रतिशत
'एक्स' कोर	2015-16	जुलाई 2017	2049	1847	202	9.86
	2016-17	जून 2018	688	631	57	8.28

वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में, दो निर्धारित कार्यकारी काल के पूर्ण होने के बाद भी लगभग 10 प्रतिशत कार्य भी पूरा नहीं हुआ था। इस प्रकार परिचालन निर्माण कार्य में अंतनिर्हित तात्कालिकता के बावजूद भी उनका निष्पादन निर्धारित समयसीमा से भी काफी देरी से हो रहा था।

3.22 मंत्रालय ने उत्तर में कहा कि एचएए में से एक कठिनतम 'एक्स' कोर जोन में परिचालन कार्यों को निष्पादित किया जा रहा है एवं विभिन्न चुनौतियों के बावजूद सभी कार्यों का भौतिक एवं वित्तीय समापन भी निर्धारित समयसीमा से पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है।

3.23 मंत्रालय ने अपने टिप्पण में आगे निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया:-

"14 कोर जोन में परिचालन कार्यों को सबसे कठोर एचएए में से एक में निष्पादित किया जा रहा है। लंबे समय तक भीतरी इलाकों से ले जाए जा रहे स्टोरों, लंबे समय तक सर्दियों के कट ऑफ पोस्ट और इलाके की चरम सीमाओं

और मौसम की स्थिति के कारण सीमित कामकाजी मौसम के कारण इन संरचनाओं में दो साल के कामकाजी मौसम की आवश्यकता होती है। इतनी बड़ी चुनौतियों के बावजूद, सभी कार्यों के वित्तीय और भौतिक समापन को निर्धारित समय सीमा से पहले काफी हद तक हासिल कर लिया जाता है। इसके अलावा, ऑपरेशन वर्क्स की निष्पादन एजेंसी फॉर्मेशन इंजीनियर्स की भी परिचालन भूमिका है और इसके लिए एक वर्ष में लगभग दो महीने की प्रतिबद्धता शामिल है। नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिशील स्थिति को देखते हुए, परिचालन और निर्माण कार्यों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना होगा। इसके अलावा, गंभीर जलवायु परिस्थितियों और सड़क बंद होने की पहचान न करना और लेखापरीक्षा टीम द्वारा कार्य के निष्पादन पर इसका प्रभाव उनमें चुनौतियों की अपर्याप्त समझ को दर्शाता है।"

3.24 समिति ने जानना चाहा कि क्या सरकार ने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों की आवासीय स्थिति में सुधार के लिए लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ठोस उपाय किए हैं। इसके उत्तर में, मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:-

"वर्तमान वित्तीय वर्ष में उच्च-तुंगता क्षेत्रों में सैनिकों की आवासीय दशाओं में सुधार हेतु ठोस कदम उठाए गए हैं । इसे कोविड महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा के बावजूद प्राप्त किया गया है । सबसे महत्वपूर्ण यह है कि, उत्तरी सीमाओं पर बढ़ी चिन्ता के समाधान हेतु फारवर्ड क्षेत्रों, विशेषकर उच्च-तुंगता क्षेत्रों में अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियों को तैनात किए जाने की आवश्यकता पड़ी । इस संक्रियात्मक आकस्मिकता को ऐसे सुदूर क्षेत्र एवं जलवायुवीय दशाओं में तैनात किए गए अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियों एवं पहले से तैनात सैन्य टुकड़ियों दोनों के लिए अतिरिक्त आवासीय अवसंरचना के सृजन की आवश्यकता है। इसलिए शीत ऋतु आरम्भ होने के छह महीने पूर्व, कोविड संबंधी आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों के बावजूद, पूर्व-निर्मित मॉडुलर आवासों को सम्मिलित करते हुए नए आवास के निर्माण पर 500 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई और जिसके द्वारा उच्च-तुंगता क्षेत्रों में सैन्य टुकड़ियों की रहन-सहन परिस्थितियों में सुधार किया जा सके।"

ख. परिसंपत्तियों को सौंपने में विलंब

3.25 कार्यों की भौतिक समाप्ति यह बताती है कि बुनियादी रूप से निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया एवं कार्यों के लिए अधिप्राप्त की गई सभी सामग्रियों का उपयोग / लेखाबद्ध कर लिया गया। एक बार जब निर्माण एजेंसी कार्य पूरा कर लेती है, तो अधिकारियों की एक बोर्ड (बी ओ ओ) फार्मेशन मुख्यालय द्वारा काम को बंद करने एवं परिसंपति को संभालने के लिए बुलाया जाता है। बी ओ ओ यह प्रमाणित करता है कि संपत्ति तकनीकी स्वीकृति(टी एस) के अनुसार निर्मित की गई है एवं कार्य में सही सामग्रियों का उपयोग किया गया है। संपत्ति को तद्नुसार एन ए आर में लेखाबद्ध किया जाता है एवं प्रयोक्ता को सौंप दिया जाता है।

3.26 लेखापरीक्षा ने पाया कि शीघ्र आवश्यकता के बावजूद (जैसे कि पिछले पैराग्राफ में टिप्पणी की गई) कार्य के निष्पादन में देरी को आगे प्रयोक्ता को संपत्ति सौंपने में हुई देरी ने और खराब कर दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य के भौतिक रूप से पूर्ण होने के बाद भी, फारमेशन ने यूनिटों को उपयोग के लिए परिसंपत्तियों को सौंपने में एक वर्ष से अधिक समय लिया। परिमाणस्वरूप प्रयोक्ता संसाधनों से वंचित हो गए थे जो पहले से ही अत्यधिक चुनौतीपूर्ण जलवायु स्थितियों में अल्प थे।

3.27 मंत्रालय ने बताया कि परिसंपति जैसे ही और जब भी पूरी हो जाती है उसे प्रयोक्ता को सौंप दिया जाता है और इनवेंटरी को पावती ली जाती है। परिसंपतियों को औपचारिक रूप से सौंपने का कार्य केवल कार्य के पूर्ण होने के बाद किया गया था एवं इसके बाद परिसंपत्ति को फॉरमेशन एन ए आर में लेखाबद्ध किया गया था।

ग. सामग्रियों को बिना आवश्यक गुणवता निरीक्षण के प्राप्त कर लेखाबद्ध करना

3.28 अधिप्राप्त की जा रही सामग्रियों की आवश्यक गुणवत्ता एवं मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए कोर मुख्यालय अधिकारियों का एक बोर्ड (बी ओ ओ) गठित किया जाता है। अधिकारियों का बोर्ड अनुमोदित तकनीकी विनिर्देशों के संदर्भ में सामग्रियों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करता है। प्राप्त की गई सामग्रियों को प्रत्येक अधिप्राप्त करने वाली यूनिट द्वारा स्थापित गुणवत्ता नियंत्रण (क्यू सी) लैब में कोड/ विनिर्देशों के अनुरूप बी ओ ओ द्वारा जाँचना चाहिए।

3.29 लेखापरीक्षा ने पाया कि वहाँ कोई भी दस्तावेज प्रमाण नहीं है जो यह बताए कि यूनिट की क्यू सी लैब में सामग्रियों की किसी भी प्रकार की जाँच हुई है। सामग्रियों को केवल दृश्य-निरीक्षण के आधार पर स्वीकार किया गया था। अतः अधिप्राप्त की जा

रही सामग्रियों को गुणवत्ता पैरामीटरों के साथ लेकर अधिप्राप्त करने की प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जा रहा था।

3.30 लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि महत्त्वपूर्ण रूप से, मदों जैसे आवास (दोनों एफ आर पी एवं पी यू एफ) का तकनीकी पैरामीटर दृश्य-निरीक्षण के क्षेत्र से बाहर थे। सामग्रियों को स्वीकार करने से पहले तकनीकी पैरामीटर जैसे सघनता, व्यापकता/लचीलापन बल, थरमल प्रवाहकता, वायु भार, स्नो भार, आदि के गुणात्मक एवं विश्लेषण जाँच की आवश्यकता थी। निर्धारित प्रक्रिया का पालन ना करने पर आवास के लिए आश्रय की अधिप्राप्ति के साथ गुणवत्ता जोखिम जुड़ा है।

3.31 सम्यक तत्परता की कमी आगे इस तथ्य से प्रदर्शित हुई कि अधिकतर सामान 'एक्स' कोर जोन में पठानकोट में रोड बंद अवधि स्थाना सेना की टुकड़ी के विचलन के दौरान अधिप्राप्त की गई। अतः बी ओ ओ को स्थान अर्थात् पठानकोट में सामग्रियों का निरीक्षण एवं प्राप्ति के लिए देखा जाना आवश्यक था।

3.32 तथापि, लेखापरीक्षा ने नोट किया कि बी ओ ओ द्वारा सामग्रियों के लिए निरीक्षण पठानकोट में तब सत्यापित किया गया, जब बोर्ड वास्तव में लेह में थी एवं प्राप्त सामग्रियों के एक अन्य सैट को सत्यापित कर रही थी। यह इस नीचे दी गई तालिका मे दृष्टांत है-

तालिका: विभिन्न स्थानों पर उसी बी ओ ओ द्वारा प्रदर्शित जाँच

पूर्ति आदेश सं. एवं तिथि	बी ओ ओ का गठन	निरीक्षण की तिथि	सुपुर्दगी का स्थान	बी ओ ओ का स्थान
235ईआर/37/2017-18 दिनांक 03 फ़रवरी 18	चार अधिकारी	20फ़रवरी- 18	लेह	लेह
235ईआर/35/2017-18 दिनांक 03 फ़रवरी 18	वही सदस्यों का समूह		पठानकोट	लेह

235ईआर/33/2017-18 दिनांक 02 फ़रवरी 18	वही सदस्यों का समूह		पठानकोट	लेह
235ईआर/29/2017-18 दिनांक 02 फ़रवरी 18	वही सदस्यों का समूह		पठानकोट	लेह
235ईआर/26/2017-18 दिनांक 02 फ़रवरी 18	वही सदस्यों का समूह	15 फ़रवरी 18	पठानकोट	लेह
235ईआर/25/2017-18 दिनांक 02 फ़रवरी 18	वही सदस्यों का समूह		लेह	लेह

3.33 एक ही बोर्ड ने एक ही तिथि पर लेह एवं पठानकोट में सामग्रियों के निरीक्ष प्रमाणित किया। प्रत्यक्ष रूप से बो ओ ओ का इन्डोर्समेन्ट केवल कार्योत्तर था।

3.34 मंत्रालय ने उत्तर में बताया कि सभी सामग्री की लैब एवं विभिन्न स्तरों पर फील्ड जाँच की गई। इंजीनियर रेजिमेंट द्वारा स्थापित टैस्ट लैब में सामग्रियों की सैम्पल जाँच की गई। सीमेंट से संबंधित सैम्पल टैस्ट रिपोर्ट मंत्रालय द्वारा उनके उत्तर के साथ भेजी गई जो कि सामान्य रूप से केन्द्रीय रूप में अधिप्राप्त की गई थी एवं उसकी जाँच कमान टैस्ट लैब में गई थी। तथापि, शेल्टर से संबंधित सामग्री की जाँच रिपोर्ट जो कि टेस्ट लैब में की गई थी इसे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

(तीन) लेखांकन मुद्दे

3.35 परिचालन कार्य की सभी परिसंपतियों को "न्यूमेरिकल एसेट रजिस्टर (एन ए आर) में लिखा जाता है। यह कोर मुख्यालय, फॉरमेशन मुख्यालय एवं इंजीनियर रेजीमेंट (ईआर) द्वारा बी ओ ओ के समापन कार्यवाहियों के आधार पर स्वतंत्र रूप से बनाए रखा जाता है। अतः एन ए आर को परिसंपत्ति के लेखांकन के लिए एक दस्तावेज के रूप में विस्तृत इतिहास, निर्माण का वर्ष सहित, प्रयोग, स्थान, मूल्य एवं वर्तमान प्रयोग

आदि रिकॉर्ड के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वार्षिक रख-रखाव अनुदान के कार्य एवं योजना के लिए एक मूलभूत दस्तावेज के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है।

3.36 तथापि रजिस्टर का महत्व एवं तीन अलग प्रतियां रखने की आवश्यकता होते हुए भी लेखापरीक्षा ने पाया कि कोर मुख्यालय ने एन ए आर को स्वतंत्र रूप से नहीं बनाया था। अधिकतर मामलों में सीई एक्स' कोर द्वारा लेखापरीक्षा जाँच के लिए प्रस्तुत एन ए आर की कॉपी संबंधित ई आर द्वारा रखी गई एन ए आर की कॉपी की प्रतिलिपि थी, जो कि संबंधित रेजीमेंट द्वारा रखी एवं अद्यतन की जा रही थी। सी ई जेड' कोर ने इन दस्तावेज को जाँच के लिए प्रस्तुत नहीं किया था। इस प्रकार, कोर मुख्यालय में एक स्वतंत्र एन ए आर रखने के उद्देश्य ने अन्य बातों के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण के एक साधन के रूप में काम नहीं किया।

3.37 आगे लेखापरीक्षा ने देखा कि अधिकतर एन ए आर कोर मुख्यालय या ई आर द्वारा ना

तो रखी जाती थी और ना ही उन्हें अद्यतन किया जाता था। अधिकतर मामलों में उदद्यतन केवल 2015-16 तक किया गया था, जबकि कुछ मामलों में 2012-13 के बाद की प्रविष्टियां नहीं की गयी थी।

3.38 इसके परिमाणस्वरूप परिसंपति के रिकॉर्ड एवं वे जो जमीनी स्तर पर थी, में विसंगतियां थी व आवश्यकताओं का वास्तविक मूल्यांकन नहीं था जिसका निम्नलिखित मामलों में विवरण दिया गया है-

(एक) मुख्यालय 'एक्स' कोर ने लेह गैरिसन के लिए आवास की आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए एक बी ओ ओ मई 2018 में बुलाई। बोर्ड ने गैरिसन में 33 यूनिटों द्वारा जमीनी स्तर पर रखी सभी परिसंपतियों के डाटा को एकत्र किया।

लेखापरीक्षा में बोर्ड द्वारा प्रमाणित जोन स्तर पर परिसंपत्तियों की संख्या का इंजीनियरों द्वारा एनआर में परिसंपत्ति के साथ तुलना का विश्लेषण किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिकतर मामलों में जमीनी स्तर पर बी ओ ओ द्वारा पता लगाई गई परिसंपत्तियों की संख्या एनएआर में रिकॉर्ड से अलग थी। इस प्रकार के ज्यादातर मामलों में यह पाया गया कि जमीनी स्तर पर रखी गई परिसंपत्तियों की संख्या कम थी।

कोर मुख्यालय ने मानव गलती को परिसंपत्तियों की विसंगति के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि स्थिति को दोबारा जाँचकर तदनुसार ठीक किया जाएगा।

(दो) फील्ड क्षेत्र में ओपी कार्य परिसंपत्तियों को रखने वाली अधिकतर यूनिट अपनी अवधि समाप्ति के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है। तथापि, इस प्रकार की परिसंपतियों का रिकॉर्ड स्थायी रूप से फॉरमेशन मुख्यालय एवं फॉरमेशन इंजीनियर द्वारा अनुरक्षित किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यहाँ ना तो कोई निर्धारित प्रक्रिया थी और ना ही इंजीनियर या यूनिट फॉरमेशन सहित परिचालन निर्माण कार्य परिसंपति के लिए प्रमाणिक कोष था, जहाँ ऐसी परिसंपत्तियों का यूनिट के अनुसार वितरण एवं लेखाबद्ध करना दर्ज एवं निगरानी किया गया हो। इसकी अनुपस्थिति के कारण, सौंपी गई परिसंपत्तियों की प्रमाणिकता को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

उत्तर में, कोर मुख्यालय ने कहा कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट को सौंपने का भार एवं दायित्व मुख्य प्रयोक्ता के पास ही रहता है। तथापि, उत्तर लेखांकन प्रणाली की कमियों एवं निर्धारित ट्रेल के अभाव को सही सिद्ध नहीं कर सकता जो कि रखने वाली यूनिट द्वारा रखे जाने वाले दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर पूर्ण निर्भर हो।

(तीन) 2017-18 में उत्तरी कमान मुख्यालय के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान (अगस्त) 2017), लेखापरीक्षा ने देखा कि उत्तरी कमान मुख्यालय कैंप के पास ₹3.11 करोड़ के परिसंपत्तियों के लेखाओं में अंतर था। उसी प्रकार, अगस्त 2017 तक 'क्यू' सब एरिया कैंप मुख्यालय के पास ₹11.71 करोड़ की परिसंपत्तियों का विवरण नहीं था। 2018-19 के दौरान हुई लेखापरीक्षा में दस्तावेजों को यह बहाना बनाकर प्रस्तुत नहीं किया गया कि विषय लेखापरीक्षा के बताए गए क्षेत्र से बाहर था। पर्यवेक्षण के उत्तर में, उत्तरी कमान मुख्यालय ने आगे कहा कि आवश्यक सुधार अब किए जाएंगे।

मंत्रालय ने उत्तर में बताया कि फॉरमेशन इंजीनियर द्वारा बनाये एन ए आर के प्रबंधन द्वारा सभी परिचालन निर्माण कार्य परिसंपत्तियों के लेखांकन सुनिश्चित किए जाते हैं। यह मास्टर दस्तावेज है जो निष्पादित कार्य के सभी विवरण रिकोर्ड रखता है।

3.39 मंत्रालय ने लिखित उत्तर में आगे बताया: –

> "फार्मेशन इंजीनियर्स द्वारा संख्यात्मक परिसंपत्ति रजिस्टर (एनएआर) के रखरखाव के माध्यम से सभी निष्पादित संक्रियात्मक निर्माण कार्य का लेखा सुनिश्चित किया जाता है। यह एक 'मास्टर दस्तावेज' होता है जिसमें निष्पादित कार्यों (कार्य की संख्या, विनिर्माण की तारीख, निष्पादन एजेंसी, जहां लागू हो वहां स्थान का ग्रिड रेफरेंस एवं फोटोग्राफ) का सभी ब्यौरा रिकार्ड होता है।

आपरेशनल वर्क परिसंपत्ति के समावेशन के संबंध में प्रयोक्ता यूनिट द्वारा रखरखाव किए जा रहे दस्तावेज/नोट के साथ इस एनएआर के संबंध में भ्रम उत्पन्न हो सकता है। ये वो दस्तावेज है जिनका रखरखाव विभिन्न यूनिटों द्वारा वास्तविक रूप से किया जाता है और जिनकी आवश्यकता यूनिटों के लेखा, रिपोर्ट तथा कार्यभार सौंपे जाने/ ग्रहण किए जाने के प्रयोजन हेतु स्थानीय रूप से अधिक पड़ती है। एनएआर को अद्यतन किया जाना एक नियमित कार्यकलाप है और इसे फिजिकल क्लोजर बोर्ड, रिलोकेशन और प्राकृतिक परिसंपत्तियों के नुकसान होने की स्थिति में प्राकृतिक आपदा के पश्चात शुरू किया जाता है। इसलिए, यह अद्यतन हमेशा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए होगा। इसके साथ-साथ परिसंपत्ति के निर्मित होने/रिलोकेट होने तथा फिजिकल क्लोजर बोर्ड के पूरा होने तक एनएआर में प्रविष्टि नहीं की जाती है। सभी स्तरों पर रिकार्ड के समानान्तर रखरखाव के साथ लेखा प्रणाली सुदृढ़ है।"

अध्याय -4

सामान्य

4.1 उच्च ऊंचाई क्षेत्र वाले कपड़ों, उपकरणों, राशन और आवास के प्रावधान, खरीद और जारी करने से संबंधित पहलुओं की जांच करते हुए, समिति ने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों को प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाओं और अग्रिम स्थानों पर बिजली के अभाव में केरोसिन आधारित बुखारी प्रणाली के उपयोग के लिए ईंधन की भंडारण सुविधा जैसे संबंधित मुद्दों पर विचार किया।

4.2 समिति का विचार था कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, यह आवश्यक है कि प्रत्येक इकाई में एक अच्छा डॉक्टर और उपकरण हो और समिति जानना चाहती थी कि इन क्षेत्रों में इकाइयों की चिकित्सा आवश्यकताओं का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है। मंत्रालय ने इस संबंध में अपने उत्तर में निम्नानुसार बताया है ::-

> "(क) क्षेत्र में स्थित गैर-चिकित्सा इकाइयों को एक रेजिमेंटल चिकित्सा अधिकारी तथा एक या दो नर्सिंग सहायकों को उच्च तुंगता क्षेत्र में चिकित्सा कवर प्रदान करने के लिए रेजिमेंटल एड पोस्ट (आरएपी) स्थापित करने के लिए अधिकृत किया जाता है। बैटल फील्ड नर्सिंग असिस्टेंट (बीएफएनए) प्राथमिक चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित यूनिट कर्मी हैं और इन्हें अग्रवर्ती पदों पर तैनात किया जाता है।
>
> (ख) आरएपी से रोगियों/हताहतों को प्राप्त करने के लिए अग्रवर्ती स्थानों में फील्ड अस्पतालों द्वारा अग्रिम ड्रेसिंग स्टेशन (एडीएस) और फॉरवर्ड सर्जिकल सेंटर (एफएससी) स्थापित किए जाते हैं। जीवन/अंग बचाने वाली सर्जरी करने के लिए एफएससी में सर्जिकल टीम को तैनात किया गया है।
>
> (ग) चिकित्सा उपस्कर स्केल के अनुसार चिकित्सा उपस्कर आरएपी, एडीएस और एफएससी के लिए अधिकृत है। फील्ड मेडिकल प्रतिष्ठानों के लिए बुनियादी ढांचा सेना के इंजीनियर स्टोर से उपलब्ध कराया जाता है।
>
> (घ) प्राथमिक चिकित्सा / बेसिक लाइफ सपोर्ट / एडवांस ट्रॉमेटिक लाइफ सपोर्ट में चिकित्सा / गैर-चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए एएमसी केंद्र और कॉलेज / फील्ड अस्पतालों / सैन्य अस्पतालों में विभिन्न संवर्ग / बीएफएनए पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

4.3 समिति ने यह भी जानना चाहा कि चूंकि अग्रिम इलाकों में बिजली नहीं है, इसलिए ईंधन की आपूर्ति करने की जरूरत है और वह जानना चाहती है कि ईंधन का कहां भंडारण किया जा रहा है। समिति ने यह भी पूछा कि क्या जम्मू-कश्मीर में केरोसिन तेल आधारित बुखारी प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंत्रालय ने, उत्तर में निम्नानुसार बताया:-

"(क) भारतीय सेना अलग-अलग इलाकों में तैनात है। इलाके की ख़ासियत के आधार पर, ईंधन को तैनात स्थानों पर ले जाने के तरीकों के आधार पर, भूमिगत भंडारण टैंकेज, बैरल और जेरिकन को शामिल करने के लिए ईंधन भंडारण के कई साधनों का प्रयोग किया जाता है । इन भंडारण सुविधाओं का भुगतान वित्तीय नियोजन निदेशालय द्वारा आवंटित बजट से किया जाता है। हालांकि, कुछ भूमिगत भंडारण टैंकों का निर्माण तेल सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अपने खर्च पर किया जाता है।

(ख) केरोसिन मुख्य ईंधन है जिसका उपयोग वार्मिंग और सुखाने के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। मिट्टी के तेल आधारित बुखारी का उपयोग वार्मिंग/हीटिंग के लिए किया जाता है। तेल बुखारियों के उपयोग के अलावा, जिन क्षेत्रों में नागरिक आपूर्ति नहीं है, वहां परिचालन कार्यों के माध्यम से जनरेटर प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा, मिट्टी के तेल और जनरेटर की मांग को धीरे-धीरे कम करने के लिए जहां भी संभव हो, सौर और हाइब्रिड आधारित प्रौद्योगिकियों को पेश किया जा रहा है।"

4.4 चर्चा के दौरान सामने आया अन्य मुद्दा देश के रक्षा/सैन्य हितों की संरक्षा के लिए भारतीय सेना की तैयारियां थीं। समिति ने जानना चाहा कि क्या अफगानिस्तान संकट के बाद सरकार अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने के लिए भारतीय सेना हेतु किसी विशेष उपस्कर आदि को अधिकृत करने पर विचार कर रही है। मंत्रालय ने उत्तर में निम्नवत बताया :-

“भारतीय सशस्त्र सेनाएं किसी भी प्रकार के खतरे और संक्रियात्मक आकस्मिकताओं से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित और संगठित हैं। उपस्कर उन्नयन और नई प्रौद्योगिकियों का समावेश एक सतत प्रक्रिया है जो स्वयं की संक्रियात्मक व्यवस्थाओं और बदलते खतरे की अभिव्यक्तियों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए है।”

4.5 समिति ने जानना चाहा कि क्या लद्दाख क्षेत्र में चीन द्वारा हाल ही में सैन्य अभ्यास ने सरकार को अधिक ऊंचाई क्षेत्रों में काम कर रहे सैनिकों के लिए विशेष कपड़े, उपस्कर और राशन को बढ़ाने/बड़े पैमाने पर अधिकृत करने के लिए प्रेरित किया, इस संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"उत्तरी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए विशेष कपड़ों और उपस्कर को प्राधिकृत करने को अप्रैल, 2021 में संशोधित किया गया है। संशोधित प्राधिकृति के अनुसार अधिप्राप्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। संशोधित प्राधिकृति के अनुसार वर्ष 2022-23 तक 100% भंडार का निर्माण किया जाएगा। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में राशन की प्राधिकृति के संबंध में, मानकों को वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया गया है, और यह अधिक ऊंचाई पर काम कर रहे सैनिकों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं और प्राथमिकता को पर्याप्त रूप से पूरा करता है।"

4.6 समिति ने यह भी जानना चाहा कि ड्रोन जासूसी/ड्रोन हमले की संभावना के बाद, क्या भारतीय सेना ड्रोन जासूसी/ड्रोन हमले से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए सेनाओं को कोई नई मदें उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। मंत्रालय ने उत्तर में निम्नवत बताया:-

"भारतीय सेना ड्रोन/यूएवी के उभरते खतरे से अवगत है। हाल के दिनों में इसने सेनाओं के लिए एंटी ड्रोन/यूएवी सिस्टम संबंधी करार किया है। विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	योजना
(क)	ड्रोन स्पूफर
(ख)	ड्रोन जैमर
(ग)	ड्रोन जैमर (मैन पोर्टेबल)
(घ)	इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम्स

4.7 समिति ने इस तथ्य के संबंध में मंत्रालय की टिप्पणियां मांगी कि डीआरडीओ द्वारा अनुमोदित उत्पाद भी सेना के उपयोग के लिए हमेशा सही नहीं हो सकते। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया :-

"उत्पाद सुधार की महसूस की गई आवश्यकता या तो संक्रियात्मक आवश्यकता से या सैनिकों की आकांक्षाओं पर आधारित होती है । उत्पाद में सुधार की मांग करने का मतलब यह नहीं है कि इन-सर्विस उत्पाद सब-स्टैण्डर्ड हैं। इस तरह की सादृश्यता गलत कटौती की ओर ले जाती है। 06 अक्टूबर, 2020 को पीएसी को दिए गए मौखिक साक्ष्य के दौरान भी यही समझाया गया था और 20 अक्टूबर, 2021 को पीएसी को दिए गए मौखिक साक्ष्य के दौरान सचिव डीएमए द्वारा एक बार फिर विस्तार से बताया गया है।"

4.8 समिति ने मंत्रालय से स्पष्ट रूप में जानना चाहा कि क्या भारतीय सेना में मानकों और मौजूदा नीतिगत विनिर्देशों के अनुसार अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए कपड़ों का प्रावधान, अधिप्राप्ति और निर्गम का अनुरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा, समिति ने जानना चाहा कि क्या उपस्कर, राशन और आवास से संबंधित मुद्दों का उन कठिन और पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात हमारे सैनिकों की जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार समाधान किया जा रहा है। मंत्रालय ने उत्तर में निम्नवत बताया:

"पीएसी को एक बार फिर आश्वस्त किया जाता है कि भारतीय सेना में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए कपड़ों और उपस्कर (एचएसीई) की कोई कमी नहीं है और सैनिकों की पूरी अधिकृत आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है। सैनिकों के लिए स्वीकार्य सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कपड़े (उपयोगकर्ता परीक्षण और अनुमोदन के बाद) उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी तरह का आश्वासन पीएसी को उसके लद्दाख दौरे के दौरान भी दिया गया था। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हमारे सैनिकों के लिए अत्याधुनिक आवास का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। जहां तक राशन का प्रश्न है, यह आश्वासन दिया जाता है कि सैनिकों की तैनाती के सभी स्थानों पर उनकी जरूरतों और आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जाता है।"

4.9 यह पूछे जाने पर कि नवीनतम प्रौद्योगिकीय हथियारों और उपस्करों के मामले में चीन की तुलना में हमारी स्थिति क्या है और हम अपने सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी

रूप से हथियारों और अन्य आयुध आवश्यकताओं को कब तक विकसित करने में सक्षम हो सकते हैं, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"(क) चीन अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में ऑपरेशन को संचालित करने के लिए क्षमताओं को विकसित करने के अलावा, अपने युद्ध-संघर्ष, अनुमानित सेना संख्या और परमाणु प्रतिरोध क्षमताओं में सुधार के लिए सैन्य आधुनिकीकरण के प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। चीन ने पश्चिमी प्रशांत महासागर के भीतर वायु, समुद्री, अंतरिक्ष, ईएम और सूचना डोमेन में लंबी दूरी पर तैनात या संचालित हो सकने वाली प्रतिकूल फोर्सेस पर हमला करने के लिए अपनी एंटी एक्सेस/एरिया डिनाईल क्षमताओं को विकसित करना जारी रखा है। चीन अत्याधुनिक हथियारों, उपस्करों और प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर देता रहा है। पीएलए वांछित क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट सैन्य प्रौद्योगिकियों का अनुसरण कर रहा है और निम्नलिखित क्षेत्रों में लगातार प्रगति कर रहा है: -

(एक) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और रोबोटिक्स

(दो) यूएवी और ड्रोन स्वार्म्स

(तीन) क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार

(चार) युद्धाभ्यास रिएन्ट्री वाहन (एमएआरवी)

(पाँच) ईएम रेलगन और निर्देशित ऊर्जा हथियार

(छह) हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल (एचजीवी)

(सात) काउंटर स्पेस वेपन्स

(ख) चीन ने सैन्य क्षेत्र में विघटनकारी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं और उनमें भारी निवेश किया है। संपूर्ण राष्ट्र दृष्टिकोण, बौद्धिक संपदा अधिकारों की अवहेलना और हथियार विकास कार्यक्रमों की गुप्त प्रकृति ने पहले ही *एआई, स्वायत्त हथियार प्रौद्योगिकी और हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकी* के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियां दिखाना शुरू कर दिया है । हालांकि चीन का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी अमेरिका है, लेकिन अनसुलझे सीमा विवादों के साथ,

भारत को भारत और चीन के बीच बढ़ती सैन्य क्षमता के अंतर से अवगत रहना चाहिए।

(ग) विघटनकारी प्रौद्योगिकी विकास और दोहन के क्षेत्र में भारत के प्रवेश में चीन की तुलना में देरी हुई है, हालांकि, हाल के दिनों में, इस क्षेत्र को भी अपेक्षित उच्च प्राथमिकता दी गई है। पूर्वगामी के बावजूद, भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी अनुसंधान एवं विकास, समावेशन और स्वदेशी विकास / उच्च तकनीकी सैन्य हार्डवेयर का उत्पादन शुरू किया है। *आत्म-निर्भर भारत - मेक इन इंडिया* पहल ने भारतीय रक्षा उद्योग को बढ़े हुए अवसरों के साथ सशक्त बनाया है और साथ ही स्वदेशी रूप से रक्षा अनुसंधान एवं विकास में वित्त पोषण में वृद्धि की सुविधा प्रदान की है। भारत अपनी प्रचालनात्मक जरूरतों के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हो, आकस्मिक आधार पर विशिष्ट तकनीकी सैन्य उपकरणों का आयात कर रहा है।

(घ) जबकि भारत और चीन के बीच एक प्रौद्योगिकी अंतर है, भारत किसी भी रक्षा संवेदनशीलता को कम करने के लिए लगातार अपना रास्ता बना रहा है और अपनी फील्ड फॉर्मेशन को नवीनतम अत्याधुनिक और नई पीढ़ी के हथियारों और उपकरणों के साथ उत्तरोत्तर लैस कर रहा है ताकि, हमारे विरोधियों के किसी भी नापाक मंसूबों को विफल करने के लिए पूरी तरह तत्पर रहा जा सके।"

4.10 यह पूछे जाने पर कि आयुध प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, अब वैश्विक रूख क्या है और आयुध प्रौद्योगिकी के मामले में देश किस चरण पर हैं, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

" (क) टैंक, इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल और आर्टिलरी गन से अनिवार्य रूप से संबंधित आयुध प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक रुझान बढ़े हुए एंगेजमेंट रेंज, हाई टेक साइट्स, नई पीढ़ी के फायर कंट्रोल सिस्टम, उच्च घातकता और सटीकता के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले गोला-बारूद, हथियार प्लेटफार्मों की बेहतर गतिशीलता, बेहतर धातु विज्ञान और पावर पैक के क्षेत्र में विकास की तरफ संकेत करता है ।

(ख) हथियार प्रणालियों और उपकरणों की भारतीय सूची समकालीन है और हमारे विरोधियों से उत्पन्न किसी भी खतरे से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। मौजूदा टैंक, इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल और आर्टि गन भी प्रचालनात्मक रूप से आवश्यक उन्नयन के तहत उपयुक्त हैं, साथ ही नई पीढ़ी के उपकरण जैसे लाइट टैंक, फ्यूचरिस्टिक रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स (एफआरसीवी), फ्यूचरिस्टिक इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स (एफआईसीवी), 155 मिमी माउंटेड गन सिस्टम (एमजीएस) आदि टैंक और आर्टि गन दोनों के लिए उच्च घातक गोला-बारूद सहित खरीद के अधीन हैं।"

4.11 देश में उभरते सुरक्षा परिदृश्य से निपटने के लिए वर्तमान और भविष्य की खरीद योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने उत्तर में बताया:

"(क) भारतीय सेना की आधुनिकीकरण योजनाएं अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार 'सेना क्षमताओं' के विकास पर आधारित हैं। रक्षा क्षमता विकास रणनीति के अनुरूप मुख्य क्षमताओं में अप्रचलन पर काबू पाने के अलावा आधुनिकीकरण योजनाओं में सैन्य आधुनिकीकरण और महत्वपूर्ण लड़ाकू क्षमताओं का विकास शामिल है।

(ख) भारतीय सेना की खरीद योजनाओं को एक सुविचारित दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना (एलटीपीपी) के अनुसार केंद्रित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। यह तकनीकी रूप से उन्नत हथियारों और गोला-बारूद के साथ आवश्यक प्रचालनात्मक क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित है, जो देश में वर्तमान और उभरते सुरक्षा परिदृश्यों की पूर्ति करता है। तीनों सेवाओं के बीच खरीद प्रक्रिया को और कारगर बनाने के साथ-साथ प्रचालनात्मक रूप से आवश्यक उपकरणों को समय पर शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए एलटीपीपी के उपयुक्त प्रतिस्थापन के रूप में एक 'इंटीग्रेटेड कैप डेव सिस' (आईसीएडीएस) पेश किया गया है। एकीकृत क्षमता विकास योजना (**10** वर्ष) और रक्षा क्षमता विकास योजना (**05** वर्ष) क्षमता निर्माण की दिशा में खतरा आधारित या क्षमता आधारित दृष्टिकोण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए दीर्घकाल के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

(ग) वर्तमान में **₹ 1,52,387.02** करोड़ की **94** पूंजीगत अधिप्राप्ति योजनाएं विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं। ये उपर्युक्त योजनाओं के परिणाम हैं और इसके परिणामस्वरूप हमारे सशस्त्र बलों का पर्याप्त आधुनिकीकरण होगा।

(घ) भारतीय वायुसेना पारंपरिक युद्ध क्षेत्र के लिए समकालीन और भविष्य की हथियार प्रणाली जैसे लड़ाकू वाहन, तोपखाने बंदूकें, वायु रक्षा प्लेटफॉर्म, हेलीकॉप्टर और अन्य संपत्ति खरीद रहा है। यंत्रीकृत बलों के आधुनिकीकरण में अतिरिक्त टैंकों, मिसाइलों को शामिल करना और रात में लड़ने की क्षमता वृद्धि करना शामिल है। साथ ही, आर्टिलरी ने लंबी दूरी की गन सिस्टम और हवाई निगरानी प्लेटफार्मों को शामिल करके बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विमानन बेड़े में जल्द ही एक बड़ा परिवर्तन होगा क्योंकि नए प्लेटफॉर्म मौजूदा हेलीकॉप्टरों की जगह लेंगे और हथियार से लैस हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाएगा। लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों और अधिक प्रतिक्रियाशील नियंत्रण और रिपोर्टिंग उपकरणों के अधिग्रहण के माध्यम से वायु रक्षा क्षमता को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

(ड.) भारतीय सेना की अधिप्राप्ति योजनाओं का उद्देश्य पारंपरिक युद्ध प्लेटफार्मों और प्रणालियों की मौजूदा प्रचालनात्मक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग, इंटेलिजेंस, निगरानी, टोही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वार्म ड्रोन सहित इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के क्षेत्र में क्षमताओं का निर्माण करने के लिए नवीनतम विशिष्ट तकनीक का उपयोग करना है।

(च) भारतीय सेना का प्रोक्योरमेंट रोडमैप यह सुनिश्चित करने पर निरंतर जोर देता है कि प्रॉक्सी वॉर के साथ-साथ इनसरजेंसी थिएटरों में लगे हमारे सैनिकों को सशक्त बनाने के लिए समकालीन और आधुनिक उपकरणों की खरीद की जाए।"

4.12 रिपोर्ट से नोट करते हुए कि भारत की समूची हथियार अधिग्रहण प्रक्रिया, बहुत विलंब से चल रही है, निर्धारित समयावधि में पिछले तीन वित्त वर्षों में 144 प्रस्तावित सौदों में से केवल 8 से 10% ही फलीभूत हुई हैं, समिति ने जानना चाहा कि क्या इस तरह की देरी से निपटने के लिए कोई कदम उठाया गया है। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया :-

“पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान पूरी की गई पूंजीगत अधिग्रहण संविदाओं को एओएन से संविदा समापन स्तर तक अग्रसर होने में औसतन 3 वर्षों का समय लगा।

अधिप्राप्ति प्रक्रिया में विलंब से बचने के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया – 2020 (डीएपी- 2020) में कुछ कदम उठाए गए है जो निम्नवत हैं:-

(एक) सेना अधिप्राप्ति बोर्ड का गठन और एओएन प्राप्ति को इस तरह सुप्रवाही प्रक्रिया बनाना ताकि 500 करोड़ रुपए तक के मामलों के लिए एकल कदम/स्तर पर एओएन प्राप्त किए जाए ।

(दो) विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रत्यायोजन में बढ़ोतरी ।

(तीन) परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) का गठन मामलों की निगरानी के अतिरिक्त, पीएमयू, अधिग्रहण प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर संबंधित एजेंसियों को सलाह देगा ।

(चार) ट्रायल और परीक्षण प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया गया है।"

<u>भाग-दो</u>

<u>समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें</u>

समिति नोट करती है कि सरकार ने ऊंचाई पर कार्यरत सैनिकों के लिए वर्धित/समृद्ध पैमाने पर विशेष कपड़े, उपकरण और राशन को अधिकृत किया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (लेखापरीक्षा) ने 2015-16 से 2017-18 की बीच की अवधि के लिए कपड़ों, उपकरणों, राशन और आवास के प्रावधान और खरीद, उनसे संबंधित इन्वेंट्री के प्रबंधन और गुणवत्ता की दक्षता और प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए एक निष्पादन लेखापरीक्षा की।

समिति को लेखापरीक्षा रिपोर्ट से यह पता चला है कि वर्ष 2007 में मंत्रालय में कपड़ों की वस्तुओं की शीघ्र खरीद के लिए पूर्ण प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के साथ मास्टर जनरल ऑफ़ ऑर्डनेन्स (एमजीओ) के अधीन एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) का गठन किया था। तथापि, लेखा परीक्षा में आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) के समय से कपड़े की वस्तुओं की खरीद में चार वर्ष तक के विलंब के मामले पाए गए हैं। आयुध कारखानों से अनुबंधित मदों की प्राप्ति में अत्यधिक विलंब हुआ। लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसार खरीद कार्रवाई में विलंब और अनुबंधित मदों की प्राप्ति में विलंब के कारण आवश्यक वस्त्रों और उपकरण मदों की भारी कमी हो गई और इससे समय पर इन सामग्रियों को सैनिकों को जारी आपूर्ति करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रक्रियात्मक देरी और जरूरत के समय आपूर्ति न होने या पुनर्चक्रित या वैकल्पिक वस्तुओं की आपूर्ति के परिणामस्वरूप ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों का स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रभावित हुई थी।

रक्षा प्रयोगशालाओं द्वारा अनुसंधान और विकास की कमी और स्वदेशीकरण में विफलता के परिणामस्वरूप आयात पर लंबे समय तक और निरंतर निर्भरता हुई। सैनिकों को ऊंचाई वाली दुर्लभ परिस्थितियों में जिन मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है उनमें कमी करने के लिए विशेष

राशन दिया जाना था। हालांकि, लेखापरीक्षा निष्कर्षों से पता चला है कि मूल वस्तुओं के बदले लागत-दर-लागत के आधार पर एक निश्चित प्रतिशत में वैकल्पिक वस्तुओं को अधिकृत किया गया, जिसने सैनिकों के कैलोरी सेवन की मात्रा को प्रभावित किया। प्रशासनिक जांच के परिणामस्वरूप आंतरिक नियंत्रण में कमियों के कारण सैनिकों को कम राशन जारी करने के उदाहरण भी प्रकाश में आए।

आवास के संबंध में, लेखापरीक्षा के अनुसार, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों की आवास संबंधी स्थितियों में सुधार करने के लिए परियोजना, तदर्थ तरीके से निष्पादित की गई थी। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी कभी नहीं ली गई और यहां तक कि प्रायोगिक परियोजना को भी चरणबद्ध तरीके से मंजूरी दी गई। 274 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद प्रायोगिक परियोजना सफल नहीं रही। वार्षिक योजनाएं तैयार की जा रही थीं और आवश्यकताओं के सही और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बिना कार्यों को मंजूरी दी जा रही थी। कार्यों के निष्पादन और बाद में सबसे दुर्जेय जलवायु परिस्थितियों में इकाइयों को उपयोग के लिए परिसंपत्तियों को सौंपने में अत्यधिक देरी हुई।

स्टोर आइटम की स्वीकृति केवल दृष्टिक निरीक्षण के आधार पर की गई थी और इकाइयों की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में स्टोरों के किसी भी प्रकार के परीक्षण के अध्यधीन होने का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संख्यात्मक परिसंपत्ति रजिस्टर (एनएआर) का रखरखाव नहीं किया जा रहा था, जिससे एनएआर में दिखाई गई परिसंपत्तियों और जमीनी स्तर पर उपलब्ध परिसंपत्तियों में अंतर था।

भारत के लिए तेजी से विकसित और चुनौतीपूर्ण भू-राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए; समिति का मानना है कि अधिक ऊंचाई वाले कपड़ों, उपकरणों, राशन और आवास सुविधाओं के प्रावधान, खरीद और जारी करने के प्रति दृष्टिकोण को समग्र और व्यापक तरीके से तत्काल सुधारने की आवश्यकता है। तदनुसार,

समिति ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उन मुद्दों पर अपनी टिप्पणियों और सिफारिशों को दर्ज किया है जिन पर आगामी पैराओं में विचार करने की आवश्यकता है।

<u>अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कपड़े, उपकरण, राशन और आवास के लिए बजट</u>

1. समिति नोट करती है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए कपड़े, उपकरण, राशन या आवास पर खर्च के लिए कोई अलग आवंटन नहीं है। हाई एल्टीट्यूड क्लोदिंग एंड इक्विपमेंट (एचएसीई) पर होने वाले व्यय को 'जनरल स्टोर्स एंड क्लोदिंग' के आवंटन से पूरा किया जाता है जो समग्र रूप से सेना की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। आवास के लिए, समिति नोट करती है कि प्रचालन कार्य प्रक्रिया एक विशेष प्रावधान है जो मुख्य रूप से सीमाओं पर बुनियादी ढांचे के निर्माण को पूरा करती है और इसमें अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल हैं। समिति नोट करती है कि प्रचालन कार्य का एक अलग बजट शीर्ष है और इसे औसतन 800 करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं, जिसमें से 400 करोड़ रुपये उत्तरी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए खर्च किए जाते हैं। समिति मंत्रालय की इस दलील को नोट करती है कि राशन के संबंध में आवंटित बजट पर्याप्त है और अधिक ऊंचाई वाले राशन के लिए बजट में अलग से आवंटन की आवश्यकता नहीं है। समिति यह भी नोट करती है कि विभिन्न लघु शीर्षों, उप शीर्षों और कोड शीर्षों में सेना के बजट के हिस्से के रूप में धन आवंटित किया जाता है और मौजूदा कोड शीर्षों का विभाजन आवश्यकता पर आधारित है न कि इलाके/क्षेत्र पर आधारित।

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि सरकार ने अधिक ऊंचाई पर कार्यरत सैनिकों के लिए वर्धित /समृद्ध स्केल पर कपड़े, उपकरण और राशन को अधिकृत किया है, फिर भी समिति का मानना है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की दुर्गम

और बर्फीली जलवायु परिस्थितियों में जहां तापमान शून्य से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता है हमारे देश की सुरक्षा करने वाले सैनिकों के लिए विशेष प्रावधान करना बेहतर होगा। भारत की सीमाओं पर खतरे जिसके कारण हमारे सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा के लिए लगातार सावधान रहते हैं, को देखते हुए, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए, समिति यह विचार व्यक्त करती है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए कपडे, उपकरण, राशन और आवास के लिए अलग-अलग बजट शीर्ष रखना आदर्श हो सकता है। समिति का मानना है कि बजट राशि के अलग-अलग शीर्ष होने से सैनिकों को उसके अनुरूप कपडे, उपकरण, आवास सुविधा और राशन प्रदान करने में मदद मिलेगी। यह हमारे सैनिकों को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के कठोर और खराब मौसम का प्रभावी ढंग से सामना करने में यह बहुत मददगार होगा।

इन्वेंट्री प्रबंधन-रिजर्व

2. समिति नोट करती है कि ईसीसी एंड ई और एससीएमई के रिजर्व को रक्षा मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है। ईसीसी एंड ई के लिए, फील्ड स्टॉक कमान रिजर्व और आर्मी हेड क्वार्टर (एएचक्यू) रिजर्व (प्रतिशत निर्दिष्ट नहीं) को आकस्मिकता, दोहरी कार्य संरचनाओं, एचएए क्षेत्रों में अतिरिक्त संरचनाओं की आवाजाही और किसी भी आपदा के कारण राहत प्रदान करने के लिए अधिकृत किया जाता है। एससीएमई आइटम संबंधित कमान में फ़ील्ड स्टॉक के लिए अधिकृत हैं, जिनमें एएचक्यू रिजर्व के समान सेट हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि लेखापरीक्षा में विभिन्न कमान में ईसीसी एंड ई वस्तुओं के लिए एएचक्यू रिजर्व की 24% से 100% तक की कमी का पता चला। एससीएमई श्रेणी-I की 21 वस्तुओं में से (जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए हैं और जो सैनिकों के पास रखी जाती हैं) 18 वस्तुओं की कमी का प्रतिशत 15% से 98% तक था। कोई एएचक्यू

रिजर्व स्टॉक नहीं रखा जा रहा था, जबकि यह अनिवार्य था कि 100% रिजर्व बनाए रखा जाना चाहिए, भले ही फील्ड स्टॉक वांछित स्तर पर न हो। इसके अलावा, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इकाइयों को 56 एससीएमई श्रेणी I और II वस्तुए आदेशानुसार जारी नहीं की गई थीं। समिति मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी से नोट करती है कि रिजर्व में कमियों ने इकाइयों में उपलब्धता को प्रभावित नहीं किया और "ओएफबी द्वारा गैर-आपूर्ति" ही कमी के मुख्य कारणों में से एक था। इस मुद्दे को स्थानीय खरीद के माध्यम से समाधान किया जा रहा था और ओएफबी से पहले प्राप्त 82 वस्तुओं को गैर-प्रमुख घोषित किया गया था, जिससे चरणबद्ध तरीके से 'व्यापार' या खुले बाजार से खरीद संभव हो गई। समिति मंत्रालय के उत्तर से नोट करती है कि अब,महत्वपूर्ण जीवन रक्षक वस्तुओं के 100% रिजर्व का या तो ठेका दिया गया है या खरीद कार्रवाई शुरू की गई है और मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 तक 100% रिजर्व रखने का प्रयास कर रहा है। आपातकालीन खरीद के नुकसान को देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि ईसीसी एंड ई और एससीएमई उत्पाद वॉल्यूम के लिए अत्यधिक मूल्य-संवेदनशील हैं, समिति सिफारिश करती है कि खरीद प्रक्रिया बड़े पैमाने पर की जानी चाहिए जिससे लागत को कम करने के साथ-साथ रिजर्व की आवश्यकता को कम करने में मदद मिलेगी। समिति यह भी सिफारिश करती है कि रिजर्व तैयार करने का कार्य एक विशिष्ट समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए और इसकी प्रगति से उसे अवगत कराया जाए।

शेल्फ-लाइफ समाप्त हो चुकी वस्तुओं को जारी करना और उन्हें रखना - सेवा क्षमता

3. समिति यह नोट करके चिंतित है कि एएचक्यू द्वारा रिलीज आदेश प्राप्त करने के बाद एससीएमई श्रेणी-II के तहत 43.60 लाख रुपये की शेल्फ लाइफ समाप्त हो चुकी जीवन रक्षक और आवश्यक वस्तुओं की एक बड़ी मात्रा जारी की

गई थी। इसके अलावा, 30.31 लाख रुपये की राशि के स्टोर शेल्फ लाइफ/एक्सपायरी डेट पूरी होने के बाद स्टॉक में पड़े थे। एक अन्य उदाहरण के रूप में, 2012 से रखे गए उपयोग की अवधि समाप्त हो चुके 6025 फायर स्टार रिफिल ट्यूबों के सापेक्ष, इकाइयों को 551 जारी किए गए थे और शेष 5474 जुलाई 2018 तक स्टॉक में थे। समिति नोट करती है कि इतनी बड़ी मात्रा में शेल्फ लाइफ समाप्त हो चुकी वस्तुओं को जारी करने का एकमात्र कारण यह था कि डिपो केवल स्टॉकिंग सोपान था और डिपो से सभी प्राप्तियां / निर्गम उच्च संरचनाओं से रिलीज आदेशों पर आधारित थे। समिति यह नहीं समझ पा रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में स्टॉक क्यों खरीदे गए/रखे गए जबकि उन्हें लंबे समय तक उन्हें जारी नहीं किया गया उनकी जरूरत नहीं थी।

समिति ने यह भी पाया कि एडवांस बेस ऑर्डनेंस डिपो (एबीओडी 'बी') में 4.59 करोड़ रुपये मूल्य की शेल्फ लाइफ समाप्त हो चुकी 19 वस्तुएं (एक गद्दा कपोक-एमके-2 और बूट कॉम्बैट आरडब्ल्यू एचए के 18 अलग-अलग आकार) रखी हुई थीं। समिति ने मंत्रालय के उत्तर से नोट किया है कि शेल्फ लाइफ केवल एक दिशानिर्देश है और वस्तुओं को उचित भंडारण स्थान पर ठीक से रखा गया था और उन्हें सेवा योग्य स्थिति में रखा गया था। किसी वस्तु की उपयोग की अवधि की समाप्ति तब घोषित की जाती है जब वह योग्य अधिकारियों के बोर्ड द्वारा उचित निरीक्षण के बाद प्रचालन उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं पायी जाती है। <u>मंत्रालय के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि 'शेल्फ लाइफ' और 'सर्विसेबिलिटी' के बीच स्पष्ट शब्दों में अंतर किया जाए जो उचित निरीक्षण के बाद किसी उत्पाद की प्रयोज्यता को बेहतर ढंग से इंगित करेगा। समिति यह भी चाहती है कि मौजूद स्टॉक की नियमित समीक्षा की जाए और वर्तमान/अनुमानित आवश्यकताओं के अनुसार इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।</u>

इस संबंध में, समिति ने नोट किया है कि सेन्ट्रल इन्वेंटरी कंट्रोल ग्रुप (सीआईसीजी), जो प्रभावी मालसूची प्रबंधन और खरीद के लिए एक स्वचालित

केंद्रीकृत डेटाबेस है, को अतिरिक्त और एक्सपायर्डसेवा योग्य स्टॉक रखने के -गैर/ मुद्दों को कम करने के लिए बनाया गया है। समिति ने पाया है कि सीआईसीजी का पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरा चरण शुरू हो गया है और जुलाई 2025 तक 'संचालन और रखरखाव चरण' में है। चरण-III के पूरा होने पर ऑल इंडिया इन्वेंट्री विजिबिलिटी का कम्प्यूटरीकरण प्राप्त कर लिया जाएगा और चरण III आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) के स्तर पर है और एओएन की स्वीकृति के 17 माह के बाद इसके शुरू होने की उम्मीद है और इसके बाद अगले 24 महीनों में इसे पूरी तरह से तैनात किया जाना है। समिति चाहती है कि योजना के अनुसार परियोजना के तीसरे चरण को पूरी तरह से लागू करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं और यह मानती है कि रोल आउट के बाद, स्टॉक की कमी / अपव्यय के मामलों को रोका जाएगा और सभी इन्वेंट्री का लाभकारी उपयोग होगा। समिति को परियोजना के कार्यान्वयन की चरण-वार स्थिति से अवगत कराया जाए।

एचएसीई मदों का प्रावधान - डीपीएम और अधिकार प्राप्त समिति

4. समिति नोट करती है कि बनाए रखे जाने वाले स्टॉक की मात्रा का आकलन करने के लिए अधिक ऊंचाई पर पहने जाने वाले कपड़ों और उपकरण (एचएसीई) मदों के प्रावधान की सालाना समीक्षा की जाती है। समिति पाती है कि बूट क्रैम्पन्स, हाइपर बैरिक चैंबर, आइस एक्स एंड शॉवल और एवलांच विक्टिम डिटेक्टर और कार्बिनर जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों की मांगों को प्रावधान समीक्षा के बाद सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन उनकी आपूर्ति के लिए अनुबंध एक से तीन साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया गया था। समिति लेखा परीक्षा से सहमत है कि कई वर्षों के बाद भी खरीद ठेकों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण समीक्षा के प्रावधान का उद्देश्य विफल हो गया था। समिति मंत्रालय के उत्तरों के विरोधाभासी पहलू से हैरान है। जहां एक ओर यह

कहा गया है कि संविदाओं पर हस्ताक्षर करने में लगने वाला एक से दो वर्ष का समय वस्तुओं की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करता है; इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि डीपीएम में समय-सीमा की समीक्षा अभी चल रही है। खरीद प्रक्रियाओं की समीक्षा की आवश्यकता नहीं होती, अगर यह उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल रहा होता। इस संबंध में समिति, मंत्रालय के उत्तर से यह भी नोट करती है कि डीपीएम के नियमित खरीद चक्रों की अपर्याप्तता और 03 से 05 वर्षों के बीच की लंबी एचएसीई खरीद प्रक्रियाओं की समस्या को दूर करने के लिए 2007 में अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। समिति मंत्रालय की इस दलील को स्वीकार करती है कि चूंकि अधिकार प्राप्त समिति का उद्देश्य एचएसीई खरीद के लिए डीपीएम की कमियों को दूर करना था, इसलिए डीपीएम समय सीमा के आधार पर देरी का आकलन गलत कटौतियों का कारण बनता है। समिति चाहती है कि मैनुअल को संशोधित करते समय खरीद में अधिकार प्राप्त समिति के निष्कर्षों/टिप्पणियों पर विचार किया जाए। समिति यह आशा करती है कि डीपीएम-2009 का संशोधन सेना की आवश्यकताओं में परिवर्तन, खरीद के स्त्रोतों में परिवर्तन, उत्पादों के स्वदेशीकरण और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पूर्ववर्ती आयुध कारखानों को नए सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों आदि में परिवर्तित कर दिया गया है, किया जा रहा है।

बूट एमपी का अपर्याप्त प्रावधान

5. समिति पाती है कि बूट एमपी (बहु-उद्देश्यीय) का उपयोग दुर्गम इलाकों में सैनिकों द्वारा किया जाता है और यह अत्यधिक ठंड वाले जलवायु क्षेत्रों में माइनस 55 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान पर सैनिकों के पैरों को ठंड से बचाता है। समिति नोट करती है कि अधिकार प्राप्त समिति द्वारा आवश्यकता की स्वीकृति की तारीख से बूट एमपी के अनुबंध के समापन में 2 साल और 4 महीने की देरी हुई थी, जिसके कारण सैनिकों को नवंबर 2015 और सितंबर 2016 के बीच बूट प्रदान

नहीं किए जा सके। समिति मंत्रालय के जवाब से नोट करती है कि अनुबंध में देरी हुई क्योंकि संबंधित फर्म ने गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) के साथ तकनीकी विनिर्देशन संबंधी कुछ मुद्दों को उठाया था, जिन्हें हल करने में समय लगा। समिति इस बात से हैरान है कि, मंत्रालय ने पहली बार स्वीकार किया कि बूट एमपी को 2016 के गर्मियों के महीनों के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सका था और इस तथ्य के बावजूद कि श्रेणी। एससीएमई आइटम होने के कारण, इन बूटों को सैनिकों को दिया जाना था उन्हें पुनर्चक्रित किया गया। तथापि, बाद में मंत्रालय द्वारा यह कहा गया था कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान बूट एमपी की कमी प्रकट नहीं हुई थी और संशोधित वर्ष-वार उपलब्धता प्रदान की गई थी। <u>यदि कोई कमी नहीं होती, जैसा कि दावा किया गया है, तो बूटों को रीसाइक्लिंग का सहारा लेने के लिए एक स्पष्ट स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी। प्रस्तुत की गई जानकारी में यह असंगतता सुसंगत और सटीक जानकारी और आंकडा प्रदान करने में मंत्रालय में प्रणालियों की क्षमता पर भी सवाल उठाती है। समिति चाहती है कि इस मामले का समाधान किया जाए और उन्हें इससे अवगत कराया जाए। समिति ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता भी व्यक्त की है कि लेखापरीक्षा को सटीक आकडा प्रदान किया जाए। इसके अलावा, चूंकि ये बूट एससीएमई श्रेणी-I आइटम हैं और सैनिकों को दिए जाने हैं, इसलिए समिति को यह बताया जाए कि यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सैनिकों को समान श्रेणी के जूते और ऐसी अन्य वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखा जाए।</u>

<u>एचएसीई मदों की खरीद</u>

6. समिति नोट करती है कि फास्ट ट्रैक आधार पर एससीएमई वस्तुओं की खरीद के लिए, एमजीएस (पूर्ववर्ती एमजीओ) की अध्यक्षता में ईसी, जिसमें सक्षम

वित्तीय प्राधिकारी की पूर्ण शक्तियां थीं, शुरू में 2007 में एक वर्ष के अधिदेश के साथ गठित की गई थी, जिसे अगस्त 2019 तक बढ़ा दिया गया था। लेखा परीक्षा जांच में समय-सीमा का पालन न करने, आयुध कारखानों से भंडारों की आपूर्ति में विलंब, प्रयोक्ता परीक्षणों में विलंब और नई शुरू की गई मदों के मामले में तकनीकी विनिर्देश तैयार करने के मामलों का पता चला। समिति नोट करती है कि डीपीएम 2009 के अनुसार दो बोली प्रणाली के तहत मदों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा मांग पत्रों के पुनरीक्षण/पंजीकरण की तारीख से 23 सप्ताह होने के बावजूद आयातित भंडारों की खरीद प्रक्रिया में इसका पालन नहीं किया गया। स्टोरों की खरीद में लगने वाला औसत समय चार मामलों में एओएन की तारीख के बाद चार साल से अधिक था और एक मामले में 23 सप्ताह की निर्धारित समय सीमा के मुकाबले 2 साल से अधिक था। समिति एमजीओ उपकरण प्रबंधन निदेशालय (ईएम डीटीई) के उत्तर को नोट करती है कि देरी, कई एजेंसियों की भागीदारी और जटिल प्रक्रिया के कारण हुई थी, जिसमें प्रत्येक चरण में अधिकार प्राप्त समिति / सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। समिति, मंत्रालय के उत्तर से यह भी पाती है कि डीजीक्यूए द्वारा उचित जांच-पड़ताल और तकनीकी विनिर्देशों के संबंध में आम सहमति प्रदान करने या उस पर पहुंचने में फर्म की अक्षमता के कारण तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में हमेशा लंबा समय लगा।

समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए ईसीसी और ई मदों की वार्षिक प्रावधान समीक्षा में कमी के रूप में प्रदर्शित स्टोर स्टॉक में प्राप्त नहीं हुए थे और पिछले वर्षों की कमी की मात्रा को 2018-19 के एपीआर में बकाया के रूप में दिखाया गया था। समिति, मंत्रालय के उत्तर से यह भी नोट करती है कि विभिन्न जटिलताओं के कारण देरी हुई, जैसे विभिन्न मुद्दों पर फर्मों का प्रतिनिधित्व, फर्मों द्वारा प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) जमा न करना, पुन: निविदा, पीआर आईएफए की राय / टिप्पणियां आदि और सैनिकों की

वास्तविक आवश्यकता को अनुरक्षण/रिजर्व स्टॉक या इकाई स्तर पर स्थानीय खरीद का सहारा लेकर पूरा किया गया था।

समिति नोट करती है कि अब खरीद की समय-सीमा को एकल/सीमित निविदाओं के लिए 18 से 08 महीने और वैश्विक निविदाओं के लिए 32 से 20 महीने (जिसमें एक सर्दियों के मौसम में उपयोगकर्ता परीक्षणों का संचालन शामिल है) लगभग 50% तक कम कर दिया गया है। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय, मंत्रालय और विक्रेताओं के बीच अनुबंध प्रक्रिया को ओवरहाल करने पर विचार करे जहां विक्रेताओं पर अधिक अंतर्निहित संविदात्मक प्रतिक्रियाएं तथा संविदात्मक देनदारियां हैं और संविदाएं व्यक्तिपरक हस्तक्षेप या व्याख्या के लिए खुली नहीं हैं। समिति चाहती है कि मंत्रालय अनुबंध के घटक प्रावधानों के रूप में उपयुक्त निष्पादन/उत्पाद गारंटी के साथ लंबी अवधि के लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर करने को प्राथमिकता दे। समिति यह भी चाहती है कि सेना एक ऐसी प्रक्रिया विकसित करने पर विचार कर सकती है जिससे वे विक्रेता, जो ऑनलाइन प्रक्रियाओं से परिचित नहीं हैं, उन्हें भी खरीद प्रक्रिया में बोली लगाने की अनुमति दी जा सके। समिति का विचार है कि व्यय और राजस्व तथा पूंजीगत खरीद की परिणामोन्मुखी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। इससे खरीद की समय-सीमा को कम करने में भी मदद मिलेगी।

खरीद की समयसीमा को कम करने में पूर्व आयुध कारखानों, नए डीपीएसयू की भूमिका

7. समिति नोट करती है कि नौ एससीएमई/ईसीसी एंड ई वस्तुओं के मामले में 2015-16 से 2017-18 के दौरान आयुध कारखानों से स्टोर प्राप्त करने में भारी कमी थी। आयुध कारखानों ने वस्तुओं की आपूर्ति के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष स्टोर वस्तुओं की आपूर्ति नहीं की थी और अधिकांश वस्तुओं की आपूर्ति का प्रतिशत लगातार कई वर्षों तक 50% या उससे कम रहा। समिति यह भी

नोट करती है कि आयुध कारखानों से खरीद में सामने आने वाली चुनौतियों का कपड़ों और इसी तरह की वस्तुओं को गैर-कोर सूची में स्थानांतरित करके मुकाबला किया गया था, जिससे सेना अब ओएफबी से वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं थी, और इसके बजाय 'खुले बाजार' से खरीद करने के लिए स्वतंत्र होगी। इसे 2018-19 से चरणबद्ध तरीके से किया जाना था और 2024-25 तक पूरा किया जाना था। इस संबंध में समिति नोट करती है कि इस बीच, ओएफबी का निगमीकरण किया गया है और 7 सरकारी कंपनियों (भारत सरकार के अंतर्गत पूर्ण स्वामित्व वाली) में पुनर्गठित किया गया है। यह नोट करते हुए कि नव सृजित रक्षा पीएसयू (पूर्ववर्ती आयुध फैक्ट्रियों) अब प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से खरीद में भाग ले रहे हैं, समिति चाहती है कि शक्तियों के अधिक प्रत्यायोजन और निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता के साथ, नए डीपीएसयू अपनी खरीद प्रक्रियाओं में तेजी ला सकते हैं ताकि पुरानी आयुध फैक्ट्रियों को रुग्ण बनाने वाली कमियों को दूर किया जा सके। समिति चाहती है कि मंत्रालय इस संबंध में नए डीपीएसयू का संचालन करे।

उपयोगकर्ता परीक्षणों और तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में विलंब

8. समिति पाती है कि सेवा में लाने के लिए मदों को अंतिम रूप देने हेतु चुनिंदा नमूनों के उपयोगकर्ता परीक्षण किए जाते हैं। समिति यह नोट कर चिंतित है कि जांच किए गए 38 मामलों में से 35 मदों (ईसीसी और ई-8 और एससीएमई-27) के मामले में, उपयोगकर्ता परीक्षणों के संचालन में 51 दिनों से लेकर 797 दिनों की अवधि तक का अत्यधिक विलंब हुआ। समिति, मंत्रालय के उत्तर से नोट करती है कि ईसीसी एंड ई और एससीएमई के अधिकांश परीक्षण उत्तरी और पूर्वी कमानों के प्रचालनात्मक कमानों में किए जाते हैं और प्रचालनात्मक तथा लॉजिस्टिक बाधाओं के कारण समय-सीमा अलग-अलग हो सकती है।

समिति यह भी नोट करती है कि परीक्षण, अनुमोदित नमूने और विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी विवरणों के आधार पर, डीजीक्यूए को नमूने प्राप्त होने की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर मदों से संबंधित विनिर्देश तैयार करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, समिति पाती है कि आठ एससीएमई मदों जिनका वर्ष 2016 के लिए परीक्षण के तहत सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया था, के मामले में, 27 महीने बीत जाने के बाद भी सितंबर, 2018 तक विनिर्देशों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। समिति पाती है कि इसका कारण यह है कि जमीनी स्तर पर वास्तविक प्रक्रिया में विसंगति है, जिसमें सीमित कर्मचारियों की संख्या, परीक्षण सुविधाओं का अभाव, उपयोगकर्ता की परीक्षण रिपोर्ट के अधूरे दस्तावेज, अपर्याप्त संख्या में नमूने प्राप्त होना और तकनीकी मापदंडों के संबंध में आम सहमति पर पहुंचने में फर्मों की अक्षमता है। <u>समिति ने मंत्रालयसेना से / कर्मचारियों की संख्या बढाने, परीक्षण सुविधाओं में सुधार, नमूनों की पर्याप्त संख्या को सुनिश्चित करने और परीक्षण की प्रक्रिया और तकनीकी विशिष्टताएं तैयार करने को कम्प्यूटरीकृत करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश की है।</u>

समिति मंत्रालय के इस तर्क को स्वीकार करती है कि परीक्षण, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों (जैसे सियाचिन ग्लेशियर) में वास्तविक प्रचालनात्मक क्षेत्रों में किए जाते हैं और विशेष खरीद प्रक्रिया की आधारशिला हैं। केवल कठोर प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम वस्तुओं को खरीदने की आवश्यकता होती है। चूंकि सैनिक पूर्ण सर्दियों के दौरान, प्रचालनात्मक उपयुक्तता और प्रभावशीलता के लिए एक नई वस्तु का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करते हैं, प्रति वर्ष केवल एक परीक्षण चक्र संभव है। समिति के इस सुझाव पर कि प्रयोगशालाओं में ट्रायल सिमुलेशन किया जा सकता है, मंत्रालय ने विचार व्यक्त किया कि प्रयोगशालाओं में परीक्षण गश्त, फायरिंग, खोज और बचाव, संतरी कर्तव्यों आदि जैसी प्रचालनात्मक गतिविधियों के लिए उपयुक्तता संबंधी मूल्यांकन को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। <u>उपर्युक्त बाधाओं को कम करने के लिए, समिति चाहती है कि</u>

मंत्रालय, समान भूभागभौगोलिक स्थितियों वाले मित्र देशों के साथ सहयोग करे / और उनके अनुभवों से सीखे।इससे प्रयोक्ता परीक्षणों के कारण होने वाले विलंब को कम करने में मदद मिल सकती है।

मंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों जैसे गैर-महत्वपूर्ण मापदंडों के लिए विक्रेता प्रमाणन की स्वीकृति और सिमुलेशन तकनीकों के उपयोग; समवर्ती परीक्षण करने, जहां संभव हो; प्रस्ताव के लिए अनुरोध चरण के दौरान परीक्षण पद्धति के बारे में अधिकतम अग्रिम जानकारी का प्रावधान; और उपकरणों के 'यथावत्' सुधार को सक्षम करने के लिए विक्रेताओं की सहायता लेने को नोट करते हुए, समिति इस प्रकार किए गए उपायों के परिणामी प्रभाव से अवगत होना चाहती है।

गुणवत्ता नियंत्रण

9. समिति नोट करती है कि विशेष कपड़ों के लिए अच्छी तरह से परिभाषित गुणात्मक आवश्यकताओं/ सामान्य कर्मचारी गुणात्मक आवश्यकताओं (क्यूआर / जीएसक्यूआर) के अभाव में लंबे समय से खरीद में गुणवत्ता संबंधी मुद्दों में बाधा/ असंतोष के रूप में चिह्नित किया गया है। विशेष वस्त्र मदों के लिए क्यूआर और जीएसक्यूआर के स्थान पर व्यापक तकनीकी विनिर्देशों का उपयोग किया जा रहा है, जिन्हें इन मदों की विशिष्ट प्रकृति के कारण तैयार नहीं किया गया था। मंत्रालय द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि मौजूदा प्रणाली ने अधिकांश विशेष कपड़ों की वस्तुओं के लिए विक्रेता आधार को संकीर्ण कर दिया है। यह बताया गया था कि जीएसक्यूआर तैयार करने के साथ-साथ विशेष कपड़ों की सभी वस्तुओं के महत्वपूर्ण योग्यता विनिर्देश तैयार करने के प्रयास चल रहे हैं। समिति नोट करती है कि सेना मुख्यालय द्वारा तैयार किए गए जीएसक्यूआर और अन्य महत्वपूर्ण योग्यता तकनीकी विनिर्देशों के आधार पर डीजीक्यूए द्वारा एससीएमई के विस्तृत तकनीकी विनिर्देश तैयार किए जाएंगे। तथापि, डीजीक्यूए द्वारा 11 मदों

अर्थात् अवलुंग-II, बूट बहुउद्देशीय, आइस एक्स, बूट क्रैम्पन, बाहरी दस्ताने, अंदर के दस्ताने, मॉड्यूलर दस्ताने, रकसैक, जैकेट डाउन, ट्राउजर डाउन (जेडीटीडी) और स्नो गॉगल्स के लिए केवल अनंतिम तकनीकी विनिर्देश तैयार किए गए थे।

समिति ने ऐसा ही एक उदाहरण देखा जहां 'अत्यधिक ठंड के मौसम के लिए फेस मास्क ' सैनिकों को स्वीकार्य नहीं था, लेकिन इसे सैनिकों को उपलब्ध कराया जाना जारी रखा गया। सैनिकों को ऐसे फेस मास्क का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था जिसे उन्होंने उपयुक्त नहीं पाया। समिति ने मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से नोट करती है कि जिस फेस मास्क को बदलने की मांग की गई थी, उसे डीआरडीओ/डीएमएसआरडीई द्वारा डिजाइन किया गया था, और इसे खरीदने और आपूर्ति करने से पहले इसकी जांच की गई और अनुमोदित किया गया। डीजीक्यूए द्वारा 'गुणवत्ता आश्वासन' के माध्यम से इसे स्वीकार किया गया था। चूंकि, एक विकल्प की पहचान और अनुमोदन में देरी हुई थी, इसलिए आपूर्ति में बाधा से बचने के लिए परीक्षणों के बाद सैनिकों को एक बेहतर उत्पाद उपलब्ध कराए जाने तक मौजूदा उत्पाद की निरंतर आपूर्ति आवश्यक थी। समिति यह भी नोट करती है कि बाद में एक बेहतर उत्पाद पेश किया गया है और सैनिकों को आपूर्ति की गई है। <u>यह मुद्दा डीजीक्यूए द्वारा प्रदान किए गए गुणवत्ता आश्वासन की प्रकृति और डीएमएसआरडीई द्वारा किए गए अनुसंधान से संबंधित मुद्दों को उठाता है। तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने के संबंध में, जैसा कि मंत्रालय के साथ विभिन्न वार्तालाप में सामने लाया गया है, समिति चाहती है कि गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय को सेवाओं के अंतर्गत लाया जाए ताकि इसे अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह बनाया जा सके। डीएमएसआरडीई से संबंधित मुद्दे के बारे में रिपोर्ट के बाद के भाग में बात की गई है।</u>

गुणवत्ता नियंत्रण - स्लीपिंग बैग

10. समिति, लेखापरीक्षा की दलील से नोट करती है कि 31,799 स्लीपिंग बैग पुराने विनिर्देशों ("डाउन फिल्ड" तकनीक के साथ) के अनुसार और उच्च दरों पर खरीदे गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 1.18 मिलियन अमरीकी डॉलर का परिहार्य व्यय हुआ। समिति, मंत्रालय के उत्तर से यह भी नोट करती है कि स्लीपिंग बैग की महत्वपूर्णता और आकस्मिक आवश्यकता को देखते हुए अंतरिम उपाय के रूप में वर्ष 2016 में एक पुराने तकनीकी विनिर्देश पर सीमित निविदा पूछताछ की गई थी। समिति, मंत्रालय की इस दलील को नोट करती है कि लेखापरीक्षा में दो अलग-अलग संविदाओं के तहत खरीदे गए दो अलग-अलग उत्पादों की तुलना की गई थी। इसमें जोर देकर कहा गया कि 'नॉन डाउन' और 'डाउन फिल्ड' की विभिन्न तकनीकों के साथ दो उत्पादों की लागत की तुलना गलत थी। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि बाद में खरीदे गए स्लीपिंग बैग को सस्ती दरों पर 'नॉन डाउन' श्रेणी के लिए समाप्त किया गया था। समिति समझती है कि 'नॉन डाउन' फील्ड-उत्पादों, जो कम गर्म लेकिन सस्ते होते हैं की तुलना में 'डाउन फिल्ड' उत्पाद गर्म और अधिक महंगे होते हैं। <u>भारतीय सेना अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात रहती है, समिति का यह सुविचारित मत है कि अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैन्य कर्मियों द्वारा उपयोग किए जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु के लिए जिस भी प्रकार के उत्पाद अधिक उपयुक्त हों, वहां केवल ऐसे उत्पाद ही खरीदे जाने चाहिए। समिति उम्मीद करती है कि सेना के पास अब अलग-अलग ऊंचाइयों/क्षेत्रों में आवश्यक स्लीपिंग बैग के प्रकार का एक ठोस और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण/समझ है। समिति चाहती है कि सभी ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए ऐसी आवश्यकताओं की व्यापक समीक्षा की जाए और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तदनुसार उत्पादों की खरीद की जाए।</u>

अस्वीकृत पिट्ठू बैग (रकसैक) की स्वीकृति

11. समिति नोट करती है कि एमजीओ ईएम डीटीई ने 67,066 पीठथैला की आपूर्ति के लिए एक संविदा को समाप्त कर दिया, जिसके लिए खेप का प्री-डिस्पैच निरीक्षण (पीडीआई) विक्रेता के परिसर में किया जाना था ताकि विनिर्देशों के अनुपालन की जांच की जा सके। इसके अलावा, खरीदार के खेप प्राप्त होने पर स्टोरों के मात्रात्मक और कार्यात्मक मापदंडों के साथ-साथ विनिर्देश के अनुसार सामग्री और आयामों का परीक्षण करने के लिए संयुक्त रसीद निरीक्षण (जेआरआई) किया जाना था। डीजीक्यूए और विक्रेता के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से पीडीआई के दौरान स्टोर को स्वीकार्य पाए जाने पर ही जेआरआई को दृश्य परीक्षण तक सीमित कर दिया जाएगा।

समिति पाती है कि पहली खेप पीडीआई में स्वीकार्य पाई गई और बाद की खेपों के लिए पीडीआई नहीं किया गया। डीजीक्यूए ने दूसरी और तीसरी खेप के नमूने दो प्रयोगशालाओं को भेजे, जिन्होंने बताया कि कपड़े के माध्यम से पानी की बूंदों का अंतःस्त्रवण था। समिति नोट करती है कि प्रयोगशाला रिपोर्टों के आधार पर, डीजीक्यूए ने जेआरआई में दोनों खेपों को खारिज कर दिया। समिति नोट करती है कि विक्रेता फर्म द्वारा उठाई गई आपत्ति पर, अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) ने एक अलग प्रयोगशाला से नमूनों का फिर से परीक्षण कराने का निर्णय लिया, जिसने नमूने पारित किए। अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) ने पुनः परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फिर से जेआरआई आयोजित करने का निर्णय किया और री-जेआरआई में, खेप स्वीकार की गई। समिति चिंता के साथ यह नोट करती है कि सभी तीन खेपों में, नमूनों को पहली बार खारिज कर दिया गया था जब डीजीक्यूए ने संविदा के अनुसार परीक्षण प्रक्रिया (आईएसओ 811 मानक) को अपनाया, लेकिन एक अलग प्रयोगशाला में पुनः परीक्षण (एएटीसीसी 127) के बाद स्वीकार किया गया था, जो स्पष्ट रूप से 'संविदा प्रावधानों' से विपथन है। इससे रकसैक की "स्वीकृति" हुई। समिति यह समझने में विफल रही है कि एक परीक्षण विधि,

जिसे संविदा में निर्धारित नहीं किया गया था, को क्यों अपनाया गया। यदि, जैसा कि डीजीक्यूए ने प्रमाणित किया है, वैकल्पिक परीक्षण विधि यानी एएटीसीसी (अमेरिकी) परीक्षण संविदा में उल्लिखित परीक्षण विधियों के समान था, तो यह मुद्दा उठेगा कि इसे संविदा में क्यों शामिल नहीं किया गया था।

समिति विभिन्न अवसरों पर मंत्रालय द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी उत्तरों से भी हैरान है। जबकि, सबसे पहले, यह सूचित किया गया था कि विसंगति की संभावना को दूर करने और मुकदमेबाजी से बचने के लिए स्टोर आइटम स्वीकार किए गए थे; बाद में, यह बताया गया कि वास्तविक परीक्षण परिणाम स्टोर आइटम की स्वीकृति पर निर्णय लेने का आधार बने।

मंत्रालय के इस उत्तर को नोट करते हुए कि अधिकार प्राप्त समिति अब पीडीआई और जेआरआई में परीक्षण की बारीकी से निगरानी करती है और डीजीक्यूए द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी विवेकाधिकारों में कटौती की गई है, तथ्य यह है कि यह ईसी था जिसने एक अलग प्रयोगशाला से नमूनों के पुन: परीक्षण का निर्णय लिया था। समिति चाहती है कि इस मामले की विस्तार से जांच की जाए और उन्हें मामले के तथ्यात्मक विवरण से अवगत कराया जाए। समिति यह भी चाहती है कि परीक्षण प्रक्रियाओं/मानकों को सुव्यवस्थित किया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विशिष्ट प्रयास किए जाएं।

डीएमएसआरडीई द्वारा अत्यधिक ऊंचाई के लिए विशेष कपड़ों का अनुसंधान, डिजाइन और विकास

12. समिति नोट करती है कि कानपुर में रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास स्थापना (डीएमएसआरडीई), डीआरडीओ के तहत एक रक्षा प्रयोगशाला है, जो पॉलिमर, इलास्टोमर्स और कंपोजिट, विशेष फाइबर, कपड़े और रक्षा और उभरती और भविष्य की गैर-धातु सामग्री में उनके अनुप्रयोगों के अनुसंधान, डिजाइन और विकास का कार्य करती है। समिति इस बात से अचंभित है कि

डीएमएसआरडीई पांच वर्ष की अवधि के लिए ईसीसी एंड ई/एससीएमई मदों के अनुसंधान और विकास के लिए किसी भी नई परियोजना को कार्यान्वित नहीं कर सका, जिसकी लेखापरीक्षा की गई थी क्योंकि मास्टर जनरल ऑफ सस्टेनेंस (पूर्ववर्ती एमजीओ) ने इसकी कोई आवश्यकता नहीं बताई थी। समिति यह नोट कर भी चिंतित है कि डीएमएसआरडीई फेसमास्क जैसी वस्तुओं में सुधार नहीं ला सका, जो संगठन की अनुसंधान एवं विकास सेवाओं की प्रभावकारिता पर प्रश्नचिन्ह को उठाता है। समिति नोट करती है कि अब, 100% ईसीसी एंड ई और 71% एससीएमई आइटम स्वदेशी स्तर पर खरीदे जाते हैं और यह कि एससीएमई वस्तुओं का आयात 43% से घटकर 29% हो गया है। स्वदेशीकरण के लिए 35% मदों को डीआरडीओ/डीएमएसआरडीई को सौंपा गया है। समिति की सलाह के आधार पर, आर्मी डिजाइन ब्यूरो (एडीबी) अब डीएमएसआरडीई के साथ सहयोग कर रहा है और शेष एससीएमई मदों के स्वदेशीकरण के लिए एक विशेष 'विकास परियोजना' शुरू की गई है। समिति इस परियोजना के परिणामों से अवगत होना चाहती है। समिति यह भी दोहराना चाहती है कि इस प्रकार डिजाइन किए गए उत्पादों की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाने चाहिए कि स्वदेशी उत्पादों का मानक यदि बेहतर नहीं हो तो आयातित उत्पादों के बराबर हो।

स्वदेशीकरण

13. स्वदेशीकरण के संबंध में, समिति नोट करती है कि यह बताया गया है कि आयुध कारखानों ने स्लीपिंग बैग, जैकेट डाउन, ट्राउजर डाउन, बाहरी दस्ताने, अंदरूनी दस्ताने और 70 लीटर वाले रकसैक आदि के स्वदेशीकरण के लिए कदम उठाए थे। समिति आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए किए गए प्रयासों को स्वीकार करती है और यह नोट करती है कि स्वदेशी रूप से विनिर्मित की जा रही वस्तुओं में ईसीडब्ल्यूसीएस, मोजे वूलेन स्पेशल, 70 लीटर पीठथैला, स्नो गॉगल्स,

समर सूट, थर्मल इनसोल, एचएपीओ चैंबर और अंडरस्लंग कार्गो नेट शामिल हैं। समिति यह भी पाती है कि स्वदेशी रूप से विनिर्मित की जा रही कई वस्तुओं में सुधार की आवश्यकता है। समिति, मंत्रालय के उत्तर से नोट करती है कि भारतीय उद्योग के सहयोग से, 100% आयात प्रतिस्थापन संभव है और यह कि सार्वजनिक वरीयता आदेश (मेक इन इंडिया) अब सभी निविदाओं में एक मानक खंड है और तदनुसार खरीद की जा रही है। समिति नोट करती है कि 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत विभिन्न पहल की गई हैं जैसे कि बाय इंडियन-आईडीडीएम (स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और विनिर्मित), सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ रक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी), 2020 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार स्वदेशी स्रोतों से खरीद, पूंजीगत खरीद की 'मेक' प्रक्रिया का सरलीकरण, एमएसएमई के लिए विशिष्ट आरक्षण के तहत भारतीय उद्योग को सरकार द्वारा विकास लागत के 70% तक वित्तपोषण का प्रावधान, नए रक्षा औद्योगिक लाइसेंस चाहने वाली कंपनियों के लिए ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को 74% तक बढ़ाना और सरकारी रूट द्वारा 100% तक जहां भी इसके परिणामस्वरूप आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच होने की संभावना है, उद्योगों को शामिल करके रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के सृजन के उद्देश्य से रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स) को शुरू करना, आयात प्रतिस्थापन के लिए एमएसएमई / स्टार्टअप / उद्योग को विकास सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक उद्योग इंटरफेस के साथ डीपीएसयू/ओएफबी/ सेवाओं के लिए सृजन नामक स्वदेशीकरण पोर्टल शुरू करना, 'रणनीतिक साझेदारी (एसपी)' मॉडल 2017 की अधिसूचना जिसमें भारतीय कंपनियों की दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की परिकल्पना की गई है ताकि घरेलू विनिर्माण बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मांग की जाए,

वैश्विक मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के साथ संस्थाएं, डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को उद्योगों को हस्तांतरित करने के लिए उद्योग अनुकूल प्रौद्योगिकी (टीओटी) हस्तांतरण नीति बनाई जाए; 141 मदों को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) आदि पर रखा जा रहा है। समिति ऊपर उल्लिखित मंत्रालय के ऐसे प्रयासों के परिणामों से अवगत होना चाहती है। समिति यह भी चाहती है कि स्वदेशीकरण का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए और ऐसी भौगोलिक रूप से कठिन और विपरीत परिस्थितियों में सेवारत सैनिकों द्वारा सुझाए गए विनिर्देशों का पालन करते हुए देश में इन हाउस सर्ज क्षमता के साथ एकीकरण किया जाना चाहिए।

एचएए में सैनिकों के लिए विशेष राशन

14. समिति लेखापरीक्षा के निष्कर्ष से नोट करती है कि पूर्वी कमान में विशेष राशन के लिए संविदा खुली निविदा प्रणाली के माध्यम से संपन्न किए जा रहे थे, जबकि उत्तरी कमान में उन्हें सीमित निविदा के माध्यम से समाप्त किए जा रहे थे, जिसने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बंद हो गई। समिति यह भी नोट करती है कि उत्तरी कमान में भी वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए संविदा को विशेष राशन के लिए खुली निविदा प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप संविदा चक्र लंबा हो गया है, जिससे खरीद प्रक्रिया शुरू करने के लिए अतिरिक्त लीड समय की आवश्यकता होती है। समिति चाहती है कि मंत्रालय संविदा प्रक्रियाओं की समय-सीमा को कम करने के तरीके और साधन विकसित करे।

समिति नोट करती है कि राशन को एक कठिन और जटिल लॉजिस्टिक नेटवर्क के माध्यम से ले जाया जाता है, जिसके असाध्य इलाके और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण बाधित होने की संभावना रहती है। परिवहन/ लॉजिस्टिक तंत्र संसाधनों का आवंटन प्रचालनात्मक गतिशीलता द्वारा निर्धारित

किया जाता है। इन विशाल लॉजिस्टिक चुनौतियों के बावजूद, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं कि, हमारे बलों के मनोबल और प्रचालनात्मक दक्षता को बनाए रखने के लिए अग्रिम चौकियों को पात्रता के अनुसार राशन, की निर्बाध रूप से आपूर्ति होती रहे। अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को कुल 33 बुनियादी वस्तुओं से युक्त रक्षा खाद्य विनिर्देशों के अनुरूप गुणवत्ता वाले राशन जारी किए जा रहे हैं। 15 विशेष राशन मदों (कुल 33 मदों में से) के लिए जारी किए जाने वाले लागत प्रतिस्थापन का चयन कमान मुख्यालय में सैनिकों की पसंद और पैलेट वरीयता के आधार पर किया जाता है।

समिति यह भी नोट करती है कि अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थितियों में सशस्त्र बलों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए डीआरडीओ के तत्वावधान में कार्यरत एक संस्थान डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज (डीआईपीएएस), पोषण क्षेत्र के विशेषज्ञ जिसके सदस्य थे, द्वारा वर्ष 2002 से 2006 तक एक विस्तृत अध्ययन किया गया था। अध्ययन में यह पाया गया था कि ओपी मेघदूत (सियाचिन ग्लेशियर) में तैनात सैनिक विशेष राशन की आपूर्ति से अत्यधिक संतुष्ट थे, और सिफारिश की थी कि इन राशनों को अन्य क्षेत्रों में भी अधिकृत किया जाए। इसके आधार पर, वर्ष 2010 में अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों यानी 12000 फीट से ऊपर तैनात सभी कर्मियों को विशेष राशन अधिकृत किया गया था।

समिति सिफारिश करती है कि इस मुद्दे अर्थात ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को उपलब्ध कराए जा रहे राशन के स्वाद, गुणवत्ता और स्वास्थ्यकर स्थिति को व्यापक रूप से समझने के लिए उनकी आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए/ उनसे फीडबैक लिया जाना चाहिए और यह भी सिफारिश करती है कि उनमें यथा आवश्यक सुधार किया जाये।

अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में आवास

15. समिति नोट करती है कि प्रचालनात्मक कार्यों (ओपी कार्यों) के तहत अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों (एचएए) में तैनात सैनिकों को टेंटेज के विकल्प के रूप में शेल्टर्स उपलब्ध कराए जाते हैं। समिति पाती है कि अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उभरती हुई प्रौद्योगिकी/उत्पादों (छह प्रकार के शेल्टर) की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए अगस्त, 2009 में रक्षा मंत्रालय द्वारा एक प्रायोगिक परियोजना (चरण-एक) स्वीकृत की गई थी। इस प्रायोगिक परियोजना को नवंबर, 2010 तक 27 चौकियों पर मुख्य निर्माण अभियंता (केन्द्रीय आयुध डिपो) सीसीई (सीओडी), नई दिल्ली द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। परियोजना की स्वीकृत लागत 94.86 करोड़ रुपये थी, जिसमें 2.68 करोड़ रुपये का परामर्श शुल्क शामिल था। समिति आगे नोट करती है कि अगस्त 2010 में रक्षा मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ साथ-100 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत के साथ 12 से 15 और प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने और 24 अतिरिक्त चौकियों पर पर्यावासों का निर्माण करने के लिए पायलट परियोजना दो-चरण)) के दायरे को बढ़ाया है, जिसके अंतर्गत कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि मार्च (पीडीसी)2011 के साथ 2.88 करोड़ रुपये का परामर्श शुल्क भी शामिल था। रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2013 में 63.65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 12 अतिरिक्त चौकियों पर कनफर्मेटरी ट्रायल्स के लिए पायलट परियोजना चरण तीन)) के दायरे को फिर से बढ़ा दिया, जिसमें दिसंबर 2014 के पीडीसी के साथ 1.82 करोड़ रुपये का परामर्श शुल्क शामिल था। समिति पाती है कि पायलट परियोजना चरण एक और दो)) दो वर्ष नौ महीने की देरी से दिसंबर 2013 में पूरी हुई और पायलट परियोजना चरण तीन)) दो वर्ष 11 महीने की देरी से नवंबर 2017 में पूरी हुई। पायलट परियोजना चरण एक), दो और तीन) पर मार्च 2018 तक कुल 274.11 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना के लिए निविदा देने की प्रकिया चयनात्मक स्वरूप की थी, जनवरी 2016 से मार्च 2019 तक

पायलट परियोजना के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए निधि उपलब्ध नहीं कराई गई थी और दोष दायित्व अवधि पूरी होने के बाद इन परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए कोई प्रावधान भी नहीं था।

समिति यह नोट करते हुए कि पायलट परियोजना के दौरान जाँची और परीक्षण की गई तकनीक को प्रचालन कार्यों के माध्यम से एचएए में पर्यावासों के निर्माण में शामिल किया गया है, समिति पाती है कि पायलट परियोजना के कारण, शेल्टर के डिजाइन में काफी सुधार हुआ है और फाइबर ग्लास हट्स, पीयूएफ पैनल, प्री-फैब्रिकेटेड शेल्टर, विट्रीफाइड/जॉइंट लेस टाइल्स वाले जिप्सम बोर्ड, ऑयल बुखारी, वॉटर हीटर और सौर विद्युतीकरण परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। समिति चाहती है कि सैन्य टुकड़ियों के लिए बेहतर और अधिक वहनीय आवास की स्थिति बनाने के लिए पर्यावास निर्माण में नए तकनीकी नवाचार का सक्रिय रूप से उपयोग किया जा सकता है। समिति ने यह भी नोट किया कि पूर्वी लद्दाख में 10,000 से अधिक सैन्य टुकड़ियों के लिए पर्यावासों का निर्माण 2020-21 में किया गया था और अन्य 18,000 सैन्य टुकड़ियों के लिए पर्यावास निर्माण प्रगति पर थे। समिति पूर्वी लद्दाख में सैन्य टुकड़ियों के लिए पर्यावासों के निर्माण की स्थिति से अवगत होना चाहती है।

16. समिति ने मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी से नोट किया कि एचएए में पर्यावासों का निर्माण एक विशेषज्ञता का कार्य है और यह भूभाग, उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं और ऊंचाई कारक के साथ भिन्न-भिन्न होता है और भारतीय सेना के इंजीनियर उपलब्ध बजटीय सहायता और निष्पादन क्षमताओं द्वारा सैन्य टुकड़ियों के पर्यावास और रहने की स्थिति में सुधार के लिए अधिकतम प्रयास कर रहे हैं। समिति का विचार है कि आईआईटी सहित विभिन्न भारतीय संस्थानों में पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध है जिन्हें दुर्गम क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए

तैनात किया जा सकता है। समिति चाहती है कि मंत्रालय इस तरह की विशेषज्ञता का पूर्ण उपयोग करने में सक्रिय हो।

परामर्शदात्री सेवाएं

17. समिति नोट करती है कि ऑन-द-स्पॉट कोटेशन के आधार पर, पायलट परियोजना के लिए एक परामर्शदात्री फर्म की सेवाएं ली गई थीं, जिसे बार-बार बढ़ाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 4.91 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। इस संबंध में समिति ने लेखापरीक्षा के निष्कर्ष को भी नोट किया जिसमें उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्यावास और रहन-सहन में सुधार के लिए अध्ययन अक्तूबर, 2007 में शुरू किया गया था, वहीं संविदा फर्म का भी गठन उसी माह में किया गया था और एमईएस द्वारा दिसम्बर, 2007 में सभी इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्यों के लिए परामर्शदाता के रूप में इसे सूचीबद्ध किया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि परामर्शदाता द्वारा उद्धृत राशि स्वीकृत प्रतिशत से कम थी, समिति का सुविचारित मत है कि सत्यनिष्ठा के हित में, परामर्शदात्री सेवा को ठेका प्रदान करने के मामले की जांच की जाए और इसके तथ्यात्मक विवरण से समिति को अवगत कराया जाए।

कार्यों के निष्पादन और सौंपने में देरी

18. समिति नोट करती है कि 2014-15 में अनुमोदित कार्यों को तीसरे कार्य सत्र के समाप्त होने की अवधि तक अर्थात सितंबर/अक्टूबर 2016 तक भी पूरा नहीं किया जा सका, जबकि, समय सारणी के अनुसार, उन्हें दो वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना था। उत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि 'एक्स' कॉर्प्स ज़ोन में प्रचालन कार्यों को सबसे कठोर एचएए में से एक में निष्पादित किया जा रहा था और भारी चुनौतियों के बावजूद, सभी कार्यों के वित्तीय और भौतिक समापन को

निर्धारित समय सीमा से पहले काफी हद तक हासिल कर लिया गया था। समिति यह जानकर निराश है कि उपयोगकर्ताओं को परिसंपत्तियों को सौंपने में अत्यधिक विलंब हुआ था । यह पाया गया कि कार्य के भौतिक रूप से पूर्ण होने के बाद भी, संगठनों को उपयोग के लिए युनिट्स को परिसंपत्ति सौंपने में एक वर्ष से अधिक समय लगा। परिणामस्वरूप, उपयोगकर्ताओं को उन संसाधनों से वंचित रहना पड़ा जो सबसे चुनौतीपूर्ण जलवायु परिस्थितियों में पहले से ही कम थे। समिति पाती है कि स्टोर आइटम्स का यूनिट्स के क्यूसी लैब्स में किसी भी प्रकार के परीक्षण किए जाने का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है और स्टोर आइटम की "स्वीकृति" केवल विजुअल इन्सपेक्शन के आधार पर की गई थी। समिति यह नोट करते हुए कि कार्य पूर्ण होने के तुरंत बाद परिसंपत्तियों को सौंपने के लिए एक सुस्थापित तंत्र है, चाहती है कि इसका ईमानदारी से पालन किया जाए और पूरी की गई परिसंपत्तियों/कार्य का तेजी से निरीक्षण करने के उपाय किए जाएं।

लेखांकन संबंधी मुद्दे – एनएआर

19. समिति नोट करती है कि प्रचालन कार्यों से सृजित की गई सभी परिसंपत्तियों को "न्यूमेरिकल असेट्स रजिस्टर" (एनएआर) में दर्ज किया जाना है। यह दस्तावेज निर्माण के वर्ष, उपयोग, स्थान, लागत और वर्तमान उपयोग आदि सहित विस्तृत इतिहास के रिकॉर्ड के साथ परिसंपत्तियों का लेखा है। इसका उपयोग वार्षिक रखरखाव अनुदान की योजना बनाने और काम करने के लिए बुनियादी दस्तावेज के रूप में भी किया जा सकता है। एनएआर को स्वतंत्र रूप से 3 स्तरों अर्थात् कॉर्प्स एचक्यू, फोर्मेशन एचक्यू और इंजीनियर रेजिमेंट (ईआर) पर बनाए रखना है। हालांकि, यह पाया गया कि मुख्य रूप से ईआर रिकॉर्ड रख रहा था, इस प्रकार आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य से एक उपकरण के रूप में एनएआर विफल रहा। समिति इस बात से निराश है कि ज्यादातर मामलों में, अद्यतन 2015-16 तक किया गया था, जबकि कुछ मामलों में 2012-12 के बाद प्रविष्टियां दर्ज नहीं

हुई थीं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि एनएआर का रखरखाव निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, एनएआर में दर्शाई गई परिसंपत्तियों और वास्तविक परिसंपत्तियों के बीच विसंगतियां थीं, जैसे वास्तविक परिसंपत्तियों की संख्या में कमी, एनएआर में दर्ज परिसंपत्तियों से बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स (बीओओ) द्वारा पहचान की गई परिसंपत्तियों के प्रकार और संख्या का अलग होना आदि। जिसने आवास परिसंपत्तियों के रिकॉर्ड को बनाए रखने के उद्देश्य को विफल कर दिया। समिति नोट करती है कि कॉर्प्स एचक्यू और युनिट्स में डिजिटलीकृत ई-एनएआर स्थापित किया जा रहा है। समिति इसकी स्थापना में हुई प्रगति से अवगत होना चाहती है और आशा करती है कि यह प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो जाएगी।

सैन्य टुकडियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

20. अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थान के लिए वस्त्र, उपकरण, राशन और आवास के प्रावधान, खरीद और जारी करने' से संबंधित विषय की जांच करते समय, समिति ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैन्य टुकड़ियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने और सीमावर्ती स्थानों पर बिजली के अभाव में केरोसिन आधारित बुखारी प्रणाली के उपयोग के लिए ईंधन के लिए भंडारण सुविधाओं जैसे संबंधित मुद्दों पर विचार किया।

समिति को बताया गया है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए रेजीमेंटल एड पोस्ट की स्थापना की गई है। बैटल फील्ड (आरएपी) को प्राथमिक चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के (बीएफएनए) नर्सिंग असिस्टेंट लिए प्राथमिक उपचार में भी प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें अग्रिम पंक्ति पर तैनात किया जाता है। तथापि, समिति इस संबंध में ऊंचाई वाले क्षेत्रों अर्थात द्रास और कारगिल सेक्टर, में सैनिकों के साथ उनकी बातचीत को याद करती है जिसके

दौरान सैनिकों ने स्पष्ट रूप से बताया था कि कई बार, अग्रिम स्थानों पर चिकित्सा सुविधाएं केवल कम से कम होती हैं और वह बहुत व्यापक नहीं होती हैं।

समिति गंभीरता से महसूस करती है कि भोजन और आश्रय के अलावा, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। इसका कारण सैनिकों को कठिन क्षेत्रों में तैनात किया जाना और उसके द्वारा प्रतिकूल मौसम की स्थिति में काम करना है। सैनिकों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं न केवल उन्हें एक ठोस समर्थन प्रणाली प्रदान करेगी बल्कि उनके आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाने में भी योगदान देगी। अतः समिति सिफारिश करती है कि अग्रिम स्थानों पर सैनिकों को उपलब्ध (फॉरवर्ड लोकशन) कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं को और अधिक व्यापक बनाया जाए ताकि सैनिकों को स्वास्थ्य संबंधी जोखिम न उठाना पड़े।

सीमावर्ती स्थानों में ईंधन भंडारण की सुविधा

21. समिति मंत्रालय के उत्तर से नोट करती है कि मिट्टी का तेल वार्मिंग और सुखाने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य ईंधन है। मिट्टी के तेल आधारित बुखारी गर्म करनेहीटिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। समिति यह / भी नोट करती है कि भूमिगत भंडारण टैंकरों, बैरल और जेरिकन को शामिल करने के लिए ईंधन भंडारण के कई साधनों का इस्तेमाल किया गया था। समिति को बताया गया है कि कुछ भूमिगत भंडारण टैंकों का निर्माण सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा अपने खर्च पर किया गया था। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि तेल बुखारियों के उपयोग के अलावा, जनरेटर ऐसे जगह उपलब्ध कराए जा रहे हैं जहां कोई सिविल आपूर्ति नहीं है, और सौर और हाइब्रिड आधारित प्रौद्योगिकियों को भी शुरू किया जा रहा है।

सीमावर्ती स्थानों में सैनिकों द्वारा काम करने और सुखाने के उद्देश्य से भंडारण सुविधा के महत्व को समझते हुए, समिति चाहती है कि सरकारी क्षेत्र के

तेल उपक्रमों को अपने सीएसआर कार्यकलापों के भाग के रूप में अधिक भूमिगत भंडारण टैंकों का निर्माण करना चाहिए ताकि अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमावर्ती स्थानों पर तैनात सैनिकों को ईंधन की कमी के कारण किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। समिति ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की मदद से सौर, पवन और अन्य हाइब्रिड आधारित प्रौद्योगिकियों पर आधारित अन्य ऊर्जा स्रोतों की संभावना का पता लगाने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय पर दवाब डाला है ताकि केरोसिन आधारित बुखारी पर निर्भरता कम की जा सके।

सैन्य तैयारियों के पूरक के लिए प्रावधानीकरण और खरीद (प्रोविजनिंग)

22. भारतीय सेना की तैयारी एक अन्य मुद्दा है जो 'उच्च ऊंचाई वाले कपड़ों, उपकरणों, राशन और आवास की प्रोविजनिंग, खरीद और मुद्दे' पर चर्चा के दौरान सामने आया। समिति को सूचित किया गया है कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी प्रकार के खतरे और परिचालन संबंधी आकस्मिकताओं से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित और संगठित हैं। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, समिति महसूस करती है कि सेना को उच्च ऊंचाई वाले कपड़े, उपकरण, राशन और आवास के प्रावधान, खरीद और जारी करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि इस संबंध में सेना की तैयारी किसी भी कमी से प्रभावित न हो। समिति यह नोट कर प्रसन्न है कि उत्तरी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए विशेष कपड़ों और उपकरणों के लिए आथोराइजेशन की अप्रैल, 2021 में समीक्षा की गई है। संशोधित आथोराइजेशन के अनुसारखरीद का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा ,, समिति मंत्रालय के इस कथन से आश्वस्त महसूस करती है कि एचएसीई वस्तुओं की कोई कमी नहीं रहेगी और सैनिकों को स्वीकार्य सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कपड़े प्रदान किए जा रहे हैं। समिति को यह भी पुनः आश्वासन दिया गया है कि सैनिकों की जरूरतों

और आवश्यकताओं को उनकी तैनाती के सभी स्थानों पर पर्याप्त रूप से पूरा किया जाएगा।

समिति नोट करती है कि प्रोद्योगिकीय सीमाओं के बावजूद देश किसी भी को दूर करने के लिए लगातार अपना प्रया रक्षा संबंधी कमजोरियोंस कर रहा है और हमारे विरोधियों के किसी भी नापाक इरादों को विफल करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए अपने फील्ड फॉर्मेशन को नवीनतम अत्याधुनिक और नई पीढ़ी के हथियारों और उपकरणों से लैस कर रहा है। समिति ने महसूस किया है कि हमारे सैनिकजो प्रतिकूल जलवायु , की स्थितियों में हमारे सीमाओं की सुरक्षा करते हैंउनके लिए उच्च ऊंचाई वाले वस्त्र उपस्कर ,, राशन की प्रोविजनिंग, खरीद और जारी करने और उनके लिए आवास का प्रावधान करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। समिति को विश्वास है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए अपने आश्वासन को पूरा करेगा कि भारतीय सेना में अत्यधिक ऊंचाई वाले कपड़ों और उपकरणों की कोई कमी न हो और सभी अग्रिम स्थानों पर तैनात सैनिकों को उनकी पात्रता के अनुरूप पर्याप्त रूप से सुविधाएं प्रदान किया जाए।

नई दिल्ली;
07 दिसंबर, 2022
16 अग्रहायण, 1944 (शक)

अधीर रंजन चौधरी
सभापति,
लोक लेखा समिति

****